# वीर नारायण सिंह

संपादक : डॉ. रमेन्द्र नाथ मिश्र

मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी

# वीर नारायण सिंह

## विप्लव युग में आदिवासी जागृति के प्रणेता

सम्पादक

**डॉ. रमेन्द्र नाथ मिश्र**

डी. लिट्.

लेखक

**डॉ. (श्रीमती) सुनीत मिश्र**

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर,

रायपुर, मध्यप्रदेश

**मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल**

# वीर नारायण सिंह

डॉ. (श्रीमती) सुनीत मिश्र

© मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल

□ प्रादेशिक भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तरीय ग्रन्थों और साहित्य के निर्माण के लिये भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा) की केन्द्र-प्रवर्तित योजनान्तर्गत मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा भारत सरकार द्वारा रियायती दर पर उपलब्ध कराये गये कागज पर मुद्रित।

□ □ मध्यप्रदेश शासन की ओर से प्राप्त अनुदान की मदद से रियायती मूल्य पर प्रकाशित।

**प्रकाशक** : **मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी,**
रवीन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग, बानगंगा,
भोपाल - 462 003
दूरभाष - 553084

**संस्करण** : प्रथम - 1998

**मूल्य** : रु. 40.00 (चालीस) मात्र

**आवरण** : विवेक टेम्बे, भोपाल

**मुद्रक** : प्रियंका ऑफसेट, 25-A, प्रेस कॉम्प्लेक्स,
महाराणा प्रताप नगर, भोपाल- 462 011 (म. प्र.)
दूरभाष : 555789

# प्राक्कथन

**"मातृभाषा के माध्यम से उच्च शिक्षा"** नीति के कार्यान्वयन की दिशा में **मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी** विगत 27 वर्षों से अनवरत कार्य कर रही है। अकादमी ने विभिन्न विषयों की **1000 पुस्तकें** प्रकाशित करके हिन्दी में इतनी आधार पाठ्य सामग्री उपलब्ध करायी है कि माध्यम परिवर्तन उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सहज संभव हो पाया है। इतना ही नहीं अकादमी ने अँग्रेज़ी न जानने वाले बहुसंख्यक छात्रों तक ज्ञान का प्रकाश पहुँचाने का बुनियादी कार्य किया है।

**कम मूल्य** में छात्रों को **सुरुचिपूर्ण और स्तरीय पुस्तकें** उपलब्ध हों, इसके लिए अकादमी ने अपने प्रकाशन **विक्रय कार्यक्रम को हानि-लाभ रहित आधार** पर संगठित किया है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर लागू स्वीकृत पाठ्यक्रमों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अकादमी ने सभी विषयों के छात्रों के लिए मानक पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी हैं।

**विज्ञान** और **तकनीकी** जैसे जटिल विषयों तथा **इंजीनियरिंग, आयुर्विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान** आदि में भी अकादमी ने पुस्तकें प्रकाशित कर इस विचार को पुष्ट करने का प्रयास किया है कि हिन्दी भाषा में अद्यतन ज्ञान का संप्रेषण संभव है।

अकादमी की ग्रन्थ प्रकाशन योजना वरिष्ठ प्राध्यापकों द्वारा बनायी जाती है। लेखन, अनुवाद, समीक्षण, संपादन आदि कार्य वे विद्वान करते हैं जो छात्रों की सीमाओं और आवश्यकताओं से अच्छी तरह परिचित हैं। इसके बावजूद भी प्रस्तुत पुस्तक में कुछ कमियाँ हो सकती हैं। मेरा आग्रह होगा कि विद्वान प्राध्यापक इन कमियों के साथ-साथ स्तरीय और अधिक प्रामाणिक पुस्तकों के प्रकाशन के लिए अकादमी को अपने रचनात्मक सुझाव भेजें। इनके आधार पर अकादमी अपने प्रकाशनों की स्तरीयता एवं गुणवत्ता में और सुधार ला सकेगी।

चूँकि अकादमी के कार्यकलापों में शासन की भागीदारी है, इस नाते भी मैं चाहूँगा कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के प्राध्यापक अकादमी के प्रकाशनों को अपना बहुविध समर्थन और प्रोत्साहन दें।

स्वतंत्रता आन्दोलन में आदिवासी समाज की बड़ी सक्रिय भूमिका रही है। किन्तु इस पक्ष की अब तक अनदेखी की गयी है। यह अत्यन्त सुखद है कि अब इतिहास के इस उपेक्षित अध्याय को सामने लाने का रचनात्मक प्रयास किया जा रहा है। शहीद वीर नारायण सिंह पर पुस्तक का प्रकाशन इसी कड़ी में किया गया है। इस महत्वपूर्ण प्रयास के लिये दोनों विद्वान लेखक साधुवाद के पात्र है।

**(रविन्द्र चौबे)**
राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन एवं
अध्यक्ष, म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल

# सम्पादकीय

स्वातंत्र्योत्तर भारत में अन्वेषण की अधुना प्रवृत्ति के अंतर्गत आंचलिक इतिहास के अन्वेषण कार्य को प्रेरणा मिली है। राष्ट्रीय इतिहास की धारा तभी सम्पुष्ट एवं प्रबल होकर आगे निरंतर प्रवाहमान रहती है, जब आंचलिक इतिहास की छोटी-छोटी धाराएँ उससे मिलकर उसे शक्ति प्रदान करती हैं। नवान्वेषण के माध्यम से नए तथ्यों का उजागर होता है जिससे भावी पीढ़ी को विषयांतर्गत दिशा निर्देश मिलता है, यद्यपि अंचल के योगदान को राष्ट्रीय धारा तक पहुँचने में कठिनाई होती है। तथ्य संकलन, विश्लेषण एवं प्रस्तुति में अनेक समस्याओं की कसौटी से गुजरना होता है। 1857 के महान् विप्लव कारियों को जहाँ अँग्रेजों ने सिपाही विद्रोह के अनुयायी कहा वहीं दूसरी ओर भाग लेने वाले भारतीय रण बाँकुरों को देश द्रोही कहा जबकि भारतीय जनों के मध्य वे राजनैतिक एवं सांस्कृतिक चेतना के प्रणेता थे।

भारतीय विप्लवकारियों को हत्यारा, लुटेरे तथा असंतोषजनक कारणों के जनक भी कहा गया पर जब उन्हें फाँसी दी गई तो विधि धाराओं की वही कानूनी रस्सी थी जिसके माध्यम से देश के अन्य शहीदों को शहादत मिली संबलपुर (उड़ीसा) में वीर सुरेन्द्र साय ने पश्चिमी उड़ीसा एवं पूर्वी छत्तीसगढ़ क्षेत्र को प्रभावित किया था। वे वीर नारायण सिंह परिवार के सहयोगी थे। वीर नारायण सिंह ने भी अँग्रेजों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ से विरोध की आवाज बुलन्द की, उनकी ओजस्वी वाणी महानदी की घाटी और छत्तीसगढ़ की माटी के कण-कण के लिए प्रेरक बन गई, आरोप, प्रत्यारोप उनपर भी हुए, पर यदि देश सेवा करना अपराध है तो वे इस श्रेणी में अँग्रेजों की दृष्टि से थे। किन्तु जनसेवा परोपकार यदि पुनीत कार्य है तो वे इस दृष्टि से 1857 के विप्लव के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के प्रिय जननेता थे उनके योगदान को विस्मृत नहीं किया जा सकता।

अँग्रेजों ने बहुत सी सामग्रियाँ उनके वकील पर घर से प्राप्त कर नष्ट कर दीं। कुछ सामग्री बुद्धिजीवी दीमकों द्वारा विनष्ट कर दिये गए। अभिलेखागार की सामग्रियों में एक पक्ष ज्यादा परिलक्षित होता है। किन्तु कुछ आंचलिक प्रमाण के आधार पर जो कि अथक प्रयास के अंतर्गत प्राप्त होते हैं कुछ स्पष्टता का आभास होता है, सोनाखान के जंगलों में गाँव-गाँव, ठाँव-ठाँव ढूँढने का प्रयास किया गया, रायपुर, नागपुर, भोपाल, दिल्ली से भी विषयांतर्गत सामग्री संकलन की चेष्टा हुई किन्तु वीर नारायण सिंह का प्रामाणिक चित्र अप्राप्य रहा। उनके समकालीन वीर

सुरेन्द्रसाय का चित्र उपलब्ध है। उनके गाँव में उनके वंशजों से भी नारायण सिंह के चित्र या अन्य प्रमाण प्राप्ति का प्रयास किया गया पर अप्राप्य रहा। छत्तीसगढ़ के रजवाड़ो में, जमींदारियों की सामग्रियाँ प्राय: नष्ट हो गईं, ऐसी स्थितियों में शोध एक दुष्कर कार्य होता है। तब और जब आंचलिक नेता का मूल्यांकन राष्ट्रीय आन्दोलन की धारा के परिप्रेक्ष्य में किया जाए फिर भी अनेक प्रयास के अंतर्गत जो भी संभव बन सका, प्राप्त हो सका वह यथावत या अन्वेषणात्मक कसौटी के अनुकूल प्रस्तुत कार्य में समाहित है- विषयांतर्गत कुछ छोटी पुस्तिकाएँ प्रकाशित हुई हैं किन्तु किसी भी प्रकार का शोधात्मक परिप्रेक्ष्य में अनुशीलन कार्य नहीं हुआ है, प्रथम बार वीर नारायण सिंह के "बलिदान दिवस" पर इतिहास विभाग, रविशंकर विश्वविद्यालय के आयोजन के अवसर पर ही हमने इतिहास के एक अध्येता के नाते शोधकार्य करने का संकल्प कर लिया था। प्रतिवर्ष जयंती का आयोजन ही किसी के मूल्यांकन की इति नहीं है वरन् समग्र मूल्यांकन तभी संभव है जब हम समालोच्य पहलुओं का अध्ययन करें। इसमें उपलब्ध स्रोतों द्वारा प्रदत्त सूचनाओं के मध्य परीक्षण निरीक्षण से उद्बुद्ध सत्य निष्कर्ष पर आधारित इतिहास को निबद्ध करने का प्रयास है। इस निमित्त शोध की जटिल प्रक्रियाओं से भी गुजरना पड़ा, क्योंकि पूर्वाग्रह एवं आक्षेप से भी अन्वेषक को बनते हुए तथ्य के सत्यान्वेषित प्रकाश की रोशनी में आगे बढ़ना होता है। यह कार्य एक चुनौती सदृश होता है, तब जब कि किसी व्यक्ति का इतिहास के पृष्ठों पर आकलन ही न हो और उसका मूल्यांकन हमें समकालीन परिप्रेक्ष से करना होता है, कवि कल्हण ने राजतरंगिणी में कहा है कि "राग-द्वेष से परे, पूर्वाग्रह से मुक्त, उपलब्ध प्रमाणों पर आधारित सत्य विवरण प्रस्तुत करने में जिनकी वाणी सिद्ध है ऐसे महान् कवि वंदनीय हैं।" कल्हण की यह उक्ति इतिहास लेखन के संदर्भ में आज भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। इतिहास में शोध प्राविधि को किसी मानक ढाँचे या सुपरिमाणित सीमा में आबद्ध कर पाना असंभव होता है, क्योंकि विषयानुरूप अध्ययन के स्रोतों की प्रकृति में भिन्नताएँ पायी जाती हैं और तद्नुरूप उनकी संग्रहण प्रक्रिया में परस्पर वैभिन्य होना स्वाभाविक है। प्राप्त स्रोतों के विदोहन से कुछ प्रस्तुति स्पष्टत: अधोलिखितानुरूप हो सकती है :-

1. शहीद वीर नारायण सिंह से संबंधित प्रकाशित स्वतंत्र पुस्तक।
2. क्षेत्रीय, प्रांतीय व राष्ट्रीय स्तर पर 1857 के विप्लव से संबंधित प्रकाशित कृतियाँ।
3. समसामयिक लेख व जर्नल में प्रकाशित विचार।
4. तद्युगीन पत्र व्यवहार।

5. पूर्व लेखकों द्वारा प्रयुक्त स्रोतों का पुनरीक्षण।

6. वीर नारायण सिंह के समकालीन सहयोगी संबलपुर के वीर सुरेन्द्रसाय की जीवनी से संबंधित सामग्री।

7. कालांतरीय पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख एवं सुचनाएँ।

सामग्री संकलन हेतु अधोलिखताधार प्रमुख रहे हैं :-

अ. शासकीय अभिलेखों का अध्ययन एवं परीक्षण (राजस्व अभिलेखागार, रायपुर, अभिलेखागार, नागपुर, भोपाल, दिल्ली में उपलब्ध स्रोत)।

ब. समसामयिक शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित एवं अन्य लेख।

स. अर्धशासकीय अभिलेख, अप्रकाशित कृतियों की फाइल।

द. समाचार पत्र, पत्रिकाओं एवं डाक तार विभाग तथा सूचना एवं प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित सामग्रियाँ।

इ. सोनाखान क्षेत्र का 'जन इतिहास' एवं वयोवृद्ध जनों द्वारा संस्मरणात्मक विचारों की प्रस्तुति।

फ. वीर नारायण सिंह के वंशजों के पास तथा अन्यों के संग्रह में स्थित वंशावली व अन्य स्रोत।

कार्य के अंतर्गत आधार सामग्री के एकत्रीकरण के पश्चात् तिथिबद्ध निबद्ध करना, घटना की तारतम्यता प्रस्तुत करना, विवादों के घेरे से हटकर तथ्यगत प्रमाण प्रस्तुत करना हमारा एक श्रम साध्य अभीष्ट रहा है। जिसकी परिणति के आधार पर मूल्यांकन करना सार्थक हो सका। विषय प्रतिपादन सर्वांगीणता के अनुकूल अधोलिखित अध्यायानुसार विभक्त है :-

प्रथम अधिकरणान्तर्गत छत्तीसगढ़ में अँग्रेजी राज की स्थापना काल में भौगोलिक एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष में प्रस्तुति हुई है जो विषय की पूर्व पीठिका समझ के अनुकूल है।

द्वितीय अधिकरणान्तर्गत सन् 1857 की क्रांति का उद्भव, विकास एवं स्वरूप तथा देश, मध्यप्रदेश में प्रभाव के साथ ही छत्तीसगढ़ अंचल से तद्युगीन परिस्थितियों का विश्लेषण किया गया है जो विप्लव में कारणों हेतु आधार जन्य थी।

तृतीय अधिकरण के अंतर्गत सोनाखान जमींदारी, वीर रामराय का जननेतृत्व व वीर नारायण सिंह का प्रारंभिक काल वर्णित है। जो जन-कल्याण जनक था और वही 1857 के विप्लव में उनके समय नेतृत्व की आधार-शिला बनी।

चतुर्थ अधिकरण के अंतर्गत सोनाखान में 1857 ई. के विप्लव काल में वीर

नारायण सिंह का अँग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा एवं युद्ध तथा रायपुर में उन पर हुए मुकदमें तथा 10 दिसम्बर 1857 को शहादत-पूर्ण घटनाओं की परीक्षणाक्रम वर्णन है।

पंचम अधिकरण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ अंचल के अन्य स्थलों में हुए 1857 के विप्लव कालीन घटनाओं को वर्णित किया गया है। विशेषकर उदयपुर (सरगुजा) पूर्वी सम्बलपुर, बस्तर, पूर्व चाँदा, कोरांचा तथा अन्य जमींदारियों से संबंधित है।

षष्ठम अधिकरण के अंतर्गत वीर नारायण सिंह की शहादत की प्रतिक्रिया स्वरूप रायपुर के सैनिकों द्वारा राजपूत वीर हनुमान सिंह के नेतृत्व में किये गए विप्लव का वर्णन है जिसके अंतर्गत रायपुर नगर में 17 लोगों को शहादत मिली वे क्रान्तिकाल के पूज्य प्रेरणा स्रोत थे।

सप्तम अधिकरण के अंतर्गत शहीद वीर नारायण सिंह के योगदान का मूल्यांकन 1857 के विप्लव के परिप्रेक्ष्य में है। जो समालोचन निष्कर्षयुक्त विचार का एक अंग है।

भारतीय स्वातंत्र्य समर के अंतर्गत प्रथम प्रयासकाल में देश के साथ ही छत्तीसगढ़ अंचल के योगदान का तथा वीर नारायण सिंह की भूमिका का समग्र आकलन कर इतिहास में समुचित स्थान निर्धारित करना प्रस्तुत शोध कार्य का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। वीर नारायण सिंह के व्यक्तित्व व कृतित्व का मूल्यांकन आधार सामग्री के समग्र मनन की परिणति है। उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा निष्कर्षों की प्रामाणिकता के आधार हैं। देश की आजादी की लड़ाई में अपने जमींदारी जीवन के वैभवकाल को छत्तीसगढ़ की जनता के नाम से जेल के सींकचों में कैद तथा संघर्षशील जीवन के प्रेरक साहसी, वीर, आत्मबल के धनी वीर नारायण सिंह के त्याग एवं बलिदान की अन्वेषणात्मक परिधि के अनुकूल प्रस्तुत किया गया है, वस्तुतः हमने राष्ट्रहित में एक अल्प प्रयास किया है, इतिहास के पृष्ठों में एक बलिदानी के त्याग को अंकित करने की दिशा में हमारा कार्य सहायक रहा है। हमने अपने इतिहास अध्येता के कर्तव्य एवं दायित्व के अनुकूल एक निष्पक्ष प्रस्तुति की चेष्टा की है। राष्ट्र निर्माण की घड़ी में हमें शहीदों से प्रेरणा मिलती है। मध्यप्रदेश के पूर्वांचल छत्तीसगढ़ के प्रथम आदिवासी, किसान एवं जमींदार वर्ग के नेता वीर नारायण सिंह बिझवार का जीवन सदैव प्रेरणा देता रहेगा।

इत्यलम्।

**डॉ. रमेन्द्र नाथ मिश्र**
सम्पादक
**डॉ. (श्रीमती) सुनीत मिश्र**

# विषय - अनुक्रमणिका


| | | | |
|---|---|---|---|
| प्राक्कथन | | | (iii) |
| सम्पादकीय | | | (iv) |
| प्रथम अधिकरण | : | **छत्तीसगढ़** | 1-18 |
| | | सामान्य परिचय | |
| | | राजनैतिक परिचय | |
| | | छत्तीसगढ़ के जमींदार | |
| | | छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी राज की स्थापना | |
| द्वितीय अधिकरण | : | **1857 की क्रांति** | 19-28 |
| | | सन् 1857 ई. का विप्लव | |
| | | विप्लव का स्वरूप, उद्भव एवं विकास | |
| | | मध्यप्रदेश में विप्लव | |
| | | छत्तीसगढ़ की तात्कालीन परिस्थितियाँ | |
| तृतीय अधिकरण | : | **सोनाखान जमींदारी** | 29-41 |
| | | जमींदारों के पूर्वज | |
| | | जमींदार रामराय दीवान | |
| चतुर्थ अधिकरण | : | **जमींदार नारायण सिंह बिंझवार** | 42-53 |
| | | प्रारंभिक जीवन | |
| | | जन कल्याण कार्य | |
| पंचम अधिकरण | : | **1857 की क्रांति एवं जमींदार नारायण सिंह** | 54-67 |
| | | अँग्रेजों से संघर्ष | |
| | | सुबह की शाहादत | |
| षष्ठम अधिकरण | : | **छत्तीसगढ़ व समीपस्थ अंचल के अन्य स्थानों में क्रांति** | 68-83 |
| | | उदयपुर, बस्तर, रामगढ़, संबलपुर, रायपुर | |
| सप्तम अधिकरण | : | **रायपुर में 1857 की क्रांति** | 84-96 |
| | | रायपुर नगर का सैन्य विप्लव | |
| | | रायपुर के सत्रह शहीद | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| अष्टम अधिकरण | : | **उपसंहार** | 97-112 |
| परिशिष्ट | : | सोनाखान के जमींदार परिवार की वंशावली । | 113-116 |
| चित्र : | 1. | शहीद वीर नारायण सिंह की गिरफ्तारी का आदेश । | |
| | 2. | 9 दिसम्बर 1857 का तत्कालीन अँग्रेज सरकार का मूल आदेश की प्रति जिसमें वीर नारायण सिंह को फाँसी देने की बात कही गयी है । | |
| | 3. | भौगोलिक परिचय । | |
| | 4. | रायपुर का वह जेल भवन जहाँ वीर नारायण सिंह कैद थे 1856 ई. । | |
| | 4. | शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति चौक सर्किट हाऊस के पास रायपुर । | |

**प्रथम अधिकरण :**

# छत्तीसगढ़

## सामान्य परिचय

अतीत से ही हिन्दुस्तान के हृदय स्थल मध्यप्रदेश के दक्षिण-पूर्वी भू-भाग पर स्थित छत्तीसगढ़ का एक विशिष्ट सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व रहा है। अरण्य की गोद में इठलाता हुआ, महानदी शिवनाथ की घाटी में प्रसन्नचित सा क्रीड़ा करता हुआ धान के कटोरा को सदैव परिपूर्ण रखने वाला गढ़ों का यह क्षेत्र "छत्तीसगढ़" देश की खुशहाली का प्रतीक है।[1] यह 20°.00 से 22°.40 अक्षांश 80°.30 से 83°.30 पूर्वी देशांश पर स्थित है।[2] जिसका लगभग 52650 वर्गमील क्षेत्र[3] है। अगर हम प्राकृतिक दृष्टि से इसका स्वरूप स्पष्ट करना चाहें तो इसके तीन भाग होंगे - (1) सतपुड़ा की उच्च समभूमि (2) मैदानी भाग यह पश्चिम में लगभग 330 मी. एवं पूर्व में समुद्र तट से 250 मी. ऊँचा है तथा (3) बस्तर का पठारी भाग।[4] यहाँ खनिजों का विशाल भण्डार, धान का विपुल उत्पादन एवं प्रचुर वन सम्पत्ति है।[5] यह 240 कि.मी. पश्चिम से पूर्व की ओर सकरा होता चला गया है, जिसे इसका तलीय चित्र पंखे के आकार का आभाषित होता है।[6]

आज का यह छत्तीसगढ़ व्यतीत काल में दक्षिण कोसल महाकौशल, महाकान्तर, दण्डकारण्य आदि नामों से अभिहित रहा है।[7] डॉ. रमेन्द्र नाथ मिश्र के अनुसार छत्तीसगढ़ के नाम से संभवत: यह उत्तर कल्चुरी काल या मराठा काल में अभिहित हुआ है।[8] परन्तु वास्तव में शासकीय आधार पर इसके नामकरण का प्रस्ताव 1795 में रखा गया था, जिसे आगे चल कर जेन्किन ने जमींदार्स ऑफ छत्तीसगढ़ के रूप में प्रस्तुत किया आगे चलकर यह इसी नाम से लोकप्रिय हो गया।[9] अँग्रेजों के समय में यह छत्तीसगढ़ जिला एवं संभाग के रूप में भी अभिहित हुआ है।[10]

छत्तीसगढ़ का नामकरण वास्तव में यहाँ कल्चुरी शाखा के शासकों द्वारा

अधिकृत या निर्मित छत्तीसगढ़ों या किलों के कारण हुआ है।[11] चेदिश गढ़ के बिगड़े हुए रूप के कारण[12] 36 घरों संबंधी धारणा[13] 36 क्षत्रिय कुलों से संबंधित धारणा[14] छत्तीसगढ़ नामकरण हेतु अन्य धारणा भी प्रचलित है।

यहाँ विविध धर्मों एवं जातियों के लोग मजे से रहते हैं वैदिक संस्कृति की यद्यपि प्रधानता है तथापि जैन, बौद्ध, इस्लाम, ईसाई, पारसी, सतनामी, कबीरपंथी आदि धर्मों एवं पंथों की भी बहुतायत है।[15] जाँग्लीय धर्मावलम्बी भी बहुत हैं[16] यहाँ 45 प्रकार की जंगली जातियाँ भी पाई जाती हैं।[17] निःसंदेह गोड़ यहाँ के मूल निवासी हैं।[18] परन्तु एक बात सामान्य है कि यहाँ के लोग नैतिकता की दृष्टि से उच्च चरित्र वाले हैं।[19]

वर्तमान छत्तीसगढ़ की परिसीमा सात जिलों के सम्मिलित क्षेत्र के आधार पर अभिहित होती है। इसमें अतीत के दक्षिण कोसल, दण्ड कारण्य, महाकान्तर झारखण्ड, गोंडवाना, उत्कल आदि के कुछ भू-भाग सम्मिलित हैं। इस अंचल की प्रमुख नदियाँ चित्रोत्पला (महानदी) इन्द्रावती, शिवनाथ, हसदो, नर्मदा (रेवा) उद्गम क्षेत्रांचल आदि हैं। इनकी तटीय भौगोलिक परिवेश ने यहाँ की जनसंस्कृति को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। सिहावा, अमरकंटक, चित्रकूट, तुरतुरिया, सिरपुर, मल्हार, राजिम, आरंग, रतनपुर, बारसूर, दन्तेवाड़ा, डोंगरगढ़, खलारी, अंबिकापुर, पाली, तुम्माण, शिवरीनारायण, रामगिरी, सीताबोंगरा, सिंघनपुर, कबरा पहाड़, चितवाडोंगरी का अपना विशिष्ट महत्व है। इन क्षेत्रों का भौगोलिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ पर व्यापक प्रभाव पड़ा है।[20]

## राजनैतिक पृष्ठभूमि

प्राप्य सामग्री के आधार पर हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ बहुत समृद्ध है यह अनेक राजवंशों की क्रीड़ा भूमि रहा है, अवशेषों, साहित्यिक स्रोतों, धार्मिक ग्रन्थों, जनश्रुतियों आदि के आधार पर ज्ञात होता है कि यहाँ मौर्य, कुषाण, वाकाटक, सातवाहन, गुप्त, नलवंश, पाण्डु, सोम, राजर्षि तुल्य, कुलवंश, शैलवंश कल्चुरी, राजपूत, मुगल, मराठे एवं आंग्ल सत्ताएँ प्रमुख थीं।[21] कुछ क्षेत्रों पर गोंड़ों न भी शासन किया है।[22]

डॉ. रमेन्द्र नाथ मिश्र के अनुसार प्राप्य सामग्री के आधार पर छत्तीसगढ़ में दो भाग किए जा सकते हैं - (1) प्राचीन छत्तीसगढ़, (2) अर्वाचीन छत्तीसगढ़ (ब्रिटिश कालीन छत्तीसगढ़)। मध्यकाल में यहाँ पर शक्तिशाली हैहयवंश राजाओं का स्वतंत्र प्रभुत्व था। डॉ. मिश्र के अनुसार यहाँ पर सल्तनत काल एवं मुगल काल का प्रत्यक्ष प्रशासन हुआ ही नहीं था जबकि प्रो. ए.एच. निजामी का मत

है कि, यहाँ प्राप्त सिक्कों के आधार पर मुस्लिम सत्ता को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ मुस्लिम शासन के प्रभाव से बहुत समय तक प्राय: अछूता रहा। सन् 1346 के लगभग खलीफा नामक मुसलमान सेनापति द्वारा छत्तीसगढ़ान्तर्गत तात्कालीन सरगुजा राज्य पदाक्रान्त हुआ था (किन्तु उसके लौटते ही स्थिति यथावत हो गई) कालान्तर में मुसलमानों के इस क्षेत्र में प्रवेश के संबंध में प्रसिद्ध इतिहासकार बाबू रेवाराम कायस्थ ने लिखा है - "इसी समय से 1390 में हिन्दू साम्राज्य समाप्त होकर यवन राज्य बादशाह प्रारंभ हुए" अर्थात् मुस्लिम आक्रमण शुरू होने लगा था। सन् 1513 के कोसगई लेख से पठानों के छत्तीसगढ़ में हमलों का जिक्र मिलता है, 17वीं सदी में जहांगीर के पुत्र परवेज का रतनपुर राज्य पर हमला का उल्लेख मिलता है। 18वीं सदी के प्रसिद्ध साहित्यकार गोपाल मिश्र ने मुगल बादशाह औरंगजेब के संबंध में कई पदों की रचना की उन्होंने षठशतक भी लिखा था जो अनुपलब्ध है, छत्तीसगढ़ में खुज्जी जमींदारी मुसलमानों की थी जिसकी स्थापना भोंसलो के प्रदत्त क्षेत्र पर शेर खाँ ने की थी, किन्तु मराठों के समय यहाँ मुसलमानों का प्रवेश अधिक हुआ। वे सेना में प्रमुख पदों पर थे अत: उन्हें कुछ गाँव मिले। मुसलमानों के प्रति यहाँ के राजाओं की नीति साहिष्णु थी, हिन्दु मुसलमानों का आपस का फर्क छत्तीसगढ़ में नाम का भी नहीं है।

मुगलों ने लगभग पूरे भारत वर्ष को अपने आक्रमण और शासन से प्रभावित किया था।[22-अ] परन्तु छत्तीसगढ़ में यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के कारण उनका प्रभाव न जम सका।[22-ब]

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि छत्तीसगढ़ कभी भी प्रत्यक्ष रूप से मुस्लिम सत्ता के अधिकार में नहीं रहा है। कर अदाएगी की औपचारिकता के अतिरिक्त यहाँ के राजा पूर्णत: स्वतंत्र थे।

कुछ भी हो यह तो निश्चित[23] रूप से कहा जा सकता है कि यहाँ सर्वाधिक शासन करने वाले शासकों में निम्नलिखित का महत्वपूर्ण योगदान रहा है -

1. सिरपुर के शासक
2. रतनपुर के कल्चुरी शासक या हैहयवंशी शासक
3. मराठा शासक
4. ब्रिटिश सत्ता

कल्चुरी शासक या हैहयवंशी शासकों के छत्तीसगढ़ में तुम्माण, रतनपुर, खल्लारी एवं रायपुर प्रमुख केन्द्र रहे हैं। पंडित शिवदत्त शास्त्री की कृति रतनपुर का इतिहास नामक पाण्डुलिपि अप्रकाशित के अनुसार रतनपुर शाखा में 55 तथा रायपुर शाखा में 18 नामों का उल्लेख है। इस प्रकार दोनों कल्चुरी शाखाओं के शासकों ने अबाध रूप से शासन करके अपने राज्य का अपार विस्तार किया तथा शासन की गरिमा बढ़ाई[24] छत्तीसगढ़ में कल्चुरी राजाओं का कार्य अच्छा था, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक दृष्टिकोण से यह स्वर्णयुग था।[25] उनके शासन काल में प्रजा संतुष्ट थी।[26] परन्तु कल्चुरियों की पकड़ धीरे-धीरे ढीली होती चली गई अन्ततः रघुनाथ सिंह के समय भ्रष्ट कर्मचारी[27] एवं अधिकारी ताहुतदार, बरहा, गोंटिया किसानों से मनमाना लगान वसूल करने लगे।[28] नागपुर के रघु जी भोंसले के समय सेनापति भास्कर पंत कोल्हटकर के साथ एक बड़ी सेना लेकर बंगाल की ओर कूच किया, इसी समय उसने 1741 में छत्तीसगढ़ में हैहय या कल्चुरी नरेश की राजधानी रतनपुर पर आक्रमण कर दिया।[29] शर्त के मुताबिक मराठों ने एक लाख रुपये हर्जाने के रूप में रघुनाथ सिंह (रतनपुर शासक) से वसूल किए तथा कल्याण गिरी को शासन का भार सौंप दिया।[30] 1745 ई. में रघुजी भोंसले ने पुनः हमला करके रतनपुर में रघुनाथ सिंह को तथा रायपुर में अमरसिंह को हटाकर भौंसला राज्य पूर्णतः कायम कर लिया।[31] रतनपुर में मराठों की ओर से मोहन सिंह 1745 से 1757 तक शासन कार्य करता रहा।[32] फिर बिंबाजी भौंसले 1757 से 1787 तक थे।[33] मराठों ने यहाँ सूबेदारों की मदद से शासन कार्य चलाकर शासन की नई व्यवस्था को प्रकाश में लाया। इसी कड़ी में महिपत राव दिनकर 1788-90 प्रथम सूबेदार बनाए गए। फिर क्रमशः बिठ्ठल दिनकर 1790-1796, भवानी कालू केशव गोपाल 1797-1808, भीखा जी गोपाल 1809-18 कुछ समय के लिए सुक्काराम हरी (सुखराम बापू), सीताराम तानिया, जादोराव देवाकुर (यादव राव दिनकर) जुलाई 1816 से 1818 जून तक शासन सत्ता संभालते रहे, राजा राघोजी भोंसले द्वितीय की मृत्यु 22 मार्च 1816[34] में हो गई तब परसो जी भोंसले उत्तराधिकारी बने।[35] छत्तीसगढ़ के सूबेदार अप्पा साहब ने विद्रोहात्मक कार्य किए[36] तब परसो जी ने अप्पा साहब को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया।[37] अप्पा ने नागो एवं नारायण पंडित को प्रतिनिधि के रूप में भेज दिया।[38] जनवरी 1817 में परसो जी को हटाने का प्रयत्न प्रारंभ कर दिया।[39] अप्पा साहब को रीजेन्ट नियुक्त होने पर जेनकिन्स ब्रिटिश प्रतिनिधि ने

बधाई भी दी थी।[40] 27 मई सन् 1816 से अँग्रेज तथा अप्पा साहब के बीच सहायक संधि हुई जो निश्चित रूप से अँग्रेजों के हित में थी।[41] संधि की शर्तों के अनुसार विदेश नीति पर प्रतिबंध, अँग्रेजी सेना व्यय विषयक 711 लाख रुपये प्रतिवर्ष अँग्रेजों को प्राप्त[42], 10 फरवरी 1817 को परसो जी की रहस्यमय ढंग से अचानक नृत्यु हो गई तब यह संदेह किया गया कि अप्पा साहब ने उसको जहर देकर मरवा डाला[43] परन्तु जेनकिन ने इसे अफवाह कह कर टाल दिया।[44] 21 अप्रैल 1817 को अप्पा साहब का राज्यारोहण शांति पूर्ण ढंग से सम्पन्न हुआ।[45] अप्पा साहब ने बाद में अनुभव किया कि अँग्रेजों के हाथों की कठपुतली बना रहना उचित नहीं होगा अत: अँग्रेजों की इच्छा के विपरीत अप्पा साहब ने बाजीराव द्रितीय से अपना संबंध बनाकर आंग्ल विरोधी कार्य प्रारंभ कर दिया। उसने 14 नवम्बर 1817 को पेशवा से सेना साहब का खिताब भी प्राप्त किया।[46] फलत: अँग्रेजों तथा अप्पा साहब के मध्य लड़ाई प्रारंभ हो गई, सीताबल्डी के युद्ध में अंतत: अप्पा साहब हार गया। 27 नवम्बर 1817 ई. को रात्रि के दो बजे अप्पा साहब के सैनिकों ने नागपुर शहर को खाली कर दिया।[47] इस अवसर पर जेंकिन ने कहा था कि "अब हम नागपुर राज्य के स्वामी बन गये हैं। और हमारे विरुद्ध चलने वाले युद्ध का अंत हो गया है। राजा हमारे केम्प में मौजूद है।"[48] 15 दिसम्बर 1817 को 9 बजे रेसीडेण्ट के समक्ष उपस्थित होकर अप्पा साहब ने शर्तों को स्वीकार कर लिया। 2 जनवरी 1818 को लार्ड हेस्टिंग्ज ने नया आदेश जारी करके उन्हें पदच्युत कर दिया तथा रघुजी द्रितीय के नाती को उत्तराधिकारी बनाया गया। 3 मई 1818 को अप्पा साहब सैनिक पहरे से भागने में सफल हो गया।

तृतीय मराठा युद्ध के बाद पेशवा, भोंसले होल्कर आदि मराठे अँग्रेजों के हाथों की कठपुतली बन गए। मराठा संघ पूरी तरह से समाप्त हो गया। अँग्रेजी सत्ता कि प्रभाव का जादू सम्पूर्ण भारतवर्ष में फैल गया।[49] 26 जून 1818 को रघु जी तृतीय से संधि करके अँग्रेजों ने मराठा राज्य में व्यवस्था स्थापित करने की चेष्टा की। भोंसला शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं ततजन्म दोषों को दूर करना जनहित में आवश्यक प्रतीत हो रहा था।[50] जून 1818 से जून 1830 तक ब्रिटिश संरक्षण में अर्थात् छत्तीसगढ़ प्रक्षेत्र समेत क्षेत्र अँग्रेजों के अधिकार में रहा[51], ब्रिटिश अधीक्षकों में क्रमश: कैप्टन एडमंड, एग्न्यू, हंटर, सैंडीज, विल किसन, काफोर्ड नियुक्त किए गए।[52] काफोर्ड के समय रेसीडेण्ट बिल्डर ने भोंसला शासक से 27 दिसम्बर 1829 को नयी संधि की तथा श्री

कृष्णराव को भोंसला शासक के प्रतिनिधि को 6 जून 1830 को सत्ता पुन: सौंप दी।[53] यह सत्ता 1854 तक मराठों के हाथ में सुरक्षित रही। 1853 के अगस्त में महाराज की तबीयत ज्वर के कारण कुछ खराब हो गई। 11 तारीख सुबह सूर्योदय के पूर्व राजा का देहान्त हो गया।[54] उस समय राजा की आयु 47 वर्ष की थी। राजा नि:सन्तान था, दत्तक पुत्र भी न था, अत: यह राज्य अँग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी ने लिखा है "नागपुर का राज्य अँग्रेजी राज्य में मिला लेने से वहाँ की प्रजा का तथा भारत का साधारण हित और विलायत के प्रति लाभ किस नीति से होगा। नागपुर राज्य की वर्तमान प्रजा वर्तमान शासन की अपेक्षा अँग्रेजी शासन को अधिक पसंद करेगी क्योंकि जेन्किन के जमाने में वह उसका सुख पा सकी है और इसीलिए वहाँ की प्रजा अब तक उसे 'डंकिन साहब का राज्य' के नाम से उल्लेख करती है। केवल दरबार के कुछ सामन्त और कानकारियों को यह पसन्द न होगा।"[55] 11 फरवरी सन् 1854 को मि. जे. लोने द्वारा वक्तव्य गवर्नर जनरल के समक्ष पेश किया गया। 20 फरवरी को एक छोटे से मिनिट (लेख) द्वारा कौंसिल मि. हालिडे ने लार्ड डलहौजी की नीति का समर्थन किया। 2 फरवरी को लार्ड डलहौजी ने मि. लोने की टिप्पणी का उत्तर देते हुए साफ प्रकट कर दिया कि नागपुर का राजा खालसा किया गया, ये सब कागजात 4 मार्च को गवर्नर जनरल ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टरों की मंजूरी के लिए विलायत भेज दिए जिनका उत्तर 11 जून को कलकत्ता पहुँचा और उसमें विलायत की कोर्ट ने लार्ड डलहौजी की लैप्स नीति का समर्थन किया। इधर 7 मार्च को गवर्नर जनरल के मंत्री मि. ग्रांट ने रेसीडेण्ट मि. मनशील को यह सूचित किया का नागपुर का राज्य खालसा किया गया। इस नवीन राज्य का कमिश्नर पद रेसीडेण्ट को सौंपा गया और साथ ही साथ यह भी सूचित किया गया कि वह मि. जैकिन्स की नीति का अवलोकन करें, एक इतिहास लेखक ने लिखा है कि नागपुर का राज्य खालसा करने से मेन्चेस्टर की मिलों के लिए आवश्यक रुई ने ब्रिटिश न्याय के कान बंद करके उसे बहरा बना दिया और आँखों में पड़कर अंधा कर दिया। डलहौजी ने नि:संदेह नागपुर राज्य के साथ अन्याय किया। अँग्रेज इतिहास लेखक टारेन्स आर्नाल्ड और बेल ने भी इस कार्य की निन्दा की है।[56]

नागपुर राज्य के ब्रिटिश शासनान्तर्गत सम्मिलित होने पर सन् 1854 में छत्तीसगढ़ के प्रशासन के लिए एक अलग से डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति की गई जिसका मुख्यालय रायपुर था। छत्तीसगढ़ के प्रशासन का कार्यभार ग्रहण करने वाला पहला व्यक्ति कैप्टन इलियट था। उसके कार्यक्षेत्र में बस्तर भी

छत्तीसगढ़ में सम्मिलित था। सन् 1856 में क्षेत्र तीन तहसीलों में बंटा - रायपुर, धमतरी एवं बिलासपुर बने।[57]

## छत्तीसगढ़ के जमींदार -

छत्तीसगढ़ के इतिहास में जमींदारों का एक विशेष महत्व है क्योंकि यहाँ एक तो उनकी संख्या अधिक है और दूसरे उनका इतिहास भी खालसा भूमि के इतिहास से भिन्न है। छत्तीसगढ़ की भूमि का लगभग 1/3 क्षेत्र जमींदारों की सनक एवं कलह से भी प्रभावित था।[60] जमींदारों की वृद्धि एवं विकास हेतु डॉ. भगवान सिंह वर्मा ने तीन कारण माने हैं - (1) प्राकृतिक (2) सामाजिक (3) राजनीतिक।[61] बीहड़ एवं जँगली क्षेत्रों की छत्तीसगढ़ में अधिकता प्राचीन परम्परानुसार एक वर्ग या जाति के प्रमुख का होना[62] तथा केन्द्रीय शक्ति के प्रमुख के रूप में दूरस्थ क्षेत्र में नियुक्ति के कारण हुई है।[63] परन्तु जेन्किन ने सैनिक आवश्यकता[64] तथा टेम्पल ने शांति एवं व्यवस्था[65] हेतु इन्हें आवश्यक बताया।

सन् 875 से 1741 तक का हैहय कालीन शासकों का जमींदारों से संबंध ही वास्तविक छत्तीसगढ़ कालीन इतिहास है।[66] हैहय काल में वे जमींदार अधिनस्त होते हुए भी केन्द्रीय शक्ति की सहायता करते थे। 1741 में मराठों के आक्रमण के बाद जमींदारों से नये संबंध स्थापित किए गए।[67] इन्होंने तीन नई जमींदारियों का निर्माण किया - (1) राजनांदगांव, (2) छुईखदान तथा (3) खुज्जी। मराठों ने जमींदारों को केवल कर देने वाला आश्रित राज्य मात्र बना दिया। प्रत्येक जमींदार को एक निश्चित राशि 'टकोली' केन्द्रीय सरकार को देना अनिवार्य कर दी गई।[68] इसमें हमेशा मराठे वृद्धि करते रहते थे।[69]

सूबा शासन के समय जमींदारों के संबंध केन्द्रीय सत्ता से खराब हो गए थे।[70] ये शान्ति एवं व्यवस्था के लिए बहुत उपयोगी थे परन्तु केशव गोपाल की सूबेदारी के समय में छत्तीसगढ़ के जमींदार खुले रूप से मराठों के विरोधी हो गए थे।[71] मराठा सैनिक कर वसूल करने हेतु सैनिक बल का अकसर प्रयोग करते रहते थे।[72]

1818 से 1830 के ब्रिटिश नियंत्रण के दौरान अँग्रेजों ने छत्तीसगढ़ के जमींदारों और केन्द्रीय शक्ति के बीच संबंधों हेतु सर्वप्रथम लिखित स्पष्ट एवं नियमित बनाया[73] इस हेतु एग्न्यू ने विद्यमान व्यवस्था का पुनर्मूल्याँगन कर उसमें अनुकूल एवं आवश्यक परिवर्तन किया। जमींदारों के संबंधों को स्पष्ट और नियमित बनाने हेतु उन्हें एक निर्धारित दस्तावेज अर्थात् 'इकरारनामा' पर हस्ताक्षर

करने होते थे।[74] सोनाखान जमींदार से 17 फरवरी 1829 को हस्ताक्षरित विवरण इस प्रकार था -

1. मैं नागपुर सरकार के आदेश का पालन करूँगा और उसके खिलाफ किसी विद्रोह या षडयंत्र में भाग नहीं लूँगा।
2. मैं नागपुर राज्य के खिलाफ पनपने वाले सभी विद्रोहों की सूचना जो मेरी जानकारी में होगी दूँगा।
3. मैं निर्धारित वार्षिक भेंट टकोली नियमित रूप से दो किश्तों में नागपुर सरकार को दूँगा।
4. नागपुर सरकार के नाम जो सायर होगा पटाऊँगा और मैं अन्य कोई टैक्स वसूल नहीं करूँगा।
5. अपनी जमींदारी क्षेत्र में आने वाले यात्रियों और व्यापारियों को पूरी सुरक्षा प्रदान करूँगा।
6. यदि कोई अपराधी मेरे राज्य में शरण लेगा तो मैं उसकी सूचना तत्काल नागपुर सरकार को दूँगा और उसे उसके सुपुर्द कर दूँगा।
7. मैं नागपुर राज्य की पूर्वानुमति के बिना किसी को अपने राज्य में मृत्यु दण्ड नहीं दूँगा। मैं केवल ऐसे अर्थ दण्ड देने का अधिकारी रहूँगा जिसकी मुझे स्वीकृति होगी।
8. मैं किसी मृत व्यक्ति की जायदाद को उसके वास्तविक उत्तराधिकारी के अभाव में जब्त नहीं कर सकूँगा।
9. मैं किसी अन्य जमींदार से युद्ध नहीं करूँगा और इस बाबत उठने वाले विवाद को निर्णय हेतु नागपुर सरकार को सौंप दूँगा।
10. मैं अपने क्षेत्र में शांति और सुव्यवस्था बनाये रखूँगा और प्रजा की प्रगति हेतु यथा संभव प्रयास करूँगा।[75]

बस्तर जमींदार के साथ एग्न्यू ने 1819 में समझौता किया था।[76] इसकी विशेषता यह थी कि इसमें बस्तर के शासक के न्यायिक अधिकारों को नहीं छीना गया था। वह कभी कभी नाक कान भी कटवा देता था।[77] ब्रिटिश नियंत्रण काल में 27 जमींदारी छत्तीसगढ़ में थीं[78], 1826 में सम्बलपुर एवं सरगुजा जमींदारी छत्तीसगढ़ से पृथक कर दी गई थी।[79] अँग्रेज समय-समय पर जमींदारों से समयानुकूल शर्तों में परिवर्तन करते रहते थे।[80]

पहले केन्द्रीय शक्ति, जमींदारों से संबंध मधुर बनाने के लिए भेंट भी देती थी, जिसे कुछ समय बाद समाप्त कर दिया गया।[81]

जमींदारों से संबंध स्थापित करने के लिए सरकार समय-समय पर विविध नीतियाँ अपनाती थी जैसे - आक्रमण कार्य रोकने हेतु ब्रिटिश सेना भेजना[82] न्याय अधिकारों में कटौती करना[83] व्यक्तियों को अँग्रेजों से अपील करने की छूट देना तथा जमींदारों के यात्री कर सायर वसूल करने के अधिकार छीनना।[84] जमींदार सार्वभोम शक्ति नहीं रह गए थे।[85] जमींदारों को कालान्तर में दो श्रेणियों में विभाजित किया गया - (1) सामंत या जमींदार तथा (2) साधारण जमींदार।[86]

रघुजी तृतीय के समय जमींदारों से जब करों की वसूली मराठों ने अधिक कर दी तो उन्होंने ब्रिटिश रेसीडेण्ट से लिखित रूप में शिकायत की।[87] उदाहरण-स्वरूप कवर्धा जमींदार पर वृद्धि की गई तथा रेसीडेण्ट पर शिकायत करने पर वापस कर ली गई।[88] खैरागढ़ के राजा ने तो नागपुर के शासक के खिलाफ गवर्नर जनरल से भी शिकायत की थी। शिकायत की जाँच रेसीडेण्ट द्वारा की गई थी।[89]

अँग्रेजों के समय छत्तीसगढ़ में 14 फ्युडेटरी चीफ थे।[90] बस्तर, कांकेर, खैरागढ़, कालाहाण्डी, पटना, सोनपुर, रेडाखोल, वामरा में राजपूत वंश, रायगढ़, सारंगढ़ में गौंड, सक्ती कवर्धा में राजगौड तथा राजनांदगांव दुई खदान में वैरागी वंश शासन कर रहे थे।[91] इनमें भमरकूट या चक्रकूट या बस्तर 13062 वर्ग मील लम्बी सबसे बड़ी रियासत थी जब कि सक्ती सबसे छोटी थी।

अँग्रेजी शासन के पूर्व जमींदारी में राजस्व संबंधी हिसाब किताब लिखित नहीं होता था और कर निर्धारण प्रक्रिया भी निश्चित न थी।[92] जान पड़ता है कि भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार न था और सारी जमीन राज्य की संपत्ति के रूप में मानी जाती थी।[93] अत: अँग्रेजों ने पहले पूर्ववत ठेके में देने की प्रथा चलाई फिर रैयतवारी प्रथा जारी की।[94]

डॉ. भगवान सिंह वर्मा के अनुसार छत्तीसगढ़ क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग जमींदारी क्षेत्र के अंतर्गत था। जमींदारों के अधिकार में बड़ी मात्रा में जमीन थी और उनका यह अधिकार ज्येष्ठाधिकार सिद्धान्त के अनुसार अनेक वर्षों से चला आ रहा था। ये पहले जमींदार या छोटे सरकार के रूप में विख्यात थे। जमींदारों द्वारा केन्द्रीय शक्ति को पटाई जाने वाली टकोली का ब्यौरा[95] जिसमें 27 जमींदारियों का तथा उनसे वसूल की जाने वाली 128032 रुपये 1 आने 3 पाई प्राप्त होने का विवरण है।[96] जमींदारियों के नाम इस प्रकार हैं -

बस्तर, करौंद, कांकेर, खुज्जी, पेंड्रा, मातिन, उपरदा, (उपरौड़ा), केन्दा, लाफा, छुरी, कोरबा, चांपा, कवर्धा, पंडरिया, भटगाँव, सुअरमार, नर्रा, सोनाखान, बिलाईगढ़, कटंगी, राजनांदगाँव, खैरागढ़, कोंडका, गंडई, सोहागपुर, ठाकुरटोला एवं डोंगरगढ़।

इसी समय छत्तीसगढ़ के पूर्वी क्षेत्र सोनाखान जमींदारी में एक असंतोष की चिनगारी सुलग रही थी। सोनाखान के युवा जमींदार नारायण सिंह ने सन् 1856 से ही देश सेवा की भावना का परिचय देना शुरू कर दिया तथा 1857 की जनक्रांति के समय उसके नेतृत्व में एक आंदोलन प्रारंभ हुआ, उसने अँग्रेजों से जमकर संघर्ष किया।[97]

छत्तीसगढ़ की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक गरिमा अपने वैशिष्ट के अनुकूल है, यह क्षेत्र अपने देश के मध्य, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है यहाँ पर सर्वधर्म समभाव की भावना सदियों से विद्यमान है प्रशासनिक परिवर्तन के साथ ही इस अंचल के इतिहास पर प्रभाव पड़ा। 1854 में ब्रिटिश प्रशासनकाल के आरंभ के अंतर्गत खालसा एवं जमींदारी क्षेत्र के रूप में यह क्षेत्र विभक्त था, ब्रिटिश नियंत्रण की प्रतिक्रिया दोनों क्षेत्रों में हुई किन्तु सुदृढ़ प्रशासनिक शक्ति के सामने वे नतमस्तक हो गए परिणामत: नागपुर राज्य के अंतर्गत कुछ समय के लिए छत्तीसगढ़ प्रान्त का गठन हुआ। इसके पश्चात् समय-समय पर प्रशासनिक परिवर्तन के अनुकूल भौगोलिक परिसीमाओं में परिवर्तन होता रहा। छत्तीसगढ़ में अँग्रेजी राज्य की स्थापना की व्यापक प्रतिक्रिया महानदी घाटी की सोनाखान जमींदारी में हुई। इस अंचल में क्रांति या जनांदोलन प्रज्ज्वलित करने का श्रेय सोनाखान क्षेत्र को जाता है। केप्टन इलियट के द्वारा छत्तीसगढ़ में प्रशासन कार्य संभालने के पश्चात् यहाँ के जमींदारों, धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक कार्यों से संबंधित जानकारियाँ एकत्रित की गई तद्नुसार इस क्षेत्र में ब्रिटिश प्रशासन की नींव को सुदृढ़ करने का कार्य प्रारंभ हुआ।[98]

छत्तीसगढ़ क्षेत्र तो अँग्रेजों के नियंत्रण में उसी दिन अप्रत्यक्ष आ गया था जिस दिन अँग्रेजों ने नागपुर के भोंसला शासक से सहायक संधि की। सर जान मालकम ने लिखा है - "भारत की वास्तविक स्थिति की पृष्ठ-भूमि में नागपुर के साथ सहायक संधि से अधिक सौभाग्यपूर्ण कोई अन्य घटना नहीं हो सकती थी।"[99]

अँग्रेजों की यह तीव्र आकांक्षा रही थी कि इस क्षेत्र को अपनी प्रभाव परिधि में ले आएँ जिससे उत्तर और दक्षिण के उन क्षेत्रों के बीच के अंतर को पाटा जा सके जो उनकी अधिकता स्वीकार कर चुके थे।[100] पूर्व और पश्चिम की दृष्टि से भी यह क्षेत्र महत्वपूर्ण था। सही अर्थों में उत्तर-दक्षिण एवं पूर्व-पश्चिम भारत को जोड़ने में इस अंचल की भूमिका महत्वपूर्ण थी। आर्थिक, राजनैतिक सभी दृष्टि से अँग्रेजों के लिए लाभप्रद था। कालांतर में उनकी मराठा संघ या दक्षिण में प्रतिनीति के लिए लाभप्रद सिद्ध हुआ। व्यापारिक मार्ग भी प्रशस्त हुआ।[101] भोंसला शासक को अँग्रेजों के नियंत्रण में रखने की नीति अपनाई गई। प्रिंसेस ने स्पष्ट लिखा है - "मि. जेंकिन ने इस सिद्धान्त को स्वीकार करने और इसके अनुसार कार्य करने का निश्चय कर लिया था कि भोंसला राज्य के प्रधान को मात्र दिखावे का रूप दे दिया जाए और अँग्रेजी सरकार की आंतरिक एवं विदेशी प्रशासन के प्रत्येक विभाग का नियंत्रण इस सीमा तक दे दिया जाए कि मंत्री मंडल भी उसके द्वारा मनोनीत हो।"

"राजा अपने हितों तथा जनता की समृद्धि और दोनों राज्यों के पारस्परिक कल्याण से संबंधित सभी विषयों पर अँग्रेजी सरकार के परामर्श पर सदा अधिक से अधिक ध्यान देने की और अँग्रेजी सरकार का विश्वास प्राप्त करते हुए अपनी सरकार के काम-काज का संचालन अपने मंत्रियों और अन्य पदाधिकारियों द्वारा संचालित करने के लिए बाध्य होगा, सेना के सदैव अँग्रेज अधिकारियों के नियंत्रण में रहता था। राजा की ओर से बुरा शासन होने पर प्रदेश की व्यवस्था पुनः ग्रहण करने का उपबंध भी संधियों में था। इन्हीं शर्तों पर रेसीडेण्ट ने राजा की अल्पवयस्कता समाप्त होने पर शासन सौंपा। राजा की क्षमता के अनुकूल प्रदेश सौंपा गया शेष पर अँग्रेजों का संरक्षण काल सदृश्य शासन था। अँग्रेजों का विश्वास था कि वह जनता को एक बार जनहित के लिए सचेष्ट तथा न्यायनिष्ठ अँग्रेज अधिकारियों द्वारा संचालित शासन व्यवस्था की अभ्यस्त हो चुकी है वह देशी स्वेच्छाचारी शासक के लोभी कार्यवाहकों के आज्ञा के पालन के लिए कभी तैयार न होगी।"[102]

छत्तीसगढ़, देवगढ़ और चांदा तीन भाग नागपुर राज्य के किए गए, प्रत्येक में कलेक्टर उपाधि के एक अँग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की गई थी जो बाद में सुपरिण्टेण्डेण्ट कहलाया। राजस्व वसूली छोटे भारतीय अधिकारी करते थे। नगरी राजस्व का निर्धारण हुआ। तदानुसार कृषकों को खेती करने की अनुमति दी गई पर अँग्रेजों की व्यवस्था प्राचीन पंचायत व्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर

दिया उनकी नीति के प्रभाव ने जनता को निर्धन बना दिया और उनके मन में विद्रेष की भावना जगा दी। सर जान मालक ने लिखा है - "नीति से स्वभावत: आन्दोलन और आतंक को उत्तेजना मिलती है, निराशा और असंतोष की परिणति आतंक और विस्मय में होती है।"[103] अँग्रेजों ने जहाँ राज्य प्रारंभ किया वहाँ भ्रष्टाचार के अतिरिक्त कुछ भी पनपता दिखाई नहीं देता था। अभागी जनता को क्रूरता से दबाया जाता था और उससे संगीन की नोक या तलवार की धार पर बलपूर्वक इच्छित रकम वसूल कर ली जाती थी।[104]

भोंसला राजा के अल्पवयस्क काल में रेसीडेण्ट द्वारा लागू की गई शासन व्यवस्था छत्तीसगढ़ ने इतनी गहरी जड़ें जमा चुकी थी कि किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना संभव नहीं था। महाराज रघुजी भोंसले (तृतीय) के शासन काल में ऐसी कोई घटना नहीं हुई जो महत्वपूर्ण व उल्लेखनीय हो किन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इस राजा का शासन बड़ी ही शांतता से बीता।[105]

नागपुर और छत्तीसगढ़ पर सन् 1853 तक भोंसला वंश का शासन था इस समय तक उद्योग और वाणिज्य की दृष्टि से यह राज्य पूर्ण स्वावलम्बी था। लोग ग्राम और नगर की समस्त आवश्यकताएँ ग्राम में ही निर्माण करते थे। ऊँचा से ऊँचा और सुन्दर कपड़े बुनने वाले कोष्टी राज्य में थे। वे लोग घर में चरखे द्वारा काता सूत ही काम में लाते थे। रेशमी किनारी की धोतियाँ, साड़ियाँ, सारे देश में प्रसिद्ध थे। ग्रामीण जनता के लिए मोटा कपड़ा गाँव-गाँव में लोग बुनते थे और सूत भी गाँव में तैयार होता था। छत्तीसगढ़ मोटे कपड़े के अतिरिक्त कोसे के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। रतनपुर, रायपुर, मंडला के कांसे पीतल के बर्तन प्रसिद्ध थे।

पुराने कागजातों के आधार पर 1845 में पादरी हिस्लाप का नागपुर क्षेत्र में आने और धर्म प्रचार का उल्लेख मिलता है। बाद में इन लोगों ने अछूत और आदिवासियों में अपना कार्यारंभ किया, दवाखाना, पाठशालाएँ खोलीं। उड़ीसा, मध्यप्रदेश में वे सक्रिय थे।

अँग्रेज अधिकारियों के अधिकार किसी स्वेच्छाचारी राजा से कम नहीं थे। उनके भारतीय नायब सारे कागजात तैयार करते थे, साहब केवल हस्ताक्षर करते थे। साहब दौरा करना पसंद करते थे। वे मद्यपान, शिकार और आदिम जातियों के नाच का आनंद भी लेते थे। वे सोचते थे प्रत्येक भारतीय गुलाम है जहाँ से गुजरते लोगों को खड़े होकर सलामी देनी पड़ती थी। सवारी या घोड़े पर जाने वाले सभ्य पथिक को उतर कर सलामी देनी होती थी। दुकानदार

बाहर छपटी में आकर सलामी देता था। एक साधारण साहब को भी सलाम करने की प्रथा नगर और गाँवों में चल पड़ी थी। बेगारी ली जाती थी दौरे का भय लोगों को वहन करना होता था।

अँग्रेज शासन के आधार स्तंभ, राजाओं की इस तरह अवस्था थी। 15 रजवाड़ों के प्रदेश में 116 जमींदार थे ये लोग शासन की ओर से भयमय ग्रामों की व्यवस्था करते थे और निश्चित टकौली सरकारी खजाने में जमा करते थे।

अँग्रेज और भारतीय सैनिकों की (घुड़सवारमय तोपखाने सहित) छावनियाँ थीं और रायपुर, सम्बलपुर में केवल भारतीय सैनिकों की इन्फेन्ट्री रखी गई थी तमाम पल्टन पूरे शस्त्र के साथ नगर और ग्रामों के रास्ते से गुजरती थी जिससे लोग उन्हें देखें और मन में जान लें कि ब्रिटिश शासन शक्तिशाली है। लोगों पर उसका नैतिक प्रभाव होता था। सेना के छावनी के निकट वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियाँ बसायी जाती थीं। इससे युवक सैनिक असंयत जीवन निभाते थे प्रोत्साहित होते थे वहाँ से उत्पन्न बीमारियाँ समाज में प्रसारित होती थीं। सैनिक विभाग ही उक्त नौकरी गोरों को दी जाती थी। उस समय नागपुर से रायपुर-सम्बलपुर प्रमुख सड़क थी।[106]

मि. प्लावडन ने 19 जून 1855 को नागपुर कमिश्नर का कार्यभार ग्रहण किया। उसने नागपुर, छत्तीसगढ़ क्षेत्र का प्रतिवेदन तैयार कर प्रेषित किया। सी. बेडन, भारत सरकार के सचिव ने, जी प्लावडन को पत्र 24, दि. 1855 को भेजा जिसमें नागपुर प्रान्त के हिसाब व व्यवस्था का जिक्र केप्टन इलियट के पत्र के परिप्रेक्ष्य में किया गया था, अब अँग्रेजों की जमींदारों की, मंदिरों की, ब्राह्मणों के भत्ता आदि की व्यवस्था करनी थी पश्चात् एक निश्चित अर्थ प्राप्ति का प्रयास भी किया जाता था।[107]

ब्रिटिश संरक्षण एवं ब्रिटिश नियंत्रण काल की चक्की के दो पाट के मध्य रघुजी भोंसले तृतीय की शासन नीति पीस रही थी। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में एक प्रशासनिक अस्तव्यस्तता थी। भोंसला शाही एवं अँग्रेज शाही प्रशासन के नौकरशाही व्यवहार ने यहाँ के जन जीवन को त्रस्त कर दिया था। सिमगा निवासी तत्कालीन साहित्यकार खण्डे राव[108] की कृति में समसामयिक राजनीति के प्रति एक अच्छा वर्णन मिलता है। जिसमें जनता के दुख-दर्द और प्रशासनिक अधिकारी तथा कर्मचारियों के व्यवहार का वर्णन है। सुख, शांति और वैभव प्राय: लुप्त हो रहा था। नागपुर दरबार को सिर्फ 'रुपया' चाहिए था और वे छत्तीसगढ़ को पके फल के वृक्ष सा समझते थे जब मन में आया हिला लिया और जितना चाहे उठा लिया। जनता को उपज का एक बहुत बड़ा भाग बेचकर

कर देना पड़ता था। अनाज सस्ता हो गया। धान के कटोरे का चांवल नागपुर जाने लगा और वहाँ से फिर आगे बहुत दूर छत्तीसगढ़ की जनता की शोषण का एक अंग बना लिया गया जब आवश्यकता हुई अँग्रेज अधिकारी दौरे पर निकले, जमींदारों को बुलाया और वसूली की, जमींदार खिझकर अपने इलाके की जनता से वसूली करता था इस प्रकार एक आर्थिक शोषण का युग आरंभ हुआ। इन्हीं परिस्थितियों में 1856 के वर्ष में मानसून के विलंब से आने के कारण अकाल की संभावना बढ़ गई। चालाक व्यापारियों ने अनाज गोदाम में दबा दिया। जनता याचना करती रही पर कोई सुनवाई नहीं थी, पैसे ने कई जमींदारों के कर्तव्य द्वार को बंद कर दिया था। इन्हीं परिस्थितियों में सोनाखान के जमींदार नारायण सिंह बिंझवार ने जनता के दुखदर्द को समझते हुए उनकी ओर से मोर्चा संभाला और जनहित में वही कार्य किया जो एक कुशल प्रशासक करता किन्तु अँग्रेजों के लिए एक सुअवसर मिल गया और व्यापारी की शिकायत पर जमींदार को गिरफ्तार कर लिया गया जबकि जमींदार ने परिस्थितियों का जिक्र करते हुए अँग्रेज अधिकारी को अवगत करा दिया था।

छत्तीसगढ़ में सोनाखान जमींदारी का अपना एक अलग अस्तित्व था स्वतंत्र टकौली आदि का कोई जबरिया धन नहीं बल्कि सरकार से उस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए राशि मिलती थी। जिस धरती में सोना की खान हो, जहाँ जब भावना को समझने वाला वीर नारायण सिंह जैसा इंसान हो उसके व्यक्तित्व को मिटाने की असफल चेष्टा लोगों ने की। 1856-57 का वर्ष न केवल छत्तीसगढ़ वरन् पूरे देश के लिए एक संक्रमण काल था, लार्ड डलहौजी की व्यपगत के सिद्धान्त रूपी अजगर ने कुछ राज्यों को निगल तो लिया पर पचा न सका और वे राज्य उस नीति का पेट फाड़कर 1857 के विप्लवाग्नि के रूप में बाहर आ गये। छत्तीसगढ़ भी इसमें शरीक हुआ इसका योगदान भी इतिहास में एक अविस्मरणीय पृष्ठ बन गया।[109]

## संदर्भ विवरणिका :


1. *मिश्र, रमेन्द्र नाथ - ब्रिटिश कालीन छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक इतिहास पृष्ठ - 1।*
2. *अग्रवाल, प्रेमचन्द्र - छत्तीसगढ़ बेसिन, इंडिया रीजनल स्टडीज - पृष्ठ- 267।*
3. *श्रीवास्तव, श्रीमती रमन - ब्रिटिश पेरामाउण्ट्सी एण्ड छत्तीसगढ़ रूलर्स, पृष्ठ- 1।*
4. *एग्न्यू मेजर, पी. वान्स - ए रिपोर्ट ऑन द सूबा ऑफ प्राविंस छत्तीसगढ़ रीजन, पृष्ठ- 24+1820।*
5. *झा, सुभाष दत्त - छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक इतिहास, पृष्ठ- 1।*

6. अग्रवाल, पी.सी. - छत्तीसगढ़ बेसिन इंडिया रीजनल स्टडीज, पृष्ठ 26 ।

7. मिश्र, रमेन्द्र नाथ - ब्रिटिश कालीन छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक इतिहास, पृष्ठ- 1 ।

8. मिश्र, रमेन्द्र नाथ-शोध प्रबंध पृष्ठ- 10, ब्रिटिश कालीन छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक इतिहास (अप्रकाशित)

9. बिलासपुर जिला गजेटियर-पृष्ठ- 38, (1910) शुक्ल प्रयाग दत्त-सतपुड़ा की सभ्यता पृष्ठ- 143 में इसका अभ्युदय मुस्लिम काल में मानते हैं परन्तु साहित्य में इसका प्रयोग दलपतराव एवं बाद में गोपाल मिश्र ने 1689 में किया था पश्चात बाबू रेवाराम ने इसका प्रयोग किया था कोसल देश के रूप में तो यह ईसा पूर्व 600 के रूप में उल्लिखित है।

10. मिश्र, रमेन्द्र नाथ-ब्रिटिश कालीन छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक इतिहास, पृ.- 16

11. गुप्त, प्यारे लाल-प्राचीन छत्तीसगढ़ पृष्ठ- 40, 41 ।

12. नेल्सन, रायपुर डिस्ट्रिक गजेटियर 1909 पृष्ठ- 2 ।

13. मिश्र, रमेन्द्र नाथ-शोध प्रबंध पृष्ठ- 45 (डॉ. वेगलर के मत पर आधारित)

14. गुप्त, प्यारे लाल, प्राचीन छत्तीसगढ़ पृष्ठ- 42 ।

15. व्यक्तिगत पर्यवेक्षण, छत्तीसगढ़ अंचल।

16. मिश्र, रमेन्द्र नाथ-पूर्वोक्त ग्रन्थ पृष्ठ- 5 ।

17. रायबहादुर हीरालाल-मध्य प्रदेश का इतिहास, पृष्ठ- 5 ।

18. मिश्र, रमेन्द्र नाथ-पूर्वोक्त पृष्ठ- 5 ।

19. एग्न्यू रिपोर्ट, पृष्ठ- 8 ।

20. व्यक्तिगत पर्यवेक्षण।

21. झा, सुभाष दत्त-पूर्वोक्त पृष्ठ- 4,5 ।

22-अ गुप्त प्यारे लाल-छत्तीसगढ़ में मुस्लिम सत्ता एवं सभ्यता-महाकोशल इतिहास परिषद शोध पत्रिका खण्ड- 4, पृष्ठ 48-52 ।

22-ब वर्मा, ठाकुर भगवान सिंह-छत्तीसगढ़ का इतिहास, पृष्ठ- 160 ।

23. मिश्र, रमेन्द्र नाथ-पूर्वोक्त, पृष्ठ- 6 ।

24. रायपुर जिला गजेटियर पृष्ठ- 51, 52 एवं एग्न्यू रिपोर्ट पृष्ठ- 3 ।

25. रंगनाथ मुकुन्द-छत्तीसगढ़ में मराठा शासन एवं बिंबा जी भोंसले (शोध प्रबंध) पृष्ठ- 69 ।

26. इम्पीरियल गजेटियर आफ इंडिया पृष्ठ- 45 ।

27. शास्त्री पंडित शिवदत्त-रतनपुर इतिहास समुच्चय पृष्ठ- 42 ।

28. बिलासपुर गजेटियर पृष्ठ- 42 ।

29. रंगनाथ मुकुन्द:-पूर्वोक्त, पृष्ठ- 75 ।
30. रेवाराम, बाबू-तवारीख-ए-हैहयवंशी राजाओं की पाण्डुलिपि पृष्ठ- 14 ।
31. रंगनाथ, मुकुन्द-पूर्वोक्त पृष्ठ - 78 ।
32. बिलासपुर गजेटियर, पृष्ठ- 43 ।
33. रंगनाथ, मुकुन्द-पूर्वोक्त, पृष्ठ- 121 ।
34. मिश्र, प्रभूलाल-पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़, पृष्ठ- 109 से 149 ।
35. रेब्रजे रिपोर्ट आन द नागपुर स्टेट डाउन टू 1845 पृष्ठ- 17 एवं पूना रेसीडेन्सी रेकार्ड भाग- 5, पृष्ठ- 447 ।
36. पूर्वोक्त ।
37. मिश्र, प्रभुलाल-पूर्वोक्त पृष्ठ- 150 ।
38. पूर्वोक्त-पृष्ठ- 151 ।
39. पोलीटिकल एण्ड मिलेट्री ट्रांजिक्शन इन इंडिया भाग- 1, पृष्ठ- 365-प्रिंसेप ।
40. महाराष्ट्र स्टेट गजेटियर, भाग- 3, पृष्ठ - 179 ।
41. एचीसन- ट्रीटीज़, सनदस एण्ड एँगेजमेन्ट्स पार्ट- 4, पृष्ठ- 419 ।
42. ठाकुर भगवान सिंह-छत्तीसगढ़ का इतिहास पृष्ठ- 57
43. वही ।
44. प्रिन्सेप-पालीटिकल एण्ड मिलेट्री ट्रांजिक्शन भाग- 1, पृष्ठ- 426 ।
45. महाराष्ट्र स्टेट गजेटियर भाग- 3, पृष्ठ- 180 ।
46. ठाकुर भगवान सिंह पूर्वोक्त पृष्ठ 58-59 ।
47. ठाकुर भगवान सिंह पूर्वोक्त पृष्ठ- 59 ।
48. ए. स्ट्रेक्ट आफ द लेटर आफ द रेसीडेण्ट दिनांक 30-12-1817 ।
49. ठाकुर भगवान सिंह वर्मा-पूर्वोक्त पृष्ठ- 61 ।
50. लैटर नं. 210 फ्राम एडम टू जेन्किन्स 1818 ।
51. जेन्किन्स रिपोर्ट आन द टैरीटरीज आन द राजा आफ नागपुर 1827 पृष्ठ- 96 ।
52. शुक्ला, श्रीमती शान्ता-छत्तीसगढ़ का सामाजिक आर्थिक इतिहास पृष्ठ- 20 ।
53. शुक्ला, श्रीमती शान्ता-छतीसगढ़ का सामाजिक आर्थिक इतिहास, पृष्ठ- 20 ।
54. 28 जून 1854 को डल्हौजी द्वारा लिखित एक प्रस्ताव का सार-हड़प नीति पृष्ठ- 185 ।
55. शुक्ल, प्रयाग दत्त-मध्यप्रदेश का इतिहास एवं नागपुर के भोंसले 1930, पृष्ठ-191-198 ।
56. रायपुर गजेटियर, पृष्ठ- 61 ।

57. मिश्र, रमेन्द्र नाथ-छत्तीसगढ़ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, पृष्ठ- 29 ।
58. सिंह-राजेंद्र-रायपुर गजेटियर, 1973, पृष्ठ- 73 ।
59. मिश्र, रमेन्द्र नाथ पृष्ठ- 15 पूर्वोक्त पुस्तक।
60. ठाकुर भगवान सिंह-पृष्ठ 121-पूर्वोक्त।
61. इम्पीरियल गजेटियर भाग- 2 सी.पी. पृष्ठ- 73 ।
62. माल्कम- ए मेमायर्स आफ सेन्ट्रल इंडिया भाग- 2, पृष्ठ- 7 ।
63. इम्पीरियल गजेटियर सी.पी. भाग- 2, पृष्ठ- 73 ।
64. जेन्किन्स रिपोर्ट पृष्ठ- 133 ।
65. टेम्पल रिपोर्ट, पृष्ठ- 4 ।
66. राय बहादुर, हीरालाल, पूर्वोक्त पृष्ठ- 48 ।
67. ठाकुर, भगवान सिंह, पूर्वोक्त पृष्ठ- 125 ।
68. ठाकुर, भगवान सिंह पूर्वोक्त पृष्ठ- 125 ।
69. चीजम सेटेलमेन्ट रिपोर्ट-पृष्ठ- 99 ।
70. फारेस्टर अर्ली यूरोपियन ट्रेवलर्स इन नागपुर टैरीटरीज पृष्ठ- 66 ।
71. क्रोलब्रुक रिपोर्ट-नेशनल आर्काइव्ज रेकार्ड दिल्ली भाग- 1, पृष्ठ- 30 ।
72. ठाकुर भगवान सिंह-पूर्वोक्त पृष्ठ- 125 ।
73. चीजम रिपोर्ट-पृष्ठ- 99 ।
74. टेम्पल रिपोर्ट-पृष्ठ- 4 ।
75. लेटर फ्राम रेसीडेण्ट टू द डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नमेंट आफ इंडिया पालीटिकल डिपार्टमेन्ट, दिनांक 20-1-1830 ।
76. फारेन पालीटिकल करेस्पाण्डेन्स फाईल नं. 33, 1830 ।
77. फारेन पालीटिकल करेस्पाण्डेन्स फाईल नं. 33,1830 ।
78. एचीसन वही भाग- 4 पूर्वोक्त ग्रन्थ पृष्ठ- 438 ।
79. पूर्वोक्त भाग- 1, पृष्ठ- 109 ।
80. फारेन एण्ड पालीटिकल करेस्पाण्डेन्स फाईल नं. 80, आफ 1830 ।
81. फारेन पालीटिकल करेस्पाण्डेन्स फाईल नं. 58 आफ 1827 ।
82. लैटर फ्राम रेसीडेण्ट टू सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट दिनांक 22-12-1839 ।
83. ठाकुर भगवान सिंह पृष्ठ- 130, पूर्वोक्त।
84. जेन्किन्स रिपोर्ट पृष्ठ- 135 ।
85. क्रेडाक रिपोर्ट, पृष्ठ- 4 ।

86. गवर्नमेंट आफ इंडिया रिप्लाई नं. 628 फारेन डिपार्टमेंट दिनांक 8-12-1864 ।

87. फारेन पालीटिकल करेस्पाण्डेन्स फाईल नं. 102, आफ 1839 ।

88. चीजम रिपोर्ट, पृष्ठ- 59 ।

89. फारेन एण्ड पालीटिकल करेस्पाण्डेन्स फाईल नं. 42, 1839 ।

90. झा, पं. बाल शास्त्री-धर्मवंश. पृष्ठ- 35 ।

91. डोरी लाल-मध्यप्रदेश का भूगोल 1877, पृष्ठ- 59-60 ।

92. पावेल वेडेन, लैंड सिस्टम आफ द ब्रिटिश इंडिया भाग- 3, पृष्ठ- 29 ।

93. ठाकुर, भगवान सिंह पृष्ठ- 134 ।

94. पावेल वेडेन, वही पृष्ठ- 31 ।

95. एचीसन पूर्वोक्त भाग- 4 पृष्ठ- 438 ।

96. फारेन पालीटिकल करेस्पाण्डेन्स फाईल नं. 33 आफ 1830 ।

97. मिश्र, रमेन्द्र नाथ पूर्वोक्त पृष्ठ- 15 ।

98. पत्र क्रमांक 4550 दिनांक 24 दिसम्बर 1855 फोर्ट विलियम से सी. वेडवर्न भारत सरकार के मंत्री फारेन डिपार्टमेंट को लिखा गया नागपुर के कमिश्नर जी. प्लावडन का पत्र ।

99. लार्ड हेष्टिगज की व्यक्तिगत दैनंदिनी- 1 जून 1816 की निविष्ट ।

100. द्वारका प्रसाद मिश्र-मध्यप्रदेश से स्वाधीनता आन्दोलन का इतिहास पृष्ठ- 6 ।

101. रमेन्द्र नाथ मिश्र-छत्तीसगढ़ में अँग्रेजी राज, पृष्ठ- 31 ।

102. प्रिंसेस-ट्रान्जेक्शंस, खण्ड- 2, पृष्ठ 393 ।

103. सर जान मालकम-मेमौयर्स आफ सेन्ट्रल इंडिया-खण्ड- 2 ।

104. केमी-लाइफ आफ मेटकाफ-खण्ड- 2 ।

105. प्रयागदत्त शुक्ल-मध्य प्रदेश का इतिहास और नागपुर के भोंसले, पृष्ठ- 182 ।

106. प्रयाग दत्त शुक्ल-क्रांति के चरण-पृष्ठ- 2,15,16 के आधार पर ।

107. 1859- एडमिनिस्ट्रेशन आफ द नागपुर प्राविन्सेस-मि. प्लावडन कमिश्नर-1855-1859, पृष्ठ- 1 ।

108. खण्डे राव-राधा विनोद- 1838, । पाण्डुलिपि ।

109. डॉ. रमेन्द्र नाथ मिश्र-छत्तीसगढ़ में अँग्रेजी राज, पृष्ठ- 40 ।

■

**द्वितीय अधिकरण :**

# 1857 की क्रांति

सन् 1857 की क्रांति भारत में अँग्रेजी राज के इतिहास की सबसे जबरदस्त और सबसे महत्वपूर्ण घटना थी।[1] यह भारत की पवित्र भूमि से विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने का प्रयास थी।[2] वास्तव में यह भारतीय इतिहास के सीमा चिन्ह की तरह है। इस वर्ष विदेशी गुलामी से जकड़ा हुआ भारतीय जनमानस देश की आजादी के लिए कटिबद्ध हो उठा।[3] सन् 1857 की क्रांति की नींव वास्तव में सन् 1757 में प्लासी के मैदान में रखी गई थी।[4] प्लासी के युद्ध के बाद और 1857 के महाविद्रोह के बीच एक शताब्दी के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन के विस्तार के साथ-साथ विद्रोह एवं उपद्रव भी होते रहे। जिनमें प्रमुखत: मीरकासिम का विद्रोह, पहाड़ी जातियों का विद्रोह, कोल विद्रोह, संथालों का विद्रोह, उड़ीसा के जमींदारों का विद्रोह, खोड़ विद्रोह, असम के विद्रोह, खासी विद्रोह, मुस्लिम आंदोलन, सन्यासी विद्रोह, विजयानगरम के राजा का विद्रोह, ढोढजी वाघ का विद्रोह, राजा महिपतराम का विद्रोह, मुबारिजुदौला का विद्रोह, रामोसी विद्रोह, गड़करी विद्रोह, बघेला विद्रोह, भील विद्रोह, कोली विद्रोह, जोधपुर राजा मानसिंह का विरोध, गोरखपुर का विद्रोह, वजीर अली का विद्रोह, रोहिल्ला विद्रोह, हाथरस के दयाराम का विद्रोह, वली उल्लाही आंदोलन, 1806 का सिपाही विद्रोह (वेल्लौर), बुंदेला 1842 है।[5] इस प्रकार 1857 ई. का संघर्ष अँग्रेजों के 100 वर्ष के अत्याचार तथा शोषण का फल था। अँग्रेजों के विरुद्ध आवाजें निरंतर उठती रहीं और फिरंगियों के राज्य को समाप्त करने का प्रयत्न भी किया जाता रहा किन्तु 1857 ई. में दबी हुई चिनगारियों ने ज्वालामुखी का रूप धारण कर लिया।[6] मोटे तौर पर यह क्रमबद्ध विद्रोह तीन रूपों में सामने आया-नागरिक विद्रोह, आदिवासियों के उपद्रव और किसानों के आंदोलन तथा विद्रोह[7] वस्तुत: 1857 के इस स्वातंत्र्य संग्राम को प्रदीप्त करने वाले दिव्य तत्व "स्वधर्म व स्वराज्य" की भावना से युक्त जनता, सशस्त्र व सुसज्जित हो उठी। 1857 की क्रान्ति का बीज इसी महान व प्रेरक विचार में सन्निहित है।[8]

## विप्लव का स्वरूप-

ब्रिटिश इतिहासकारों के अनुसार 1857 का विस्फोट एक सिपाही या फौजी विद्रोह था। भारत सचिव ने अर्लस्टेनले ब्रिटिश संसद को 1857 की घटनाओं की रिपोर्ट देते हुए इसे सिपाही विद्रोह का नाम दिया। अधिकांश अँग्रेज लेखकों ने इनका अनुकरण किया। चार्ल्सवाल, जी डब्ल्यू फारेस्ट, टी.आर. होम्स, एम.इन्स, जे.डब्ल्यू. के.,जी.एफ. मैकमन,जी.वी. मैलसन, सी.टी. मैटकाफ, अर्ल रावर्टस[9] डिजराइली ने 27 जुलाई 1857 को हाउस आफ कामन्स में बोलते हुए सरकार के इस मत का खण्डन किया और यह कहा कि "यह आन्दोलन एक राष्ट्रीय विद्रोह था न कि सैनिक या सिपाही विद्रोह।"[10]

सावरकर की दृष्टि में 1857 की क्रांति 1857 का भारतीय स्वातंत्र्य समर था।[11] परन्तु प्रसिद्ध भारतीय विद्वान डा. आर.सी. मजुमदार ने इसे प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में मानने से इंकार कर दिया है।[12]

## विप्लव का उद्रभव एवं विकास-

10 मई 1857 को दिल्ली से 36 मील दूर मेरठ में गदर शुरू हुआ और उसके बाद उत्तर में पंजाब, दक्षिण में नर्मदा, पश्चिम में राजपूताना और पूर्व में बिहार तक बढ़ता गया। मेरठ में सिपाहियों ने अपने अफसरों को मारा और दिल्ली के लिए रवाना हुए। दूसरी सुबह को दिल्ली में पहुँचना वहाँ के सिपाहियों के लिए गदर का एक संकेत था। इन सिपाहियों ने शहर पर कब्जा कर लिया और बूढ़े बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित किया। इस प्रकार सिपाहियों ने गदर को एक क्रांतिकारी युद्ध में बदल दिया। इसके बाद सारे भारतीय सरदारों और जमींदारों ने विद्रोह में हिस्सा ले लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के प्रति अपनी वफादारी की शीघ्र घोषणा कर दी। जफर भारतीय एकता के प्रतीक बन गये थे।[13]

मार्क्स इस परिणाम पर पहुँचे थे कि भारत में ब्रिटिश हस्तक्षेपकारियों की लूट-खसोट की नीति तथा औपनिवेशिक शोषण के उनके बर्बर तरीके ही वे चीजें थी जिन्होंने भारतीय विद्रोह को जन्म दिया था।[14]

बुद्धिमान और व्यवहार विद् दार्शनिक लार्ड बेकन अपने एक प्रसिद्ध लेख में उन कारणों को गिनते हैं जो राजद्रोह और उपद्रवों को जन्म देते हैं। राजद्रोह (क्रांति) के कारण और प्रेरक तत्व है- धर्म में नए परिवर्तन करना, नए कर लगाना, कानूनों और प्रयासों में परिवर्तन, विशेषाधिकारों की समाप्ति, व्यापक दमन,

# सन् 1857 का राष्ट्रगीत

हम हैं इसके मालिक, हिन्दुस्तान हमारा,
पाक वतन है क़ौम का, जन्नत से भी प्यारा।
ये है हमारी मिल्कियत, हिन्दुस्तान हमारा,
इसकी रूहानियत से, रौशन है जग सारा;
कितना क़दीम कितना नईम, सब दुनिया से न्यारा,
करती हैं ज़रख़ेज़ जिसे, गंगो-जमन की धारा।
ऊपर बर्फीला पर्वत, पहरेदार हमारा;
नीचे साहिल पर बजता, सागर का नक़्क़ारा।
इसकी खानें उगल रहीं, सोना, हीरा, पारा,
इसकी शानोशौकत का, दुनिया में जयकारा।
आया फिरंगी दूर से, ऐसा मन्तर मारा,
लूटा दोनों हाथ से, प्यारा वतन हमारा;
आज शहीदों ने है तुमको, अहले वतन ललकारा,
तोड़ो गुलामी की ज़ंजीरें, बरसाओ अंगारा।
हिन्दू, मुसलमाँ, सिख हमारा भाई-भाई प्यारा,
ये है आज़ादी का झण्डा, इसे सलाम हमारा।

(सन् 1857 में क़ौमी झण्डे की सलामी पर जगह-जगह यह गीत गाया जाता था। असली गीत सन् 57 की क्रान्ति के खास अखबार 'पयामे-आज़ादी' में छपा था। 'पयामे आज़ादी' की यह प्रति ब्रिटिश म्यूज़ियम, लन्दन में सुरक्षित है।)

अयोग्य व्यक्तियों की उन्नति परदेशी, मंहगाई, सेना से हटाए गए सैनिक, हताश राज्य विरोधी और लोगों को क्रुद्ध करने का कोई भी कारण जो उन्हें समान उद्देश्य से संगठित कर देता है।[15]

1857 ई. का विप्लव का कारण प्लासी का बदला, राजघरानों के प्रति डलहौजी का बर्ताव, साधारण प्रजा के प्रति अँग्रेजों का बर्ताव, सहारनपुर का अँग्रेजी अस्पताल, दिल्ली सम्राट के प्रति अँग्रेजों का व्यवहार, डलहौजी की अपहरण नीति[16] नाना साहब के साथ अन्याय, भारतवासियों को ईसाई बनाने की आकांक्षा, धार्मिक भावों पर आघात, प्रशासकों का व्यवहार, सिपाहियों के साथ सलूक, दमदम की घटना, चर्बीवाले कारतूस (एनफील्ड रायफलों में प्रयोग किये जाते थे), मंगल पांडे को फाँसी (8 अप्रैल 1857), मेरठ की घटना (10 मई रविवार 1857) आदि परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है।

सन् 1857 की क्रांति वास्तव में भारत के हिन्दू और मुसलमान नरेशों और भारतीय जनता दोनों की ओर से देश को विदेशियों की राजनैतिक अधीनता से मुक्त कराने की एक जबरदस्त और व्यापक कोशिश थी।[17]

लंदन टाइम्स का विशेष प्रतिनिधि सर विलियम हावर्ड रसल जो सन् 1857 की क्रांति के समय भारत में मौजूद था, उसके विषय में लिखता है-

"वह एक ऐसा युद्ध था, जिसमें लोग अपने धर्म के नाम पर अपनी कौम के नाम पर, बदला लेने के लिए और अपनी आशाओं को पूरा करने के लिए उठे थे। उस युद्ध में समूचे राष्ट्र ने अपने ऊपर से विदेशियों के जुए को फेंक कर उसकी जगह देशी नरेशों की पूरी सत्ता और देशी धर्मों का पूरा अधिकार फिर से कायम करने का संकल्प कर लिया था।[18] सन् 1857 का आंदोलन ऐसा पहला आंदोलन था जिसका स्वरूप भारत व्यापी था इसने मेरठ से कोल्हापुर तक सभी स्थानों को प्रभावित किया था। इसमें हिन्दू और मुसलमान दोनों सम्मिलित थे। सेना के साथ-साथ नागरिक जनता ने भी इसमें योग दिया था।[19] 1857 में विदेशी हुकूमत के जुए को फेंक देने का आखिरी सशस्त्र प्रयत्न किया।[20] 1857 ई. के विप्लव में निम्नलिखित प्रमुख क्रांतिकारी सेनापतियों एवं नेताओं का सहयोग अविस्मरणी है- बहादुरशाह जफर, नाना साहब[21] तात्या टोपे, कुंवर सिंह, बख्त खाँ, खान बहादुर खाँ, मौलवी अहमदुल्लाह, अवध की बेगम जीनत महल[22] अजीमुल्ला खाँ, रंगो बापू जी, रानी लक्ष्मी बाई[23] सुरेन्द्र साय आदि।[23]

## मध्यप्रदेश में विप्लव

दिल्ली, मेरठ क्षेत्र के आप्लावित होने के केवल एक मास के भीतर ही नागपुर और सागर नर्मदा क्षेत्र राजा विप्लव की उत्ताल तरंगों से आलोड़ित होने लगा।[24] छोटा नागपुर में जो उस समय बंगाल का ही एक हिस्सा था पलामू-हजारीबाग, राँची, सिंहभूमि और संबलपुर के जिलों में विद्रोह हुआ।[25] मध्य भारत में ग्वालियर, इंदौर, भोपाल एवं महू में सैनिकों के विरोध स्वमुखरित हुए। सागर, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, नौगांव, नागपुर इत्यादि में विस्फोट हुआ। इन स्थानों में भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह किया और राजा वानपुर तथा गोंड राजा शंकर सिंह आदि राजाओं ने मदद की।[26] 13 अगस्त 1857 को गवर्नर जनरल के एजेन्ट कर्नल डूरण्ड ने मध्य भारत के विद्रोह का वर्णन किया है। भोपाल, सीहोर, तथा भील सेना का जिक्र किया है।[27] तात्या ने नर्मदा पार कर दक्षिण के शासकों से सहयोग की अपेक्षा की। नागपुर से तात्या को कोई सहायत नहीं मिल सकी[28] असीरगढ़, बुरहानपुर, औरंगाबाद, बेलगांव, कोल्हापुर और बम्बई की भारतीय सेनाओं और असन्तुष्ट मुसलमानों ने विद्रोह का षड़यंत्र किया। बेलगांव एवं धारवाड़ में भी यह असंतोष था। बम्बई में भी प्रयास हुआ। हैदराबाद एवं मद्रास में भी विद्रोह की कोशिश हुई। सिपाहियों का उद्देश्य था सिपाहियों को भड़काना और झूठी अफवाहों से सरकार के विरुद्ध घृणा एवं अविश्वास उत्पन्न करना।[29] प्रचार माध्यम का प्रतीक कमल एवं चपाती था।[30]

1857 को महान विप्लव ने मध्य प्रान्त को आप्लावित किया विप्लव समाचार से नागपुर में सैनिकों के मध्य एक जागृति उत्पन्न हुई। कामठी एवं सीतावर्डी में विद्रोह का प्रयास हो रहा था जिसमें अनियमित घुड़सवार सेना भी थी किन्तु रानी बाँकाबाई ने उनका साथ नहीं दिया।

डिप्टी कमिश्नर एलिस अपने प्रतिवेदन में लिखता है कि उसने सभी कुटुम्बियों ब्राह्मण सरदारों मराठों तथा मुसलमानों को लगभग 400-500 के बीच व्यक्तियों को बुलाया और उनमें से किसी के भी द्वारा शासन का विरोध करने अथवा शासन द्रोही कार्यवाही छिपाने की दशा में अपने हार्दिक कोप तथा दैवी अभिशाप का भय दिखाया। इस प्रकार नागपुर में विद्रोह का झंडा ऊँचा करने का प्रयास असफल कर दिया गया किन्तु उसके उतरी भाग सागर व नर्मदा क्षेत्र में प्रचण्ड ज्वाला प्रज्ज्वलित हो रही थी।1842-1843 से विद्रोह में इस प्रदेश के ठाकुर अँग्रेजी राज्य का उन्मूलन करने में लगभग सफल हो गए थे। बुंदेला

विद्रोह के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम उठाए गए। शाहगढ़ का राजा, भानपुर का राजा, रानीअवंतीबाई, रामगढ़[31] विजयराघवगढ़ के राजा, जबलपुर में शंकरशाह, अड़मोरा के बख्तावर सिंह आदि अँग्रेजों के विरुद्ध प्रयासरत थे। जबलपुर, दमोह, सागर, नरसिंहपुर, मण्डला, रामगढ़, सोहागपुर विप्लवी भावना से प्रभावित थे। शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह के घरों की तलाशी लेने पर विद्रोहात्मक प्रवृत्ति के कागज मिले थे यद्यिप वह रघुनाथ शाह के हाथ का लिखा हुआ देवी की प्रार्थना थी जिसमें यूरोपियनों के नाश का उल्लेख था। इसका अँग्रेजी अनुवाद जबलपुर के कमिश्नर मिस्टर अर्सकिन ने किया था।[32]

नवम्बर 1857 में मण्डला जिला अँग्रेजों के हाथों से लगभग निकल चुका था स्वयं मण्डला नगर में स्थानीय सरदारों तथा उनके अनुयायियों की विशाल सेना मार्गों पर घूम रही थी। घूमा में बहादुर सिंह एवं देवीसिंह के अधीन काम करने वाले विद्रोहियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही थी।[33] मण्डला जिले में विद्रोह की आग भड़क उठी। शाहपुर एवं सोहगपुर के राजाओं ने अपनी सेना और संबंधियों के साथ विद्रोह कर दिया। जबलपुर में शंकरशाह को तोप से उड़ा देने पर उसकी रानी फूलकुंवर भाग कर मण्डला आ गई थी। उसने भी अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए एक सेना संगठित की उसे पराजित करने के लिए आई सेना का उसने वीरता से सामना किया।[34]

ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों के भारत में स्वाधीनता संग्राम का अन्तर छत्तीसगढ़ के मामले में अपवाद है। सन् 1857 के विप्लव की भूमिका में छत्तीसगढ़ के सोनाखान, सम्बलपुर जैसी रियासतों जमींदारियों में विद्रोह उमड़ पड़ा। यहाँ गोरी फौजों के नियंत्रण से नियंत्रित होने न होने पर भी आजादी के एक क्रमबद्ध आन्दोलन की शुरूआत हुई।[35] अँग्रेजों के विरुद्ध घृणा एवं विद्रोह की चिंगारियों से छत्तीसगढ़ क्षेत्र भी अछूता नहीं रह सका। सोनाखाना की जमींदारी इसका प्रमुख केन्द्र था।[36]

1857 का विप्लव मेरठ से महाराष्ट्र तक प्रभावशाली रहा। देशी रियासतों एवं ब्रिटिश प्रशासित क्षेत्रों में जन चेतना जागृत हुई। हिन्दुस्तान के हृदय मध्य देश का क्षेत्र भी विप्लव की चिंगारी से प्रज्ज्वलित एवं प्रभावी हुआ। इसका दक्षिण पूर्वांचल छत्तीसगढ़ क्षेत्र जो अरण्याच्छादित था, देश की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में राजनीतिक क्षेत्रों में प्रयुक्त हो रहा था। उदयपुर के राजकुमारों का विप्लव, संबलपुर के सुरेन्द्र साय का प्रयास, बस्तर चांदा क्षेत्र के वेंकटराव एवं अप्पाराव का कार्य, सोहागपुर रामगढ़ क्षेत्र के आन्दोलन की एक प्रतिध्वनि

ही थे। छत्तीसगढ़ में 1857 ई. के विप्लव का नेतृत्व सोनाखान के जमींदार नारायण सिंह बिंझवार ने किया। महानदी की घाटी उनके नेतृत्व से प्रभावित हुई। सोनाखान यद्यपि एक छोटी जमींदारी थी किन्तु नारायण सिंह के उत्साह एवं आत्म बलिदान ने उसे अमर कर दिया।[37]

## छत्तीसगढ़ की तात्कालीन परिस्थितियाँ

मध्यप्रदेश का छत्तीसगढ़ प्रान्त ही एक ऐसा स्थान है जहाँ प्राचीन काल की शासन व्यवस्था अर्वाचीन कालारंभ पूर्व तक बनी रही न तो यहाँ कभी मुसलमानों का आधिपत्य हो पया और न ही अँग्रेजों के आने के पहले अन्य किसी विदेशी शक्ति का, गोंडों का भी यहाँ एक छत्र साम्राज्य नहीं होने पाया, यद्यपि उनके छोटे-छोटे राज्यों की संख्या इस क्षेत्र में बहुत हो गई है। जिन कलचुरियों ने यहाँ अनेक शताब्दियों तक शासन किया, उन्होंने ऐसी कोई प्रथा नहीं चलाई थी जो विदेशी अथवा विजातीय आक्रमणकारियों की अभीष्ट रहा करती है। अतएव प्राचीन आर्यों की जो शासन व्यवस्था रही है और प्राचीन अनार्यों की भी जो शासन व्यवस्था रही है उन दोनों के अवशेष इस प्रांत में बने ही रहे। यह प्रांत आर्य और अनार्य दोनों ही सम्मिलित संस्कृतियों का संगम रहा है। यह तो प्रसिद्ध है ही। दोनों ही सम्मिलित संस्कृति की जो परम्परा इस प्रांत में स्थापित हुई, उसकी जड़ें उखाड़ने का किसी ने प्रयत्न नही किया अतएव वे इतनी गहराई तक चली गई हैं कि अँग्रेज काल की पराधीनता में भी निर्जीव न हो पाईं।[38]

सन् 1757 का वर्ष भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इतिहास प्रसिद्ध सन् 1757 में प्लासी के मैदान में जहाँ भारत के भाग्य का फैसला हुआ, उसी वर्ष "छत्तीसगढ़ प्रान्त" का राजनैतिक भाग्य का फैसला हुआ। कलचुरि सम्राज्य का सूर्यास्त हो रहा था। पश्चात् यहाँ के क्षितिज पर मराठा प्रशासन का एक "पुच्छल तारा" उदित हुआ, जो छत्तीसगढ़ में कालांतर में ब्रिटिशकालीन प्रशासन के आरम्भ का अभिष्ट सूचक सिद्ध हुआ। यहाँ की स्वतंत्रता सुख और शांति व लुप्त हो गई जो सदियों से यहाँ के अरण्यांचल में पनप रही थी।[39] परिणामत: सूबा शासन, ब्रिटिश संरक्षण काल के प्रशासन तथा रघुजी तृतीय के प्रशासन से जनता त्रस्त थी। अत: छत्तीसगढ़ के अरण्यांचल में आग सुलग रही थी जिसे प्रज्वलित किया, सोनाखान के जमींदार नारायणसिंह बिंझवार ने और वह 1857 में धधकती ज्वाला बन गई।

छत्तीसगढ़ के बस्तर, सरगुजा तथा संलग्न सीमावर्ती चांदा, मण्डला, संबलपुर के जमींदारों की गतिविधियों का प्रभाव भी 1857 में पड़ा, यद्यपि सरगुजा एवं बस्तर तथा छत्तीसगढ़ के अनेक जमींदारों द्वारा इसमें सहयोग प्रदान नहीं किया गया पर फिर भी उस समय उठने वाली असंतोष की भावनाओं एवं विरोध के क्रांतिकारी स्वर को दबाने में समय लगा। कवर्धा; पंडरिया क्षेत्र रामगढ़ मंडला अंचल की घटनाओं से प्रभावित हो रहा था। सरगुजा में पूर्व की ओर से बिहार का प्रभाव पड़ रहा था, उदयपुर के राजकुमारों को इसमें भाग लेने की सजा के रूप में दण्डित होना पड़ा, कुछ को कालापानी की सजा अंडमान निकोबार में काटनी पड़ी। संबलपुर के वीर सुरेंद्रसाय देश में एक लंबे समय तक अँग्रेजों से संघर्ष करते रहे उनका प्रभाव खरियार, बिंद्रानवागढ़ की जमींदारियों पर पड़ा।

सोनाखान के जमींदारों का उनसे पूर्व में संपर्क था ही, सहयोग भी मिलता रहा। महानदी घाटी की हलचलें उस समय तीव्र थीं। रायगढ़-सारंगगढ़ क्षेत्र भी इससे प्रभावित था।

बस्तर के राजा ने यद्यपि क्रांति में भाग नहीं लिया पर चांदा के विद्रोहियों को संरक्षण देने का संदेह अँग्रेज उस पर करते रहे। तात्पर्य यह था कि यहाँ के जमींदारों ने छत्तीसगढ़ अंचल में फैलने वाली दावानल की तरह विरोधी भावनाओं को दबाने में अधिकांशत: कार्य किया। कुछ तटस्थ रहे। कोरांचा, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी क्षेत्र भी इससे प्रभावित था। अँग्रेजो को आशंका थी कि यदि छत्तीसगढ़ अंचल में क्रांति फैल जाती तो इसको दबाना एक दुष्कर कार्य होता।

1857 ई. में छत्तीसगढ़ की सभी घटनाओं का तारतम्य योजनाबद्ध ढंग से न होने के कारण क्रांतिकारियों को असुविधा हुई। रायपुर स्थित छावनी के सैनिकों में भी हलचल थी तथा वे भी समय की प्रतीक्षा में थे जो कालांतर में परिलक्षित हुआ। छत्तीसगढ़ अंचल की सभी घटनाओं की, पूर्व पीठिका के परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण प्रयास कहा जा सकता है। इस अरण्यांचल में विप्लव का प्रसार तथा सोनाखान एवं रायपुर में प्रयास नि:संदेह इतिहास की एक साहसिक घटना है।

## संदर्भिका

*(1) सुन्दरलाल - भारत में अँग्रेजी राज, पृष्ठ 804 (द्वितीय खण्ड)*

*(2) डॉ. सै. ए. बी. रिज़वी - स्वतंत्र दिल्ली (1857), पृष्ठ- 6।*

(3) 1857 पब्लिकेशन डिवीजन पृष्ठ 10 और आर. के. मजूमदार, सिपाय म्युटिनी एण्ड रिवोल्ट आफ 1857, पृष्ठ 215-218।

(4) सुंदरलाल - भारत में अँग्रेजी राज, पृष्ठ - 804 (द्वितीय खण्ड)

(5) डॉ. ताराचंद - भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास द्वितीय खण्ड पृष्ठ - 12 से 35।

(6) संघर्ष कालीन नेताओं की जीवनियाँ भाग- 1, प्रकाशक प्रकाशन शाखा सूचना विभाग उत्तर प्रदेश 1958, विषय प्रवेश पृष्ठ - 8

(7) विपिनचन्द्र, अमलेश त्रिपाठी एवं वरुणदे - स्वतंत्रता संग्राम, नेशनल बुक ट्रस्ट प्रकाशन 1977 पृष्ठ- 40।

(8) 1857 का भारतीय स्वातंत्र्य समर वीर सावरकर - पृष्ठ 27 - 29।

(9) डॉ. ताराचंद - भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास द्वितीय खण्ड पृष्ठ - 43।

(10) हाऊस आफ कामन्स में डिजरायली का भाषण 27 जुलाई 1857 देखें हंसर्डस पार्लियामेंट्स डिवेट्स जिल्द 147 स्तंभ 440-41।

(11) सावरकर 1857 का भारतीय स्वातंत्र्य समर पुस्तक (यह ग्रंथ 1907 ई. में उन्होंने 23 वर्ष की उम्र में मराठी भाषा में किया बाद में अन्य भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया।) सरकार एवं दत्त व सुरेन्द्र नाथ सेन ने भी इसे स्वातंत्र्य संग्राम या संघर्ष ही स्वीकार किया है।

(12) आर. सी. मजूमदार - हिस्ट्री आफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया खण्ड 1 व 2। उल्लिखित पी. एल. मिश्र, पृष्ठ - 346 - दि पालीटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया।

(13) स्वतंत्रता संग्राम - विपिन चंन्द्र, कमलेश त्रिपाठी एवं डे, पृष्ठ- 43।

(14) भारत का प्रथम स्वातंत्र्य संग्राम 1857-59, कार्लमार्क्स, के. एगेल्स 1973 पृष्ठ- 3।

(15) मिश्र द्वारिका प्रसाद-मध्यप्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास पृष्ठ- 61।

(16) 1859 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नागपुर प्राविंस- जी.प्लावडन 1855-59।

(17) सुन्दर लाल - भारत में अँग्रेजी राज, पृष्ठ 804-819 (द्वितीय खंड)

(18) माई डामरी इन इंडिया इन द ईअर 1858 - 59 सर लिवियम हावर्ड रसेल पृष्ठ- 164।

(19) डी.पी. मिश्र मध्यप्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास पृष्ठ- 66।

(20) पट्टामि सीता रमैया कांग्रेस का इतिहास - पृष्ठ- 5, सन् 1935।

(21) स्वतंत्रता संग्राम - विपिन चन्द्र, कमलेश त्रिपाठी एवं डे, पृष्ठ- 44।

(22) सुंदर लाल - भारत में अँग्रेजी राज, पृष्ठ 820-857 (द्वितीय खण्ड)

(23) लाइफ आफ सुरेन्द्र साय-अनिरुद्ध दास।

(24) श्री डी.पी. मिश्र - मध्यप्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास पृष्ठ 71 ।

(25) के. एवं नेल्सन जिल्द 4 पृष्ठ 304 म्यूटिनी।

(26) ताराचंद - भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, पृष्ठ - 89 ।

(27) फारेन सीक्रेट कन्सलटेशन नं. 87-89, 29 जनवरी 1858 ।

(28) मालसेन इंडियन म्युटिनी खण्ड 5 पृष्ठ 239-240 ।

(29) जुडीशियल कन्सल्टेशन 3 सितम्बर 1857 नं. 1081 'ए' के लेख से उद्धृत (मद्रास रिकार्ड आफिस में 1857 के सैनिक विभाग की कार्यवाही जिल्द)

(30) सुंदरलाल - भारत में अँग्रेजी राज, पृष्ठ 825 ( द्वितीय खण्ड)

(31) रामगढ़ की वीर रानी अवंती बाई, स्वाधीनता विशेषांक सन् 1987 ।

(32) मिश्र डी. पी.- मध्यप्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास, पृ. 73-79 ।

(33) मिश्र डी. पी.- मध्यप्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास, पृ. 81 ।

(34) भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महाकौशल का योगदान - शंभू दयाल गुरु पृष्ठ - अ- 16 (म. प्र. संदेश, स्वाधीनता आंदोलन विशेषांक 15 । 8 । 1987

(35) सन्तोष कुमार शुक्ल - स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ का योगदान म. प्र. संदेश स्वाधीनता आंदोलन विशेषांक। पृष्ठ- 26 ।

(36) शहीद नारायण सिंह सोनाखान-शंभूदयाल गुरु, पूर्वोक्त, पृष्ठ- 32 ।

(37) छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद वीर नारायण मिश्र-डॉ. रमेन्द्र मिश्र, शोध लेख-पृष्ठ- 5 ।

■

**तृतीय अधिकरण :**

# सोनाखान जमींदारी

भारतवर्ष की प्रचलित सामाजिक परम्परा के अनुसार यहाँ प्रत्येक जाति या वर्ग का एक प्रमुख होता था जो उसका संरक्षक, निर्देशक, नियामक एवं मार्गदर्शक होता था। इसी परम्परा के अनुसार कृषक समाज के रूप में जमींदारों का आविर्भाव हुआ।[1]

छत्तीसगढ़ की जमींदारियाँ प्राचीन शासकों द्वारा सैनिक सेवा की आवश्यकता के आधार पर निर्मित की गई प्रतीत होती हैं।[2]

इस प्रकार भौगोलिक स्थिति एवं भूमि की व्यवस्था के कारण छत्तीसगढ़ में जमींदारों का अस्तित्व स्वाभाविक एवं आवश्यक रहा होगा।[3] मि. चीजम के अनुसार छत्तीसगढ़ की जमींदारियाँ जो हैहय शासकों द्वारा सैनिक सेवा के बदले प्रदान की गई थीं, मराठा काल में टकोली देने वाले आश्रित राज्यों के रूप में बदल गईं।[4]

सोनाखान जमींदारी का आविर्भाव भी उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में हुआ था प्रारंभ में सोनाखान का जमींदार 75 रुपया पटाता था।[5]

छत्तीसगढ़ अंचल में रायपुर जिले की बलौदाबाजार तहसील का गाँव सोनाखान क्रांति का तीर्थ स्थान है। सोनाखान जमींदारी ने हमेशा देश की आजादी की रक्षा के लिए शत्रुओं से लोहा लेकर पराक्रम, स्वधर्म और देश भक्ति का परिचय दिया है। दरअसल रतनपुर के राजा बहारसाय ने लगभग वर्ष 1490 में आदिवासी नेता विसई ठाकुर बिंझवार राजपूत को उनके द्वारा दी गई सैन्य सेवाओं के एवज में सोनाखान की जमींदारी दी थी। कालांतर में सन् 1818 में तृतीय मराठा युद्ध की समाप्ति पर यह भू भाग अँग्रेजों के प्रशासनिक नियंत्रण में आ गया था। सोनाखान का लोकप्रिय साहसी जमींदार रामराय बहुत शक्तिशाली था। छत्तीसगढ़ के सूबेदार की अपेक्षा राम राय का आदेश अधिक माना जाता था। यह बात अँग्रेज शासकों को रास नहीं आई वे छल एवं बल से उसे अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे। 1819 में कैप्टन मैक्सन की सेना

से पराजित होने पर सोनाखान जमींदारी की शक्ति 300 ग्रामों से घटाकर लगभग 50 ग्रामों तक सीमित कर दी गई थी किन्तु इसके बाद भी रामराय का इलाके में दबदबा खत्म नही हुआ और बिंझवारों का जादू सिर चढ़कर बोलता रहा।[6] सोनाखान जंगलों के बीच एक आदिवासी बहुल गाँव है। केवट, धनहार, बिंझवार एवं गोंड जाति के लोग बस्ती में रहते हैं। भूसरी पाली, कसौंदी, महकम, बंगलापाली गाँव इससे लगे हुए हैं।[7]

सोनाखान पहुँचने के दो मार्ग हैं- प्रथम रायपुर से बलौदाबाजार कसडोल होते हुए तथा द्वितीय रायपुर - पुरी मार्ग पर पिथौरा से। महानदी इस अंचल की जीवन दायिनी है। जो सोनाखान के निकट है। छत्तीसगढ़ के अन्य जंगलों से सोनाखान का जंगल भिन्न नहीं है यहाँ भी सागौन, साजा, बीजा, कर्रा सेन्हा, बेल, आँवला आदि के वृक्षों का जंगल है। इसके पश्चिम में कुरुपाट डोंगरी नामक एक छोटा सा पहाड़ है। कुरुपाट देवता की पूजा यहाँ के जमींदार करते थे। ये बिंझवार जमींदार के राज देवता हैं। यह नैसर्गिक एवं जल स्रोत से परिपूर्ण रम्य स्थल है सोनाखान के चारों ओर एक पहाड़ी है। कुरुपाट डोंगरी के पश्चिम में लगा हुआ पहाड़ सूपकोण एवं बहेराखोल तथा सामने पूर्व की ओर बिलाईगढ़ वन क्षेत्र, लामी डोंगरी, मंझला मंडला व अन्य छोटे-छोटे पहाड़ हैं। गाँव के उत्तर पूर्व दिशा में दो तालाब हैं एक का नाम राजा सागर है (चार एकड़) दूसरा रानी सागर तीन एकड़ में स्थित है। गाँव के दक्षिण मे नदसागर नामक तालाब है। इसे नारायण सिंह ने खुदवाया था तथा अनेक वृक्ष लगवाए थे। पुरानी बस्ती तालाब से लगी हुई थी। महकम बस्ती तथा सोनाखान बस्ती एक साथ लगी थी जिसे विप्लव के समय अँग्रेजों ने नष्ट कर दिया। जंगल के मध्य आज सोनाखान में 45-50 घरों की बस्ती है। बाजू में जंगल के मध्य से जौंक नदी प्रवाहित होती है। जंगली जानवर भी हैं। क्षेत्र हरीतिमा से आच्छादित है। वहाँ के जमींदार गोंड जाति के थे जो सारंगढ़ के राज परिवार से संबंधित थे जो बाद में बिंझवार जाति में परिवर्तित हो गए थे। क्योंकि उस समय मुस्लिम नीतियों के कारण धर्म परिवर्तन की आशंका थी। कहा जाता है कि बिसाही ठाकुर सोनाखान जमींदार वंश का पूर्वज था जो सारंगढ़ जमींदारी से यहाँ आया था। फतेहनारायण सिंह के समय तक अँग्रेजों का कब्जा नहीं हो पाया था।[8]

छत्तीसगढ़ में भोंसलों के हाथों से अधिकार हथिया कर अँग्रेजों ने अपने साम्राज्यवादी पंजे मजबूत कर लिए थे। चारों ओर अव्यवस्था एवं अराजकता की भयंकर स्थिति का निर्माण हो चुका था। जनता के दुख-सुख से अँग्रेजी सत्ता को कोई सरोकार नहीं था।[9]

## जमींदारों के पूर्वज

सोनाखान के जमींदार बिंझवार थे। बिंझवार मध्यप्रदेश के एक महत्वपूर्ण भू-भाग छत्तीसगढ़ में ही बसने वाली आदिम जाति है। बिंझवार जाति के लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास का ही एक अंग हैं। उनका अनेक राजाओं के साथ जो संबंध था उसका उल्लेख भी उनकी दंत कथाओं में मिलता है। उनके कुछ सामाजिक विभाग हैं। रतन पुरिहा, कंवरहा आदि उसी प्रकार सामाजिक इकाइयाँ भी हैं जो अपने को अलग-अलग राज्य में विभाजित मानती हैं विभाजन भी इतिहास द्वारा ही प्रभावित है।[10]

बिंझवारों की उत्पत्ति के बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं है किन्तु वे अपने को भगवती विन्ध्यवासिनी भाई के बारह भाई वेतकार नाम से प्रसिद्ध पुत्रों के वंशज मानते हैं।

एक अन्य दंत कथा के अनुसार घटना के अनुसार पटना के चौहान कुलोत्पन्न प्रथम राजपूत राजा की माँ ने उत्तर भारत के किसी युद्ध में अपने पति तथा अपने संबंधियों की मृत्यु होने पर बिंझवारों की झोपड़ियों में आश्रय लिया वहाँ उन्होंने एक बालक को जन्म दिया जो बाद में पटना का राजा हुआ।

कंचनपुर के चमासह बिंझवार द्वारा उनके पूर्वजों से सुनी कथा का विवरण इस प्रकार है- बिंझवार की उत्पत्ति का स्रोत गोपाल राय जी है। गोपाल राय बिंझवार रतनपुर के राजा के सेनापति थे। इनकी बहादुरी और वीरता की चर्चा चारों ओर फैली हुई थी। अन्य दरबारी उनसे बहुत ही जलते थे और वे इनके शत्रु बन गये थे। गोपालराय के विरुद्ध नाना प्रकार की चर्चा राजा के पास अन्य दरबारी किया करते थे। अन्य दरबारियों के राजा को इस बात से भी भर दिया कि गोपाल राय एक न एक दिन उनकी गद्दी लेकर रहेगा। राजा भी डर गया फलत: उसने जंत्र-मंत्र के जोर से गोपाल राय को मारना चाहा किन्तु उसमें सफलता नहीं मिली। एक दिन गोपाल राय दिशा गया था। राजा के सिपाहियों ने उसे मारना चाहा किन्तु नि:शस्त्र होते हुए भी उसने दुश्मनों को मार भगाया। आत्म ग्लानि से भरा हुआ गोपाल राय राजा की नीचता को सह न सका। उसने आत्म हत्या कर ली। उसकी संतान राजा के अत्याचार से तंग आकर बिलासपुर की ओर बस गयी। उनके वंशजों के तीन विभाग हुए- (1) रतनपुरिहा या सरगुजिहा बिंझवार, (2) कंवरिहा बिंझवार, (3) सोनझरा बिंझवार, कंचनपुर के बिंझवार, जो रतनपुरिहा बिंझवार है, स्वयं को गोपाल राय के वंशज मानते हैं।

एक अन्य कथा राधावल्लभ राजपुरोहित रतनपुर द्वारा प्राप्त हुई है। रतनपुर के राजा कल्याण साय के राज्य काल में गोपाल राय बिंझवार सेनापति थे। अकबर ने रतनपुर पर चढ़ाई करके राजा को बंदी बना लिया तब गोपाल राय कहीं बाहर गए हुए थे। गोपाल राय ने अपनी सेना की सहायता से दिल्ली में बंदी राजा को अकबर की कैद से छुड़वाया। गोपाल राय के बढ़ते प्रभाव से सशंकित होकर रतनपुर के राजा ने गोपाल राय को मरवा डाला बिंझवार उन्हीं के वंशज हैं।

धवरा भाठा के बिंझवारों के अनुसार बिंझवारों की उत्पत्ति बड़ी रोचक है। उनके अनुसार गोंड राजा हीराखान एक बार शिकार करने आढानारा बिंझाझोरी गये। उसी समय कोई मामा-भांजे भी शिकार को गए थे। राजा तालाब में उतर कर जब स्नान कर रहा था तब शिकार समझकर मामा-भांजे ने तीरों से मार डाला। उनकी गलती से बिंझवार वंश प्रचलित हो गया क्योंकि "बिंझिया" शब्द हत्यारे का द्योतक है कालांतर में "बिंझियाँ" मामा-भांजे के वंशज पर्यावाची शब्द बिंझवार में परिणित हो गए।[11]

सोनाखान की जमींदार वस्तुत: राजपूत थे किन्तु अरण्य क्षेत्र में रहने के कारण उनका सामाजिक बाह्य संपर्क टूट गया अत: उन्होंने गिरिजनों के मध्य एवं बिंझवार जाति के मध्य अपना सामाजिक सम्पर्क स्थापित किया और वे बिंझवार के रूप में प्रसिद्ध हुए उनकी यह वंश परम्परा अद्यतन विद्यमान है।[12]

सोनाखान के संस्थापक बिसई ठाकुर के पश्चात् इनके वंशजों की जो जानकारी मिलती है उनके अनुसार फते नारायण सिंह, राम राय सिंह, नारायण सिंह, गोविन्द सिंह, भगवानसिंह, छतर सिंह, राजपाल सिंह[13] कंवल सिंह आदि।[14]

ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हमें जमींदार रामराय के समय से जानकारियाँ मिलती हैं। वे छत्तीसगढ़ में अन्याय अत्याचार एवं शोषण के विरुद्ध संघर्ष करने वाले प्रथम नेता थे जिन्होंने न केवल भोंसलाशाही का विरोध किया अपितु ब्रिटिश संरक्षण काल में अँग्रेजों की नीतियों का भी विरोध किया और टकोली देने से स्पष्ट इंकार कर दिया।[15]

## राम राय (जमींदार सोनाखान)

गढ़ों का गढ़ छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संरचना एवं आवेष्टित गिरि श्रृंखलाओं तथा अरण्याच्छादित परिवेश में बाह्य आक्रमण से सदियों से सुरक्षित रहा है। कल्चुरी सत्ता की समाप्ति से एक युग का अंत हुआ। भोंसला शासन के नागपाश से यह अंचल जकड़ता चला गया। ब्रिटिश संरक्षण काल में इसमें कसाव आया

पर इन परिस्थितियों से भी मुक्त होने का संकट मोचन का प्रयास किया एक छोटी सी जमींदारी सोनाखान के राम राय ने। जो जोंक - महानदी घाटी में जनहित संरक्षक था।[16] उसने न मराठों की आधीनता स्वीकार की और न अँग्रेजों के संरक्षण को ग्राह्य किया अपितु सन् 1819 में सर्वप्रथम अँग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झण्डा खड़ा किया उन्होंने अपनी जमींदारी में अँग्रेजी सत्ता के कानून तथा आदेशों का पालन करने से इंकार कर दिया। सोनाखान जमींदारी और उससे बाहर भी राम राय का दबदबा था। राम राय का इस क्षेत्र में इतना अधिक प्रभाव था कि लोग अँग्रेजी सत्ता के आदेश का उल्लंघन कर सकते थे किन्तु राम राय का नहीं।[17] जैकिन्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है- "राम राय ऑफ सोनाखान इज द ओनली वन द फादर हू रिक्वायर्स सेपरेटमेंशन ऑफ राम राय एण्ड द लेटर हिस शेल्फ लॉग वीन टेरर ऑफ छत्तीसगढ़ एण्ड वन टाइम हैड स्टेवलिसु सच एन इनफ्लूएन्स फ्राम द ड्रेड ऑफ देयर इनकर्सन्स दैट एन आर्डर फ्राम दैम वाज ओवेड विद मोर एलाक्रिटी दैन वन फ्राम द सूबेदार।" सोनाखान के राम राय का छत्तीसगढ़ में दबदबा था।[18]

अँग्रेजों ने राम राय पर आरोप लगाया कि राम राय अँग्रेजों की खिलाफत करने वालों को शरण देता है और आसपास आतंक फैलाए हुए है। दरअसल राम राय अपने पूर्वजों की उस भूमि को वापस लेने में लगा हुआ था जो भोंसले और अँग्रेजों के समय उसके अधिकार से छीन लिए गए थे। किन्तु यह रामराय जैसे छोटे से जमींदार के लिए यह बड़े दुस्साहस का कार्य था इसलिए सोनाखान जमींदारी अँग्रेजों की आँखों में आरंभ से ही काँटे की तरह गड़ रही थी अन्ततः अँग्रेजों ने सन् 1819 में सोनाखान पर आक्रमण करके रामराय के बढ़ते हुए प्रभाव को सीमित करने का प्रयास किया। रामराय को कैप्टन मेक्सन के सम्मुख पराजय स्वीकार करनी पड़ी। राम राय के पास संधि करने के सिवाय कोई चारा नहीं था। इस संधि के बहाने अँग्रेजों ने सोनाखान जमींदारी की बहुत सी भूमि और अधिकार हड़प लिए किन्तु इस खानदान में जो स्वतंत्रता की भावना का अजस्र स्रोत बह रहा था उसे वे हड़प नहीं सके। रामराय तो अपनी वृद्धावस्था के कारण चुप बैठ गए किन्तु नारायण सिंह अपने खानदान की खोयी हुई स्वाधीनता और प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए उचित अवसर की ताक में बैठा था।[19] वर्ष 1819 में कैप्टन मेक्सन की सेना से पराजित होने पर सोनाखान जमींदारी की शक्ति 300 ग्रामों से घटाकर 50 ग्रामों तक सीमित कर दी गई किन्तु इसके बाद भी रामराय के इलाके में दबदबा खत्म नहीं हुआ और बिंझवारों के तलवार का जादू सिर चढ़कर बोलता रहा।[20]

सोनाखान जमींदारी के पास केवल 12 गाँव रह गए थे जिससे 303 रुपये 12 आना आय होती थी परंतु ये कोई भी टकोली नहीं देते थे।[21] यह जमींदारी 366 वर्ष से लगातार अबाध गति से चल रही थी। मराठों के समय में भी टकोली के नाम से कोई धन सीधा नहीं देते थे अपितु कुछ बाँस एवं लाख सालाना देते थे। राम राय के समय आंग्ल सुपरिन्टेन्डेंट ने यह बाँस एवं लाख के लेवी लेना बंद कर दिया तथा नामनूक के रूप में 300 रुपये देना तय हुआ। क्षेत्र की सुरक्षा के लिए 90 रुपये वार्षिक अँग्रेजों ने देना भी स्वीकार कर लिया इसमें 30 रुपये सेवा कार्य हेतु एवं 15 सेवकों हेतु 60 रुपये दिये जाते थे।[22]

सोनाखान जमींदारी में गाँवों की संख्या में समयानुसार घट-बढ़ होती रही है किन्तु 18 ऐसे गाँव थे जहाँ के लोग एक ही आवाज में जमींदार के साथ प्राण पण से आत्मार्पित थे। गाँवों के नाम इस प्रकार हैं- सोनाखान, महकम, बंगलापाली, सारसडोल, सण्डी, वासीनपाली, नयागाँव, देवतराई, मीरगोदा, पढियावाली, विरकुली, वनपिया, चिखली, सालिहामार, जोगीभाट कोहाकुड़ा, चनहार, भुसरीपाली, कौंसदी शुक्ल भाटा।[23]

निरंतर संघर्ष के कारण तथा वृद्धावस्था ने रामराय की शासन क्षमता को क्षीण कर दिया था यद्यपि उसका पुत्र नारायण सिंह अल्पायु से ही सहयोग कर रहा था लेकिन अभी उसे अपने पिता से बहुत कुछ सीखना था। इन्हीं परिस्थितियों में सन् 1830 ई. में रामराय का आकस्मिक निधन हो गया था।[24] (1240 फसली)। तब सोनाखान की जमींदारी का उत्तराधिकारी नारायण सिंह हुआ।[25]

छत्तीसगढ़ के इतिहास में राम राय का नाम सदैव अविस्मरणीय रहेगा। सन् 1818 में जहाँ भारतीय इतिहास परिवर्तनकारी वर्ष है वहीं छत्तीसगढ़ के इतिहास में मराठा एवं ब्रिटिश प्रशासन का संधि काल है क्योंकि भोंसला शाही की प्रताड़ना एवं ब्रिटिश संरक्षण काल का आरंभ जनता के लिए दुखद अध्याय था। अँग्रेज सम्पूर्ण देश में हावी हो चुके थे। इन जटिल परिस्थितयों में अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए एक छोटी सी जमींदारी में संघर्ष की जो चिंगारी राम राय ने प्रज्ज्वलित की वह जन नेतृत्व की एक अपूर्व मिसाल है। रामराय ने छत्तीसगढ़ की माटी के प्रति अपने को समर्पित कर दिया। परिस्थिति वश उन्होंने अँग्रेजों से समझौता किया यद्यपि गाँवों को खोया किन्तु अपने स्वाभिमान की रक्षा करने में सफल रहे और यही कारण है कि सोनाखान जमींदारी की

स्थिति अन्य जमींदारियों से भिन्न थी। राम राय किसान एवं मजदूरों के नेता थे वे जगन्नाथपुरी के यात्रियों की रक्षा का दायित्व भी इस बीहड़पन में वहन करते थे उनका कार्य जनहित का था और इसीलिए वे अपने युग में छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक लोकप्रिय जमींदार हुए।[26]

रामराय को खिलायत और पुराने राजाओं की रीत्यानुसार सिरोपाँव अर्थात् पाँचों पोशाकों (1-पगड़ी, 2- छकलिया अंगा, 3-धोती, 4-पिछौरी, और 5 पनही) और जिमींदारी का जिनवाह था, दीवानी, फौजदारी, मालकाली, जंगल, हडंत, गडंत, खाने, लावादी, लावारिस, पाडरी, सायर, कुकमान सबका पूरा-पूरा अख्तियार था, तथा लिखापढ़ी, सिलमोहर का अधिकार था। पान-बीड़ी का सम्मान भी प्राप्त था। इस प्रकार का मान उस समय जमींदारों को राजा द्वारा प्रदान किया जाता था। सोनाखान को कलचुरी काल तथा भोंसला काल में एक विशेष स्थिति प्राप्त थी। यहाँ का जमींदार स्वतंत्र प्रवृत्ति का होता था जिसमें उसे प्रकृति का भी सहयोग मिलता था।[27]

हैहयवंशी राजाओं को मरहठे लोगों ने जब आकर जीत लिया और उन्हें निकालकर रतनपुर का राज अपने नागपुर राज में मिला लिया और सब जमींदारों को बुलाकर उनका पहिले राजाओं का दिया हुआ सनद पत्र जब्त करके टकौरी बाँध दिया और अपना नया पत्र (सनद पत्र) शहर जमींदार जैसे डाँड जुर्माना, मुसेमुबार, गयलात, लावारिस, लादवी, साकर, पुड़ी, वाहिनी, स्त्री बिक्री, मड़डौना जौहर जाति पर भी वह खुश दिया।[28]

करनेल साहब बहादुर ने आकर इस देश का बंदोबस्त किया व सामर आदि की रकम का खुद बंद किया, बाजार, काण, बयाई, कटनी, मौजा बयासी, कलाली, मड़ौना, जाति-जाति पर बैणकी पर नारूर की मुंडी थे सब रकम मोकर्रर करके खौली का सालाना की का सनद पत्र लिख दिया। रामराय के समय इदमन (एडमंड) साहब बहादुर दौरे पर निकले और साहेब मौसूम का डेरा रतनपुर में पड़ा। श्री जनाब डंकीन (जेंकिस) साहब बहादुर का दौरा बंदोबस्त के वास्ते हुआ और अमरकंटक में साहब का डेरा पड़ा।[29]

छत्तीसगढ़ में भोंसलों के हाथों से अधिकार हथियाकर अँग्रेजों ने अपने साम्राज्यवादी पंजे मजबूत कर लिये थे। चारों ओर अव्यवस्था और अराजकता की भयंकर स्थिति का निर्माण हो चुका था। जनता के दुःख-सुख से अँग्रेजी सत्ता को कोई सरोकार नहीं था। विभिन्न माध्यमों से धन अर्जित करना और अँग्रेजी फौज को मजबूत बनाना अँग्रेजी सत्ता का एक मात्र लक्ष्य था। आधुनिक

हथियारों और वैज्ञानिकों प्रशिक्षण के कारण अँग्रेजों की मुट्ठी भर सेना इस देश को रौंदती रही।

भोंसलों के आक्रमण के पश्चात् छत्तीसगढ़ का ग्राम इकाई पर खड़ा सारा आर्थिक तथा प्रशासनीय ढाँचा चरमरा गया भोंसलों ने छत्तीसगढ़ पर सैनिक अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त किया जिन्होंने यहाँ अपने दोनों हाथों से भूमि और धन बटोरना शुरू किया। वस्तुतः वह लुटेरों का राज्य था। ठग और पिंडारियों के आक्रमण का आतंक भी छाया हुआ था। किसानों को यह भरोसा नहीं था कि बोने के बाद फसल उन्हीं के हाथों लगेगी। प्रकृति का प्रकोप भी इसी काल में सर्वाधिक प्रकट हुआ। कई बड़े-बड़े अकाल पड़े। गाँव के गाँव उजड़ गये।[30]

यह वह समय था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के कारण गाँव-गाँव में फैले कुटीर उद्योग धड़ाधड़ बंद हो रहे थे। हुनर मंद दस्तकारों के हाथ बेकार हो रहे थे। उनके मन में असंतोष की आग सुलगने लगी थी। कंपनी के रोजमर्रा की जरूरतों पर भी भारी कर लगा दिया था। जिसका शिकार नमक जैसी वस्तु को भी बनना पड़ा। नमक कर कंपनी की कुदृष्टि पड़ने के पूर्व एक रुपये में 22 सेर नमक आसानी से मिलता था लेकिन नमक कर लगने के बाद एक रुपया खर्च करने पर 7 सेर से 9 सेर नमक मिल पाता था।[31]

कम्पनी सरकार भारतीय किसानों, व्यापारियों और स्वाभिमानी जमींदारों के दमन के लिये हर संभव तरीके अपना रही थी। राजस्व सुधारों के नाम पर किसानों को दिवालियेपन की ओर धकेला जा रहा था। कंपनी अच्छी खासी लूट खसोट में लगी थी। भू-राजस्व निर्धारण के लिये उन्होंने महल के निर्णय लिये जिसके फलस्वरूप अकेले छत्तीसगढ़ में राजस्व की बढ़ोत्तरी के आँकड़े चौंका देने वाले हैं- भू-राजस्व वर्ष 1818 में रुपये 33,147 के स्थान पर वर्ष 1825 में 4,04,224 की राजस्व बढ़ोत्तरी हुई। कंपनी के इनकार गुजारियों ने विद्रोह की आग में घी का काम किया।

यूरोपीय यात्रियों ने रायपुर एवं छत्तीसगढ़ की समृद्धि के बारे में वर्णन किया था-'छत्तीसगढ़ में इतना विपुल उत्पादन होता है कि यहाँ अनाज निजाम के राज में भेजा जाता है और जब जरूरत पड़ती है तो यहाँ से अनाज का निर्यात उत्तर भारत के राज्यों को भी होता है।'

छत्तीसगढ़ की उर्वरा धरती पहले तो मराठा सवारों से पद दलित हुई फिर पिंडारियों ने यहाँ धावा बोला। इन घटनाओं ने यहाँ अमनचैन के सिलसिले

को छिन्न-भिन्न कर दिया और यहीं से गाँवों की दुर्गति का खेल शुरू हुआ। छत्तीसगढ़ तब कृषि में कितना अग्रणी था इसका पता इसमें चलता है कि यहाँ तब दस हजार से ज्यादा काश्त में उमदा दर्जे का कपास उगाया जाता था। स्थिति यह थी कि अकेले कपास की उपज से ईस्ट इंडिया कंपनी को छत्तीसगढ़ में एक साल में 31200 रु. की आय हुई थी। अंग्रेजों ने यहाँ आकर कुचाल चली, यहाँ के मेहनतकशों को पीनक में डुबाने के लिये अफीम का चलन शुरू करवा दिया। दस्तकारी और खेती को उन्होंने तबाह किया और महाजनों सूदखोरों और दलालों को बढ़ावा मिला जिससे लोग कर्ज में डूबते गए और अनेक नई समस्याएँ उठ खड़ी हुईं। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ की भी यही स्थिति थी।

यह सर्व विदित है कि सोनाखान जमींदारी ने देश की आजादी की रक्षा के लिये शत्रुओं से लोहा लेकर पराक्रम एवं धर्म और देश भक्ति का परिचय दिया है।[32]

नागपुर के रेजीमेंट का स्पष्ट निर्देश होता था कि छत्तीसगढ़ के शासन को भ्रष्टाचार रहित बनावें।[33] एग्न्यू के बाद केप्टन हंटर का आगमन हुआ। वे कुछ समय तक यहाँ रहे।[34] पश्चात् मि. सैंडिस अधीक्षक बना। उस समय अँग्रेजों एवं भोंसला शासक के मध्य संधि हुई।[35] फिर विलकिंसन और मि. क्राकर्ड छत्तीसगढ़ आए। इनका कार्यकाल 1828 से 1830 तक रहा।[36]

छत्तीसगढ़ में भोंसला शासक के एजेंट के रूप में ब्रिटिश शासन एक अल्पकालीन व्यवस्था थी। इस व्यवस्था का हस्तांतरण रघुजी तृतीय के वयस्क होने के बाद होना था। यही कारण था कि ब्रिटिश नियंत्रण काल में मराठाकालीन व्यवस्था में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया। केवल उनमें विद्यमान दोषों को दूर कर उसे गतिशील न्यायिक, वैज्ञानिक एवं जनहितकारी बनाया गया था।

सोनाखान जमींदारी सदियों से प्राकृतिक दृष्टि से सुरक्षात्मक परिवेश में अपनी स्थिति की अक्षुण्णता को एक स्वतंत्र परिवेश में समाये हुए था। जब कभी भी सत्ता परिवर्तन हुआ उसने अपनी स्थिति को समय के अनुसार सुदृढ़ किया। जमींदार रामराय ने पूर्ण स्वतंत्रता की चेष्टा कर अँग्रजों को इस भू-भाग से खदेड़ने का प्रयास किया था। किन्तु दुर्भाग्य कि उस समय भी वह अकेला पड़ गया। यद्यपि महानदी घाटी की जितनी भी जमींदारियाँ थीं फिंगेश्वर, कटंगी, भटगाँव, बिलाईगढ़, फुलझर, नर्रा, कोमाखान (सुवर माल) सभी उसका प्रभाव मानते थे। पर बदलते परिवेश में सब अपना-अपना प्रभाव बताने के प्रयास से

कुछ कर सकने में असमर्थ थे। कई जमींदार कर्ज से डूबे थे ऐसी स्थिति में वे अँग्रेजों के सामने गिड़गिड़ाते रहते थे। और थोड़ी बहुत राशि खौली की कम कर दी जाती वे अपने को उपकृत मानते थे। अँग्रेज अधिकारी अपने ऊपर के अधिकारियों को यह प्रतिवेदन भेजते थे कि अकाल के कारण टकौली कम कर दी गई और जमींदार पर यह प्रदर्शित कर अपना प्रभाव जमा लेते थे कि हमने तुम्हारे आवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया और 1200 रु. में से 400 रुपये टकौली (3 वर्ष का) कम कर दिया।[38] वह जमींदार अँग्रेजों ने इस उपकार को भूलकर भला उनके खिलाफ कैसे जा सकता था।

सोनाखान का जमींदार परिवार सदैव स्वराज्य के पक्ष में रहा। बिंझवार राजपूतों ने अँग्रेजों के पूर्व आक्रमण मराठा सैनिकों को भी रायपुर और रतनपुर में चैन की नींद नहीं सोने दी और अपने शौर्य की धाक स्थापित की।[39]

ऐसा कुछ हुआ कि उधर नागपुर में अल्प-व्यस्कता काल समाप्त होने पर ब्रिटिश संरक्षण को हटाकर भोंसले राजा रघुजी तृतीय ने नागपुर भोंसला राज की गद्दी पर बैठकर प्रशासन संभाला, इधर सोनाखान में जमींदार रामराय की मृत्यु के बाद सन् 1830 में नामारायण सिंह ने जमींदारी का कार्यभार संभाला। सही अर्थों में रामराय की टकराहट अँग्रेजों से ही हुई क्योंकि उस समय राजा अल्पवयस्क था, रामराय दूरदर्शी थे उनको लगा कि अँग्रेजों ने एक बार छत्तीसगढ़ को देख लिया तो फिर दुबारा यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। इसीलिये छत्तीसगढ़ में अँग्रेजी प्रभाव खत्म करने के लिए सोनाखान के कार्य संपादित करने का बीड़ा उठाया था। अन्यथा भोंसला राजाओं से खुल्लमखुल्ला लड़ाई सोनाखान के जमींदार ने कभी नहीं की बल्कि एक भारतीय राजा का आदर किया पर जहाँ कहीं उसकी नीति अन्याय, शोषण और उत्पीड़न की होती थी तब विरोध अवश्य हुआ सिंध के एक अमीर ने कहा था कि अँग्रेजों ने सिंध देश देख लिया अब यह हमारे हाथ से गया। कुछ ऐसा ही छत्तीसगढ़ के साथ हुआ। सोनाखान का सोना, धान भरा कटोरा, अच्छे लकड़ी, शिकार के उपयुक्त जगह और आर्थिक चारागाह उनको भला कम खर्च में अधिक लाभ वाला क्षेत्र और कहाँ मिल सकता था। भोंसला राजाओं को अपने दरबारी राजनीति से फुर्सत नहीं मिलती थी कि छत्तीसगढ़ के जंगली क्षेत्र में आ सकें, बिम्बा जी भोंसले को भी नागपुर से हटाकर रतनपुर भेजना एक नागपुर दरबार की कूट नीतिक दबाव ही था ताकि वहाँ से बिम्बाजी का प्रभाव खत्म किया जा सके। उसके बाद और कोई भी राजकुमार छत्तीसगढ़ आकर नहीं रहा। यह क्षेत्र सूबेदारों

और अँग्रेज अधिकारियों के हाथों भाग्य भरोसे पर छोड़ दिया, और वे दु:शासन की तरह आर्थिक लोभ लिये शोषण का चीर हरण करते रहे।[40]

सोनाखान जमींदारी का प्रशासन संभालने के पश्चात् 1830 से 1853 तक नारायण सिंह निर्विघ्न प्रशासन कार्य चलाते रहे। इस अवधि में नागपुर के राजा से कोई टकराहट नहीं हुई। जमींदारी के विनास में जनहित कार्य में संलग्न रहे। किन्तु अँग्रेजों द्वारा नागपुर राज्य के साथ छत्तीसगढ़ को हड़प लेने की जो कार्यवाही हुई तो इसका सोनाखान में विरोध जरूर हुआ। नारायण सिंह ने कोशिश की कि छत्तीसगढ़ से अँग्रेजों को भगाया जाय। जब कभी भी अँग्रेज अधिकारियों का दौरा हुआ,[41] चाहे अमरकंटक, रतनपुर, बलौदा, रायपुर या अन्यत्र हो सोनाखान के जमींदार हाथ जोड़कर कभी अँग्रेजों के सामने खड़े होकर नहीं गिड़गिड़ाये और न टकौली आदि कम करने की बात कही यह उनके स्वाभिमान का द्योतक है।

सोनाखान जमींदारी में प्रजा सुख चैन से थी। जमाखोर व्यापारी शोषक लोगों से जमींदार की कभी नहीं पटी। जनहित में ऋण लेकर भी कार्य करने का प्रयास जमींदार ने किया। जिसका ऋणदाताओं ने दूसरा अर्थ लिया बल्कि जमींदार को दबाने की कोशिश की। इस मुद्दे पर झगड़ा, लूटपाट की जानकारी मिलती है जिसमें दोनों पक्षों को दोषी कहा जा सकता है। वस्तुत: यह भी अँग्रेजों की चाल थी। उन्होंने सोनाखान की उच्छृंखल प्रवृत्ति पर नियंत्रण के लिये व्यापारियों और साहूकारों को माध्यम बनाया ताकि उनका कार्य सुचारू रूप से चल सके। अँग्रेजों में फूट करो और शासन करो की नीति यहाँ भी काम आई और वे जो चाहते थे सफल हुआ। जमींदार और व्यापारी साहूकारों को लड़ा दिया। जिसमें कुछ लोगों मौत हुई और जमींदार को गिरफ्तार करने का उन्हें अवसर मिल गया। लोगों को आतंकित करने के लिये उस पर हत्या, डकैती लूटपाट का आरोप लगाया गया। चूँकि उस समय तब पूरे हिन्दुस्तान में अँग्रेज शक्तिशाली हो चुके थे। अत: एक छोटे से जमींदार का उनसे संघर्ष कब तक चलता। इस प्रकार का आरोप लगाकर उस समय लोगों को हवालात में बंद करने का अँग्रेजों ने एक रास्ता ढूँढ निकाला था ताकि उनका कोई विरोधी न रहे, काँटे से काँटा निकालना, लोहे से लोहा काटना वे अच्छी तरह जानते थे। छत्तीसगढ़ में अनेक जमींदारियाँ थीं पर अधिकांश के दब्बूपने के कारण अँग्रेजों को अपना पैर मजबूत करने में यहाँ आधार भू मिली और अप्रत्याशित रूप से व्ययगत रूपी अजगर ने छत्तीसगढ़ को ब्रिटिश राज रूपी अजगर के उदरस्थ कर दिया।[42]

## संदर्भ-विवरणिका


1. माल्कम-ए. मेमायर्स आफ सेन्ट्रल इंडिया वाल्यूम- 2 पृष्ठ- 7 ।
2. जेन्किन्स रिपोर्ट, पृष्ठ- 133 ।
3. जेन्किन्स रिपोर्ट, पृष्ठ- 135 ।
4. चीजम रिपोर्ट, पृष्ठ- 99 ।
5. एचीसन-ट्रीटीज, सनद एंड एंगेजमेंट वाल्यूम- 4, पृष्ठ- 438 ।
6. छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह, पृष्ठ- 6 सूचना तथा प्रकाशन संचालनालय, भोपाल ।
7. शंकर गुहा नियोगी-छत्तीसगढ़ का किसान युद्ध का पहला क्रांतिकारी शहीद वीर नारायण सिंह, पृष्ठ- 1 ।
8. शंकर गुहा नियोगी- आज की पीढ़ी और वीर नारायण सिंह की वसीयत पृष्ठ 4 से 8 तक ।
9. हरि ठाकुर- 1857 के विप्लव के अमर शहीद वीर नारायण सिंह, पष्ठ- 13 ।
10. नायक, डा. ठाकोर लाल भाणाभाई-बारह भाई बिंझवार, पृष्ठ- 1
11. नायक, डा. ठाकोर लाल भाणाभाई-बारह भाई बिंझवार, पृष्ठ- 4 से 6 ।
12. मिश्र, रमेन्द्र नाथ-छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद वीरनारायण सिंह पृष्ठ- 1 ।
13. छत्तीसगढ़ का किसान युद्ध का पहला क्रांतिकारी शहीद वीर नारायण सिंह पृष्ठ- 24 ।
14. सोनाखान के जमींदार परिवार से लिए गए साक्षात्कार से प्राप्त जानकारी दिनांक 25-6-1981 ।
15. मिश्र, रमेन्द्र नाथ-छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह, पृष्ठ- 2
16. आधुनिक छत्तीसगढ़ का प्रथम नेता राम राय-डा. सुभाष दत्त झा, पृष्ठ- 1
17. हरि ठाकुर- 1857 के विप्लव के अमर शहीद वीर नारायण सिंह, पृष्ठ- 15
18. जेन्किन्स रिपोर्ट-पृष्ठ- 134 ।
19. वीर नारायण सिंह लेख-हरिठाकुर पृष्ठ- 15 ।
20. छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह, पृष्ठ- 6, सूचना एवम् प्रकाशन, भोपाल ।
21. द छत्तीसगढ़ डिवीजनल रेकार्ड्स वाल्यूम नं. 8 सीरियल नं.-1, पृष्ठ-185 अप्रकाशित ।
22. द पालीटिकल हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ मिश्र, पी.एल., पृष्ठ-352, 353 ।

23. शंकर गुहा नियोगी-छत्तीसगढ़ का किसान युद्ध का पहला क्रांतिकारी शहीद वीर नारायण सिंह, पृष्ठ- 4 ।

24. झा, सुभाषदत्त-आधुनिक छत्तीसगढ़ का प्रथम नेता रामराय, पृष्ठ- 6 ।

25. डा. पी. एल. मिश्र-द पालीटिकल हिस्ट्री आफ छत्तीसगढ़, पृष्ठ- 353 ।

26. झा, सुभाष दत्त-आधुनिक छत्तीसगढ़ का प्रथम नेता रामराय, पृष्ठ- 10 एवं-भटगाँव जिमींदारी का इतिहास (पाण्डुलिपि) पृष्ठ- 5 ।

27. आचार्य रमेन्द्र नाथ मिश्र-सं. छत्तीसगढ़ का इतिहास, पृष्ठ- 89 ।

28. आचार्य रमेन्द्र नाथ मिश्र-सं. छत्तीसगढ़ का इतिहास, पृष्ठ- 91 ।

29. श्री हरि ठाकुर-सन् 1857 के विप्लव के अमर शहीद-वीर नारायण सिंह पृष्ठ- 13, 14 ।

30. म.प्र. शासन द्वारा प्रकाशित-छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह पृष्ठ- 2 ।

31. म.प्र. शासन द्वारा प्रकाशित-छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह पृष्ठ- 2, 3 ।

32. वीर नारायण सिंह-पृष्ठ 3,4 ।

33. बी.सी. मिश्र-एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री आफ ब्रिटिश इंडिया पृष्ठ- 222, 223
(शांता शुक्ला छत्तीसगढ़ का सामाजिक-आर्थिक इतिहास पृ.- 19 से उद्धृत)

34. बी.एच. बेडेन पावेल 'दि लैंड सिस्टम आफ ब्रिटिश इंडिया' खण्ड- 2 1882, पृष्ठ 456-457 ।

35. डी.पी. मिश्र वही पृष्ठ- 145 ।

36. रोमेश दत्त-पृष्ठ- 320, शांता शुक्ला-पूर्वोक्त पृष्ठ- 20 ।

37. डा. शांता शुक्ला-छत्तीसगढ़ का सामाजिक-आर्थिक इतिहास, पृष्ठ- 23 ।

38. भटगांव जिमींदारी का इतिहास-पृष्ठ 91 ।

39. छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह-पृष्ठ- 5 ।

40. डा. रमेन्द्र नाथ मिश्र-छत्तीसगढ़ में अँग्रेजी राज। पृष्ठ- 15 ।

41. भटगांव जिमींदारी का इतिहास-पृष्ठ- 92 ।

42. डा. रमेन्द्र नाथ मिश्र-छत्तीसगढ़ में अँग्रेजी राज पृष्ठ- 21 ।

**चतुर्थ अधिकरण:**

# जमींदार नारायण सिंह बिंझवार

महानदी की घाटी और छत्तीसगढ़ की माटी के महान सपूत वीर नारायण सिंह बिंझवार का जन्म सन् 1795 में सोनाखान के जमींदार के यहाँ हुआ था।[1] पिता राम राय की मृत्यु के बाद उनका 35 वर्षीय पुत्र नारायण सिंह वर्ष 1830 में सोनाखान के लोकप्रिय जमींदार बने।[2] नारायण सिंह बाल्यकाल से ही पराक्रमी एवं मेधावी थे। निशानेबाजी में दक्ष थे। तीर चालन में विशेष निपुण थे। बीहड़ जंगलों में शेरों के मध्य निर्भय घूमते थे। तालाब एवं नदी में तैरना, पेड़ों पर चढ़ना उनका विशेष शौक था। घुड़सवारी में भी उन्हें विशिष्टता प्राप्त थी। वे दशहरा एवम् अन्य धार्मिक उत्सवों में रुचिपूर्वक भाग लेते थे तथा अपने ब्राम्हण गुरू से धार्मिक ग्रन्थों एवं नीति संबंधी ज्ञान की शिक्षा लेते थे। रामायण एवम् महाभारत में उनकी रुचि थी लोकोत्सव में भी वे सम्मिलित होते थे। वे परोपकारी, मृदुभाषी एवं मिलनसार थे। अत्याचार, अन्याय एवं शोषण के घोर विरोधी थे। फलतः वे अपने पिता के संघर्षों में कंधे से कंधा भिड़ा कर सम्मिलित होते थे। उनमें अपने पूर्वज बिसई ठाकुर जैसी दृढ़ता, फतेह नारायण सिंह सदृश धैर्य एवं साहस तथा पिता राम राय जैसी जननेतृत्व करने की क्षमता थी। जमींदार बनते ही इन सभी गुणों को प्रदर्शित करने का उन्हें अवसर मिला।[3] कुर्रु पाट डोंगरी में ही वीर नारायण सिंह ज्यादा समय रहते थे। उनके पास एक कबरा घोड़ा था। वो अक्सर घोड़े पर सवार होकर गाँव-गाँव घूमा करते थे। किसानों के दुख दर्द सुना करते थे, हल बताते थे और उनकी यथाशक्ति मदद भी किया करते थे। आज भी बहुत से लोग कहते हैं कि हमने आज भी वीर नारायण सिंह को कबरा घोड़े पर सवार होकर घूमते हुए देखे हैं। मैंने उन व्यक्तियों से पूछा-क्या तुममें से किसी ने नारायण सिंह को घोड़ पर सवार देखा है। 'नहीं हमन नई देखे हवन' कुर्रुपाट डोंगरी वीर नारायण सिंह की गाथाओं का जिन्दा इतिहास है। एक जगह सहकारी विभाग द्वारा कुछ खुदाई भी की गई है।[4]

अपनी जमींदारी संभालने के बाद उसने प्रजा के दुख दर्द को समझा और उसे दूर करने के लिए अनेक उपाय किए। वह धर्म पारायण व्यक्ति भी था। सोनाखान के पश्चिम में एक पहाड़ स्थित है इसे कुर्द पाट (कुरुपाट) कहते हैं। यहाँ स्थित कुर्दपाट देवता की आदिवासी पूजा करते हैं। नारायण सिंह भी लोक देवता के अनन्य भक्त थे। वे अन्य जमींदारों की तड़क-भड़क से अलग बहुत सादा जीवन व्यतीत करते थे। उनका मकान बड़ी हवेली या किला नहीं था बल्कि बाँस और मिट्टी से बना साधारण मकान था। वे आम जनता के बीच समरत होकर ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। वे अपने प्रिय स्वामिभक्त कबरे घोड़े पर सवार होकर क्षेत्र का दौरा करते थे और रैय्यत की समस्याओं एवं कठिनाइयों का हल खोजते थे। सोनाखान में राजा सागर, रानी सागर और नंद सागर तीन तालाब हैं। जो इस जमींदार की सच्ची लोक कल्याणकारी नीतियों के साक्षी हैं। उन्होंने स्वयं नंद सागर के आस पास वृक्षारोपण करके नंदन वन का रूप दिया था। उनके पिताजी ने जीते जी जो परम्परायें शुरू की थीं उन्होंने तथा उनके पुत्र गोविंद सिंह ने उनका पालन किया।[5]

सन् 1835 में देवनाथ ब्राम्हण के द्वारा रैय्यत को दिए गए कर्ज वापसी के मामले को लेकर नारायण सिंह के कर्मचारियों ने उक्त ब्राम्हण साहूकार की हत्या कर दी। जिससे उस क्षेत्र में एक तनाव का वातावरण बना था।[6] इसकी सूचना अँग्रेजों को मिली। जाँच भी कई गई उसे दोष मुक्त कर दिया गया। सोनाखान जमींदारी से टकोली की अदायगी न होने के कारण रायपुर के डिप्टी कमिश्नर सी. इलियट, नारायण सिंह के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे। इलियट उसे दंडित करने की प्रतीक्षा में था। इसके लिए वह सूक्ष्म कारणों को भी खोजने में सक्रिय था। उसने नागपुर के कमिश्नर को शिकायत की कि मेरी दृष्टि में जमींदार का व्यवहार असहनीय एवं अत्याचार पूर्ण है।[7] डिप्टी कमिश्नर रायपुर ने सोनाखान के जमींदार से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों को अनदेखा कर दिया था- (अ) बिंझवार राजपूत परिवार की प्राचीनता एवं राजभक्ति, (ब) भौगोलिक स्थिति तथा अर्धस्वायत्त स्वरूप संबंधी स्थिति (स) संरक्षण काल में सुपरिन्टेन्डेन्ट द्वारा सोनाखान जमींदार से की गई संधि के उपबंध[8] 1830 से 1854 के मध्य इन 24 वर्षों में छत्तीसगढ़ सूबा शासन के अंतर्गत था। इसका मुख्यालय रायपुर था। इस अवधि में शांति एवं सुव्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया गया।[9] 1835 से 1855 के मध्य सोनाखान जमींदारी में अनेक समस्याएँ आती रहीं किन्तु नारायण सिंह ने उनका दृढ़ता पूर्वक सामना किया। वह अपने व्ययगत

ग्रामों को पुन: प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहा इस अवधि में अँग्रेज अपनी देशव्यापी समस्याओं में व्यस्त थे। अफगान, सिंध, मिस्र, वर्मा आदि ज्वलंत प्रश्न थे। नागपुर में रघुजी तृतीय का शासन सामान्य रूप से चल रहा था। राजा अस्वस्थता के कारण छत्तीसगढ़ आकर प्रशासन देखने की स्थिति में नहीं था। यद्यपि सोनाखान जमींदारी की जागरूकता से वह सतर्क था। नारायण सिंह ने भी इन परिस्थितियों से लाभ उठाते हुए अपने अधिनस्त जमींदारी क्षेत्र में सुशासन स्थापित करने का प्रयास किया।

(1) नारायण सिंह प्रतिवर्ष प्रत्येक गाँव में जाकर जनसंपर्क किया करते थे। और कष्ट निवारण हेतु अधिनस्त कर्मचारियों को निर्देश देते थे।

(2) नारायण सिंह अपने क्षेत्र की जनता के सुख एवं दुख में व्यक्तिगत रूप से सम्मिलित होते थे।

(3) प्रतिवर्ष दशहरा को कुल देवता की पूजा होती थी जिसमें सभी गाँवों के लोग आते थे। सोनाखान में यह एक सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक उत्सव था यहाँ मेले का भी आयोजन होता था।

(4) नारायण सिंह ने सिंचाई की सुविधा की दृष्टि से गाँव में तालाब खुदवाए तथा पुण्य की दृष्टि से वृक्षारोपण करवाया।

(5) अकाल पड़ने या अतिवृष्टि होने पर अपने क्षेत्र की जनता को वे स्वयं यथाशक्ति मदद करते थे। यहाँ तक कि उनका स्वयं का खजाना भी खाली हो जाता था। कभी-कभी साहूकारों से इस निमित्त कर्ज या अनाज बाढ़ी के रूप में लेना पड़ता था।[10]

(6) नारायण सिंह न्याय प्रिय व्यक्ति थे। कायर एवं भीरू लोगों से वे नाराज होते थे। ऐसे लोगों को वे मुरकुही ढेंकी में सजा देते थे। यदि उनसे कोई साहूकारों एवं अँग्रेजों प्रताड़ना का विरोध कर साहसिक कार्य करता था तो वे प्रसन्न होते थे और वे उनकी पीठ थपथपाकर पुरस्कार देते थे। उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता को अन्याय के विरोध करने की प्रेरणा दी।[11]

(7) नारायण सिंह धर्म निर्पेक्ष व्यक्ति थे। इसीलिए उन्हें सभी वर्गों का सहयोग प्राप्त था।

(8) नारायण सिंह कृषक एवं मजदूरों को बहुत अधिक मदद देते थे। आवश्यकता पड़ने पर बीज एवं बैल आदि भी मुहैया कराया जाता था।

(9) अपनी जमींदारी में बेरोजगारी को रोजगार देते थे। तालाब, कुँये, मकान बनवाना इसी श्रृंखला की कड़ियाँ थे।

(10) उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आदि पश्चिमी क्षेत्रों से आने वाले तीर्थ यात्रियों को जगन्नाथपुरी की निर्विघ्न यात्रा करने में सहयोग प्रदान करते थे। यही कारण है कि उनकी जमींदारी में पिंडारी या ठगों का प्रवेश नहीं हो सका था।

(11) वे वनोपज की सुरक्षा में लगे रहते थे तथा वन्य प्राणियों के शिकार को नियंत्रित करते थे।

(12) नारायण सिंह वृद्धों को आश्रय देते थे और गरीब कन्याओं की शादी में सहयोग प्रदान करते थे।

(13) उस अंचल की सुरक्षा हेतु परम्परागत ढंग से अंग्रेजों ने भी उनसे सहयोग लिया।

(14) जनता को शिक्षित करने हेतु विभिन्न विद्वानों साधु-सन्तों से श्रीमद् भागवत, महाभारत, अखण्ड रामायण आदि धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करते थे।

(15) जनता के मनोरंजन के लिए बाजार एवं मेलों का आयोजन होता था मदारी, तमाशबीन तथा लोकगीत, लोकनृत्य आदि का आयोजन भी कराते थे।[12]

नारायण सिंह अपनी जमींदारी में सुख एवं शान्ति के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। 1854 के प्रारंभ में नागपुर राज्य के साथ छत्तीगढ़ क्षेत्र भी अँग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। कैप्टन इलियट ने इस अंचल की जमींदारियों का दौरा करके सरकार को रिपोर्ट भेजी। नये ढंग से टकोली नियत किया गया जिसकी व्यापक प्रतिक्रिया हुई। नारायण सिंह ने भी अँग्रेजों की इस नयी नीति का विरोध किया। इन्हीं परिस्थितियों के मध्य दुर्भाग्यवश 1855-56 में सोनाखान जमींदारी के क्षेत्र में अकाल पड़ा। वर्ष 1856 के अगस्त माह में सोनाखान तथा आसपास के क्षेत्र में भयानक सूखा पड़ा जिससे चारों ओर भीषण अकाल की स्थिति हो गई। लोग त्राहि-त्राहि कर उठे। आदिवासियों को कंद-मूल फल और यहाँ तक कि पानी मिलना कठिन हो गया। सूखा पीड़ित जनता सोनाखान में इकट्ठा हुई। इन लोगों ने नारायण सिंह के नेतृत्व में निकटवर्ती करोंद गाँव के एक व्यापारी माखन से सम्पर्क किया और उससे आग्रह किया कि वह गरीब,

बेबस किसानों को खाने के लिये अन्न व बोने के लिये बीज अपने भण्डार में से दे दें। वे किसान उसे परम्परा के अनुसार उधार लिया अनाज फसल आने पर वापिस कर देंगे किन्तु उस बनिये ने किसी की भी गुहार नहीं सुनी। नारायण सिंह ने सूदखोर और जमाखोर बनिये के गोदाम खुलवाकर इतना अनाज ले लिया जो उन जरूरतमन्द किसानों के लिए आवश्यक था और उसे उनमें बाँट दिया।[13]

सोनाखान गाँव जोंक नदी के दक्षिण में लगभग एक मील दूर है तथा रायपुर से लगभग 120 मील दूर है। यह पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ, बाँस एवं सागौन के जंगलों से युक्त है।[14] यह जमींदारी प्रारंभ में रायपुर जिले में फिर बिलासपुर जिले में (1861) तथा कालांतर में पुनः रायपुर जिले में स्थानांतरित हुई तथा बलौदा बाजार तहसील का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह बिलासपुर से 60 मील दूर दक्षिण पूर्व में स्थित है तथा शिवरीनारायण से 20 मील दूर है।[15] ब्रिटिश नियंत्रण के पश्चात् 1855 में डिप्टी कमिश्नर इलियट ने इस अंचल का अवलोकन किया तथा 10 जून 1855 को शासन को प्रेषित अपनी रिपोर्ट में लिखा सोनाखान में 12 गाँव शामिल माने जाते हैं और यहाँ से 303 रुपये 12 आने का रेवेन्यू जमा होता है।[16] यहाँ से टकोली का भुगतान नहीं होता। यह वर्तमान अधिपति नारायन सिंह जो कि बिंझवार राजपूत है उनके परिवार के अधिकार में पिछले 366 वर्षों से है....इस जमींदारी में किसी प्रकार का कर नहीं लगाया गया था। बिम्बाजी के समय सोनाखान से इमारती लकड़ी एवं लाख की पूर्ति (वार्षिक) भोंसलों को की जाती थी। वह 1224 फसली तक चलता रहा बाद में वर्तमान जमींदार के पिता रामराय के समय यह क्षेत्र आंग्ल नियंत्रण के अंतर्गत आया तथा पट्टे में नया संशोधन किया गया जिसके अंतर्गत लकड़ी एवं लाख के वार्षिक भुगतान को समाप्त कर दिया गया क्योंकि जमींदार ने प्रार्थना की थी कि ऐसी कोई शर्त पट्टे में उल्लिखित नहीं थी। उसे 300 रुपये नामनूक भी प्रदान किया गया। देवनाथ मिश्र नामक ब्राम्हण से लिए गए कर्ज के फलस्वरूप उसके द्वारा तथाकथित अपमान किए जाने के कारण (देवनाथ ने संबलपुर के सुरेन्द्र साय तथा उदयपुर के खूंखार शिवराज सिंह को पकड़वाने में आम भूमिका निभाई थी) कत्ल कर दिया गया।[17] नागपुर में इसकी जाँच पड़ताल के बाद इस जमींदार को उसको रियायत में दी जाने वाली सुविधायें समाप्त कर दीं। जमींदार की अहंकारी एवं क्रूर प्रवृत्ति की सूचना मेरे पास सदैव पहुँचती रहती थी। उसका यह व्यवहार पड़ोस के खरौद एवं लवन की

जमींदारियों एवं परगनों में भी व्याप्त था.... । मैं इसके लिए गंभीर रूप से ताकीद कर चुका था.... ।

निम्न उदाहरणों से उक्त जमींदारी के प्रति ब्रितानी अधिकारियों के द्वैष पूर्ण व्यवहार का आभास स्पष्टत: प्रतीत होता है ।

1. भूतपूर्व अधिकारी जेन्किन्स का नाम विशेष उल्लेखनीय है जिसने अपने बाद के अधिकारियों को सोनाखान के जमींदारों के विरुद्ध भड़काने में प्रमुख भूमिका निभाई ।
2. डिप्टी कमिश्नर ने मामले की सत्यता का पता लगाने की कोशिश न करके अपने पहले के अधिकारियों के उल्लेखित विवरणों पर ही अपनी कार्यवाही आगे बढ़ाई ।
3. उसने आर्थिक लाभ की ब्रितानी नीति का पूर्ण रुपेण पालन किया तथा ब्रितानी कोषागार से जमींदार को कुछ भी नहीं दिया ।

   देवनाथ मिश्रा के कत्ल के लिए जमींदार द्वारा अपनाए गए उग्र कदम से डिप्टी कमिश्नर और भी अधिक क्रोधित हो उठा । इन सब तथ्यों के अतिरिक्त जमींदार के विरुद्ध नई एवं ताजी शिकायातों से डिप्टी कमिश्नर आग बबूला हो उठा । उपरोक्त तमाम घटनाओं से डिप्टी कमिश्नर इस ताक में था कि लेश मात्र भी बहाना मिलने पर जमींदार को दंडित किया जाय किंतु वह भूल गया कि वह ऐसे परिवार के विरुद्ध कार्यवाही करने जा रहा था जो इस अंचल का बहुत ही पुराना बाशिंदा एवं प्रतिष्ठित परिवार था जिसे अपनी प्रजा एवं पड़ोसी जमींदारों का पूर्णतय: सम्मान प्राप्त था । इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के आधार पर जमींदार को दी जाने वाली आर्थिक सहायता एवं सुविधा न्यायोचित थी । क्या ब्रितानियों, उत्तर पश्चिमोतर सीमा प्रांत के खानों एवं अफगानिस्तान के लोगों को यह सुविधा प्रदान की थी और रास्ता दिया था तो सोनाखान में आर्थिक सहायता प्रदान करने में क्या आपत्ति थी ।
4. जमींदार के विरुद्ध ब्रिटिश अधिकारियों के आरोप न तो उपयुक्त थे और न ही उसका औचित्य था ।[18]

ऐसा प्रतीत होता है कि डिप्टी कमिश्नर दुराग्रह से ग्रस्त था और वह जमींदार के विरुद्ध निश्चित विरोधी धारणा बना चुका था । अत: ऐसी स्थिति में खालसा के व्यापारी माखन बनिया के गोदाम को जमींदार द्वारा लूटे जाने

की सूचना प्राप्त हुई। अत: डिप्टी कमिश्नर ने उसे बुलवाया तथा आदेश की अवहेलना होने पर उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया।[19]

सन् 1856 में छत्तीसगढ़ में सूखा पड़ा जिससे उसकी जमींदारी के लोग दाने-दाने के लिए तरसने लगे। एक गाँव के माखन नामक व्यापारी के पास अन्न के विशाल भण्डार थे। नारायण सिंह को यह असहय था कि जनता भूखों मरती रही और व्यापारी अनाज भण्डारों में जमा करता रहे। अत: नारायण सिंह ने भण्डारों के ताले तोड़ दिए और उनमें से उतना अनाज उसमें से निकाला जो भूख के शिकार किसानों के लिए आवश्यक था। नारायण सिंह चरित्रवान एवं ईमानदार व्यक्ति थे।[20] उसने जो कुछ किया था उसके विषय में तुरंत ही डिप्टी कमिश्नर को लिख दिया।[21] माखन की शिकायत पर रायपुर के डिप्टी कमिश्नर इलियट ने सोनाखान के जमींदार नारायण सिंह के विरुद्ध वारंट जारी कर दिया नारायण सिंह के उपस्थित न रहने पर उसके तीर्थ यात्रा के मार्ग संबलपुर में बंदी बना लिया।[22] सोनाखान के जमींदार का पीछा करने के लिए मुल्की घुड़सवारी की एक टुकड़ी भेज दी गई थी और थोड़ी बहुत परेशानी के बाद संबलपुर में उसे 24 अक्टूबर 1856 को गिरफ्तार कर लिया गया।[23] तथा उस पर मुकदमा चलाया जा रहा है इसकी सूचना रायपुर के डिप्टी कमिश्नर इलियट ने नागपुर के कमिश्नर प्लाउडन को पत्र द्वारा सूचना भेजी।[24] उसने उपरोक्त पत्र में जमींदार के संदिग्ध चरित्र का उल्लेख करते हुए लिखा था कि जमींदार कोई टकोली नहीं देता है तथा कंपनी से नामनूक रूप में 564 रुपये 4 आने 7 पैसे वार्षिक प्राप्त करता है।[25] वस्तुत: नारायण सिंह की राजनैतिक चेतना एवं जागरूकता ब्रितानी अधिकारियों को चुनौती थी।[26] उसने कमिश्नर को जेन्किन्स की रिपोर्ट की भी याद दिलायी। जिसके अनुसार जमींदारों में सोनाखान के वर्तमान जमींदार नारायण सिंह के पिता रामराय ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो विशिष्ट महत्व रखते हैं।[27] 1856 का साल उस क्षेत्र में भयंकर सूखे के कारण अकाल ग्रस्त हो गया था। जंगल के जानवर भी सूखा पड़ने से जंगल छोड़ भाग गए। पहाड़ी क्षेत्र के कंदमूल भी मिलना दूभर हो गया। सोनाखान राज के लोग अनाज के बिना त्राहि-त्राहि करने लगे थे। सोनाखान में नारायण सिंह की बैठक में सब एकत्रित हुए। और सब एक आवाज में बोल उठे कैसा करें? गाँव छोड़कर भाग जाएँ या दूसरा रास्ता देखें। छत्तीसगढ़ में अँग्रेजों का कब्जा तीन साल पहले से चल रहा था। अँग्रेज कमिश्नर इलियट तथा स्मिथ थे। कसडोल के मिश्र परिवार के ऊपर अँग्रेजों की कृपा दृष्टि थी। सोनाखान की बैठक में तय हुआ कि कसडोल के मिश्र परिवार से कर्जा में अनाज माँगा

जाय। कुछ ब्याज भी दिया जायेगा। वैसे बताया गया मिश्र परिवार के लोगों का अकाल से लाभ उठाने का पक्का निश्चय था। उनके मुँह से लार टपकने लगी थी। अकाल की स्थिति में ज्यादा ब्याज व अधिक मुनाफे के लालच में मिश्र परिवार ने नारायण सिंह के बात पर अनाज देने से इंकार कर दिया परंतु कोई हल नहीं निकला। महाजन के कोठे का अनाज सूखने लगा। सोनाखान स्थित नारायण सिंह की बैठक में गाँव-गाँव के मुखिया जुटते गए बातचीत चलती रही, नारायण सिंह बोले 'नहीं, भूख से कोई नहीं मरेगा। भले लड़ाई के मैदान में जूझते हुए प्राण ही क्यों न चले जायें।' नारायण सिंह ने उपस्थित लोगों से पूछा कि क्यों तुम लोग लड़ने को तैयार हो जवाब में लोगों ने एक स्वर में कहा कि लड़बोन-लड़बोन (लड़ेंगे, लड़ेंगे) और यह आवाज इतनी तेज थी कि सारे पहाड़ी इलाकों में तथा जंगलों में यही आवाज गूँजने लगी तथा गाँव-गाँव में पहुँचने लगी। लोग सोनाखान पहुँचने लगे। कुरुपाट में नारायण सिंह का डेरा था। कुरुपाट का पानी पीकर सरदारों ने शपथ ली कि अब हम साहूकारों को सहन नहीं करेंगे। साहूकारों की कोठी में आदिवासी किसानों की मेहनत लगी थी। उनकी लहू पसीने की कमाई से युक्त अनाज महाजन की कोठी में भरा हुआ रहे और हम भूख से तड़फते रहें यह कभी नहीं होगा। नारायण सिंह के नेतृत्व में लड़ने का संकल्प करके लोग 1856 में कसडोल की ओर चल पड़े। साह साहूकारों का व्यवहार नारायण सिंह से अब सहा नहीं गया। कोठी के धान को नारायण सिंह ने जब्त कर लिया तथा लोगों के बीच जरूरत के अनुसार बाँट दिया यह घटना एक क्रांतिकारी घटना थी। आर्थिक माँगों पर अन्नाज के लिए संघर्ष की जो मिसाल छत्तीसगढ़ के दूर एवं दुर्गम ग्राम में नारायण सिंह ने प्रारंभ की उसकी मिसाल इतिहास में दुर्लभ है। यह था जनता के लिए जनता द्वारा संग्राम। जिसका नेतृत्व किया था आदिवासी नेता वीर नारायण सिंह ने।[28]

अँग्रेजी सत्ता की निगाहों में यह कानून का उल्लंघन था। उसके सामने नारायण सिंह की मानवीय संवेदना और हजारों किसानों के भूखों मरने का कोई मूल्य नहीं था। दर असल अँग्रेजी सत्ता तो नारायण सिंह के विरुद्ध कार्यवाही करने का बहाना ढूँढ ही रही थी। जमाखोर, मुनाफाखोर, शोषक व्यापारियों को प्रत्येक सत्ता संरक्षण देती है और ऐसे व्यापारियों को शोषण से बचाने वाले हर व्यक्ति को कानून सजा देता है। इतिहास का उपर्युक्त तथ्य एक प्रमाण है। सोनाखान के अकाल ग्रस्त किसानों को अँग्रेजी सत्ता से कोई सहायता तो क्या कोई सहानुभूति भी नहीं मिली बल्कि उनके प्राणों के एकमात्र रक्षक और पूँजीवादी

शोषण से बचाने वाले बहादुर नेता को जेल की कोठरियों में मानवीय मूल्यों के लिए संघर्ष करने के अपराध में दण्ड भोगने के लिए डाल दिया।[29] जब व्यापारी और सत्ता की साँठ गाँठ होती है तब प्रत्येक युग में न्याय अपना अर्थ खो देता है और मानवीय भावनाओं को जेल में बंद कर दिया जाता है। वीर नारायण सिंह के जेल भेज दिए जाने से न तो अकालग्रस्त किसानों का संकट दूर हुआ और न ही वीर नारायण सिंह की भावनाओं और उसकी लोकप्रियता को ही कुचला जा सका। सोनाखान के किसानों में वीर नारायण सिंह जन नायक के रूप में लोकप्रिय हो गए। वीर नारायण सिंह का शरीर भले ही जेल में बंद हो गया था किन्तु उनका हृदय सोनाखान के किसानों के हृदयों में शासन कर रहा था।[30] सोनाखान एवं 18 गांव के आदिवासी किसान गुस्से से तमतमाते रहे थे।[31] दूसरी ओर अँग्रेजों का यह विचार था कि नारायण सिंह अहंकारी, क्रूर प्रवृत्ति वाला आतंक उत्पन्न करने वाला दुर्व्यवहारी व्यक्ति था। डिप्टी कमिश्नर इलियट ने लिखा था कि उसके इस दुर्व्यवहार का आतंक खरौद और लवन की जमींदारियों एवं परगनों में भी व्याप्त था....मैं उसे उसके लिए गंभीर रूप से ताकीद भी कर चुका हूँ।[32]

अँग्रेजी साम्राज्यवाद देशी राजा व जमींदारों के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहा था और वही तमाम राजाओं को दुश्मन बनाना चाहता था। तब साम्राज्यवादी अँग्रेजों ने एक नई चाल चली। उन्होंने एक नए देशद्रोही दलाल वर्ग को ढूँढ निकाला। यह वर्ग था महाजन वर्ग। साहूकारों ने अँग्रेजों की मेहरबानी से समूचे देश में अपना जाल बिछा दिया।[33]

नारायण सिंह को चोरी एवं डकैती के जुर्म में बन्दी बनाया गया था।[34] सोनाखान के किसान अपने नेता को जेल में सड़ते हुए देख कर बेचैन थे, दुखी थे किन्तु उनके पास कोई चारा नहीं था। उसी समय देश में अँग्रेजी सत्ता के विरोध में विप्लव की अग्नि फूट पड़ी। इसका लाभ उठाकर सोनाखान के किसानों ने संभवत: सम्बलपुर के विद्रोही नेता एवं क्रांतिकारी सुरेन्द्र साय से सम्पर्क किया और उनकी मदद से रायपुर जेल से भाग निकलने की योजना बनाई।[35] दस माह चार दिन बंदी रहने के बाद रायपुर के डिप्टी कमिश्नर ने कमिश्नर को सूचित किया कि 28 अगस्त 1857 को नारायण सिंह तीन अन्य साथियों के साथ भाग गया। इस समय उसने तथा उसके साथियों ने जेल में सुरंग खोद कर रास्ता बना लिया था। जमादार ने उनके भागने की सुबह सूचना दी। उन्हें वरकंदाज ने रात को (27 अगस्त को) सामान्य ढंग से बंद किया

था। लेकिन सुबह वे वहाँ नहीं थे अपितु उनकी जगह मात्र एक छेद प्राप्त हुआ।[36] इस मामले को तुरंत ही तृतीय रेजीमेंट के कमांडर को डिप्टी कमिश्नर ने रायपुर में सौंप दिया तथा इंक्वारी करने का दायित्व सौंप दिया।[37] कमांडिंग आफिसर ने कमिश्नर को सूचना दी कि लैफ्टीनेंट स्मिथ, असिस्टैंट कमिश्नर के साथ पर्याप्त बल भेज दिया गया है तथा उनके साथ लैफ्टीनेंट नेपियर को भी भेज दिया गया है।[38] बाद में पता चला कि भागने की योजना सुनियोजित ढंग से बनायी गई थी। जेल में सुरंग होने के तुरंत बाद बाहर कुछ आदमी घोड़े लिए खड़े थे जो उन्हें भागने में मदद करने हेतु तैयार होकर आए थे।[39] कहा जाता है कि नेटिव इंफेंट्री (अनियमित पैदल सेना) ने भी नारायण सिंह को भागने में मदद की थी।[40] जमींदार नारायण सिंह भाग कर सीधा सोनाखान चला गया। रायपुर के डिप्टी कमिश्नर ने उसे पकड़ने या पकड़वाने हेतु 1000 रुपये का इनाम घोषित करवाया। उसने तुरंत एक दस्ते को सोनाखान के रास्ते की ओर भेज दिया।[41] रायपुर जेल से भागने के बाद नारायण सिंह तीन माहों तक स्वतंत्र घूमता रहा। ब्रिटिश सरकार उसे खोजने या बंदी बनाने में असमर्थ रही। नागपुर कमिश्नर ने तब एक पत्र लिखकर रायपुर के डिप्टी कमिश्नर को सूचित किया कि तुम उस पर 1857 के एक्ट 16 के अंतर्गत मुकदमा चला सकते हो और यदि उसने गंभीर अपराध किए हों और उसे अपराधी पाया जाए तो उसे फाँसी की सजा भी दी जा सकती है।[42] नवम्बर के मध्य में 1857 में पुनः एक पत्र भेजा गया जिसमें ब्रिटिश सरकार की इच्छा व्यक्त की गई थी कि शीघ्र ही नारायण सिंह को पकड़ लिया जाय तब इसका उत्तर भेजा गया कि (आफिसर कमांडिंग कैप्टन वायरन वान मेयेर्न) नारायण सिंह के विरुद्ध लैफ्टीनेंट स्मिथ तथा लैफ्टीनेंट नेपीयर को भेज दिया गया है।[43] यह शासन के विरुद्ध एक गंभीर विद्रोह माना गया।[44] अतः रायपुर के डिप्टी कमिश्नर ने सात सितम्बर 1857 को नागपुर के कमिश्नर से अतिरिक्त सैन्य बल की माँग की जिससे छत्तीसगढ़ की सुरक्षा की जा सके तथा शांति एवं व्यवस्था बनाए रखी जाय।[45] कमिश्नर ने भी तुरंत तार से संदेश भेजकर मद्रास सरकार से सहयोग की माँग की।[46]

## संदर्भ-विवरणिका


*(1) वीर नारायण सिंह- भारतीय डाक विभाग, नई दिल्ली, पृष्ठ- 1 सन् 1987।*

*(2) मिश्र, पी.एल. -पालीटिकल हिस्ट्री आफ छत्तीसगढ़, पृष्ठ-353।*

*(3) मिश्र, रमेन्द्र नाथ- छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद वीरनारायण सिंह पृष्ठ- 4।*

(4) छत्तीसगढ़ का किसान युद्ध का पहला क्रान्तिकारी शहीद वीरनारायण सिंह, पृष्ठ-4 ।

(5) पूर्वोक्त छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद पृष्ठ-6 ।

(6) शील-योगेन्द्रनाथ-हिस्ट्री आफ सी.पी. एण्ड बरार पृष्ठ- 167 ।

(7) छत्तीसगढ़ डिवीजनल रेकार्डस् वाल्यूम 8 नं. 78, पृष्ठ- 158 ।

(8) पाल विमल इन्द्र-हिस्ट्री एण्ड एडमिनीस्ट्रेशन आफ छत्तीसगढ़ प्राविंस 1854-67 पृष्ठ- 113 ।

(9) सी.जे. ग्रान्ट-द गजेटियर आफ द सेंट्रल प्राविन्सेज आफ इंडिया 1870, पृष्ठ- 97 ।

(10) डॉ. मिश्र, रमेन्द्र नाथ-नारायण सिंह का योगदान, पृष्ठ- 3 से 6 तक

(11) पूर्वोक्त शंकर गुहा नियोगी, पृष्ठ 4 एवं 5 ।

(12) सोनाखान, गोंडमर्रा, देवरी आदि क्षेत्र के बुजुर्गों एवं नारायण सिंह परिवार के लोगों से लिए गए साक्षात्कार के आधार पर (कंवल सिंह, गजपाल सिंह, नूरपाल सिंह आदि से साक्षात्कार दिनांक 19 दिसम्बर 1987 द्वारा-डॉ. रमेंद्रनाथ मिश्र)

(13) छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह, पृष्ठ- 6 से 7 ।

(14) छत्तीसगढ़ डिवीजनल रेकार्ड वाल्यूम 12 पत्र क्रमांक 657 पृष्ठ 161-162 । दिनांक 9-12-1957 ।

(15) सी.पी. गजेटियर चार्ल्स ग्रान्ट पृष्ठ- 482 । 1870

(16) छत्तीसगढ़ डिवीजनल रेकार्ड भाग- 8, पृष्ठ- 185, अप्रकाशित ।

(17) डॉ. पी.एल. मिश्रा-पोलीटिकल हिस्ट्री आफ छत्तीसगढ़ पृष्ठ- 353 ।

(18) डॉ. अशोक शुक्ल-छत्तीसगढ़ का राजनैतिक इतिहास एवं राष्ट्रीय आन्दोलन पृष्ठ- 30, 31 ।

(19) डॉ .पी. एल. मिश्रा-पौलीटिकल हिस्ट्री आफ छत्तीसगढ़ पृष्ठ- 354 ।

(20) म.प्र. स्वाधीनता आन्दोलन विशेषांक-मध्य प्रदेश संदेश, पृष्ठ-अ- 32 ।

(21) डी.पी. मिश्र, पृष्ठ- 84 ।

(22) छत्तीसगढ़ डिवीजनल रेकार्ड वाल्यूम- 8, सिरियल नं. 105, पृष्ठ- 210 पत्र दिनांक 16-9-1856, फ्राम डिप्टी कमिश्नर टू कमिश्नर नागपुर ।

(23) छत्तीसगढ़ डिवीजनल रेकार्ड भाग- 2 पृष्ठ- 5 क्रमसंख्या 234, वर्ष 1857 ।

(24) शहीद नारायण सिंह सोनाखान लेख पृष्ठ- 32, लेखक डा. शंभू दयाल गुरु वही म.प्र. स्वाधीनता विशेषांक ।

(25) छत्तीसगढ़ डिवीजनल रेकार्ड खण्ड- 4, पृष्ठ- 210, दिनांक 16-9-1856 इलियट द्वारा (प्लाउडन) को लिखा गया पत्र) ।

(26) रायपुर जिले में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन 1857-1947- रामगोपाल शर्मा पृष्ठ- 5 ।

(27) जेन्किन्स रिपोर्ट पृष्ठ- 134 ।

(28) शंकर गुहा नियोगी पृष्ठ- 10 ।

(29) हरि ठाकुर 1857 के अमर शहीद वीर नारायण सिंह पृष्ठ- 16 ।

(30) डॉ. मिश्र, रमेन्द्र नाथ-प्रथम किसान नेता आदिवासी शहीद वीर नारायण सिंह पृष्ठ- 27, 28 ।

(31) वीर नारायण सिंह लाल जोहार पृष्ठ- 14 ।

(32) छत्तीसगढ़ डिवीजनल रेकार्ड नागपुर भाग- 8, क्रमांक 158, 1857 ।

(33) वीर नारायण संहि लाल जौहार पृष्ठ- 14 ।

(34) रायपुर गजेटियर 1909 पृष्ठ 61, 62 एवं बिलासपुर सेटेलमेंट रिपोर्ट जे.डब्ल्यू चिशोल्म 1868 पृष्ठ- 35 ।

(35) डॉ. रमेन्द्र नाथ मिश्र-प्रथम किसान नेता तथा आदिवासी शहीद वीर नारायण सिंह पृष्ठ- 28 ।

(36) छत्तीसगढ़ डिवीजनल रेकार्ड भाग- 11 पृष्ठ- 11, दिनांक 15-9-57 सीरियल नं. 234 वर्ष 1857 ।

(37) मिश्र, पी.एल. पोलीटिकल हिस्ट्री आफ छत्तीसगढ़, पृष्ठ- 355 ।

(38) छत्तीसगढ़ डिवीजनल रेकार्ड नागपुर पृष्ठ- 45, भाग- 2 दिनांक 1-12-57 सीरियल नं. 1089 वर्ष 1857 एवं छत्तीसगढ़ डिवीजनल रेकार्ड भाग- 16 लेटर नं. 234, दिनांक 16-9-1857 ।

(39) फारेन पालीटिकल सीक्रेट प्रोसीडिंग्स नं. 535 दिनांक 29-8-1857 इलियट द्वारा जी प्लाउडन को लिखा गया विवरण ।

(40) पार्लियामेंट्री पेपर्स रिकार्डिंग टू म्यूटिनी नं. 4 पृष्ठ- 274 ।

(41) वही पाल विमल इन्द्र पृष्ठ- 116 ।

(42) फारेन डिपार्टमेंट सीक्रेट प्रोसीडिंग्स नं. 535 दिनांक 5-9-1857 ।

(43) छत्तीसगढ़ डिवीजनल रेकार्ड भाग- 11, सीरियल नं. 108 पृष्ठ- 45 पत्र दिनांक 1-12-1857 ।

(44) सी.जे. ग्रान्ट-गजेटियर 1870 पृष्ठ- 482 ।

(45) पार्लियामेंट्री पेपर्स रिकार्डिंग म्यूटिनी फर्दर पेपर्स नं.- 4, पृष्ठ- 278 ।

(46) पार्लियामेंट्री पेपर्स रिकार्डिंग म्यूटिनी फर्दर पेपर्स नं.- 4, पृष्ठ- 268, 269 ।

■

**पंचम अधिकरण :**

# 1857 की क्रांति एवं जमींदार नारायण सिंह

भारत में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध जनता का आक्रोश यों कई बार आन्दोलित हुआ है और कई बार वह सीमित विद्रोह के रूप में उभरा है तथापि 1857 का यह विद्रोह हिंसक आन्दोलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता है।[1] हमारे देश में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ पहली लड़ाई सन् 1857 में लड़ी गई।[2] क्रान्ति ज्वाला जब देश में प्रज्ज्वलित हुई तब उसकी चिन्गारी भी छत्तीसगढ़ के अरण्यांचल में भी प्रज्ज्वलित हुई और लोगों ने एक स्वर में जेल में बंद नारायण सिंह को अपना नेता चुना।[3] सारे देश में सिपाही गदर की आग जल रही थी। बंगाल बैरकपुर में गदर की चिंगारी जल उठी, झाँसी की रानी लक्ष्मी बाई, तात्या टोपे, नाना साहब आदि सिपाही गदर का नेतृत्व संभाले। रायपुर के जेल में बैठ कर वीर नारायण सिंह का दिल भी इस गदर में भाग लेने के लिए अँग्रेज साम्राज्यवाद को देश से हटाने के लिए आन्दोलित हो उठा।[4] जेल में रहने के बाद नारायण सिंह रायपुर जेल से उसी तरह चकमा देकर भाग गए जैसे कि 17वीं शताब्दी में शिवाजी औरंगजेब की कारावास से भाग गए थे।[5] नारायण सिंह के रायपुर स्थित वकील के घर की तलाशी ली गई, तलाशी में एक कागज प्राप्त हुआ जिसमें तीसरी रेजीमेंट के लांसनायक शमशेर बहादुर का नाम लिखा था। मुकदमें की सुनवाई के दौरान दयाराम सहित अन्य कैदियों से पूछे जाने पर यह ज्ञात हुआ कि नारायण सिंह एवं शमशेर बहादुर का आपस में संपर्क था। इस पर असिस्टेंट कमिश्नर स्मिथ ने शमशेर बहादुर का कोर्ट मार्शल किए जाने की सिफारिश की किन्तु निश्चित साक्ष्य के अभाव में तीसरी रेजीमेंट के कमाण्डर ने ऐसा करने से इंकार कर दिया। इसके बाद इसका मामला रायपुर के डिप्टी कमिश्नर इलियट को सौंपा गया उसके मन में भी तीसरी रेजीमेंट के सिपाहियों पर अविश्वास की भावना पैदा हुई। इलियट ने नागपुर के कमिश्नर को पत्र लिखकर सूचित किया कि कम से कम शमशेर बहादुर को तीसरी रेजीमेंट से हटा दिया जाय। इस प्रकार

नागपुर के कमिश्नर को भी रायपुर में सैनिक विद्रोह का भय हो गया। उन्होंने गवर्नर जनरल को दिल्ली पत्र लिखकर निवेदन किया कि मद्रास रेजीमेंट को नागपुर में रोका जाय ताकि रायपुर में तैनात तीसरी रेजीमेंट के सिपाही यदि विद्रोह करते हैं तो मद्रास रेजीमेंट का उपयोग किया जा सके। गवर्नर जनरल ने कमिश्नर की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली।[6] नारायण सिंह भली भाँति जानते थे कि अँग्रेज सरकार उन्हें बख्शेगी नहीं और जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने के लिए पूरी ताकत लगा देगी और ऐसा हुआ भी। नारायण सिंह ने परिणामों की तनिक भी परवाह किए बिना अँग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष का शंखनाद जारी रखा।[7] बिंझवार जाति के आदिवासी जमींदार नारायण सिंह के साहसिक कार्यों ने जनहित कार्यों में संलग्न होकर अँग्रेजों का विरोध अकेले ही हिम्मत के साथ किया।[8] सोनाखान पहुँच कर नारायण सिंह ने 500 बंदूक धारियों की एक सेना एकत्रित करने में सफलता पाई। उसने हथियार एव गोला बारूद बड़ी मात्रा में एकत्र किए और सोनाखान पहुँचाने वाले प्रत्येक रास्ते पर जबर्दस्त मोर्चाबंदी कर दी।[9] उसके साथ 7-8 जिंजले थी।[10] नारायण सिंह के पास 500 कट्टर समर्थक थे।[11] जब नारायण सिंह आ गए तो गाँव-गाँव के आदिवासी अपने नेता को देखकर खुशी-खुशी दृढ़ निश्चय होकर संगठित हुए विद्रोह का नगाड़ा गाँव-गाँव बजने लगा।

गाँवों में बैठकें हुई। नारायण सिंह के नेतृत्व में लोगों ने अँग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ फिर से संग्राम के लिए इरादा बनाया। सिपाही गदर के इतिहास में छत्तीसगढ़ भी जुड़ गया। छत्तीसगढ़ के इतिहास में आदिवासी के टपकते खून का इतिहास देश को मुक्त करने का इतिहास, मुक्ति संघर्ष के इतिहास की शुरूआत, अँग्रेज चुप नहीं बैठ।[12] राष्ट्रीय नेतृत्व ग्रहण कर विदेशी सत्ता को देश की धरती से खदेड़ने का संकल्प हो रहा था। इसी श्रृंखला में छत्तीसगढ़ में वीर नारायण सिंह ने विद्रोह का शंख नाद किया था। वीर नारायण सिंह जाँबाज साथियों के सहयोग से रायपुर जेल से भाग निकले। संयोग की बात देखिए कि संभलपुर के क्रांतिकारी सुरेन्द्र साय उस समय हजारी बाग जेल में थे। 30 जुलाई 1857 को सुरेन्द्र साय हजारी भाग जेल से भाग निकले थे। उनके भाग निकलने के 28 दिन के बाद नारायण सिंह रायपुर जेल से भाग निकले। यह स्पष्ट नहीं होता कि नारायण सिंह के जेल से भाग निकलने में सुरेन्द्र साय ने कितनी सहायता की थी। रायपुर गजेटियर में नेल्सन ने संभावना व्यक्त की है कि रायपुर स्थित अँग्रेजों के तृतीय रेग्युलर रेजीमेंट के कुछ सैनिकों की सहायता से जेल से भाग निकलने में समर्थ हुआ। ये सैनिक नारायण सिंह

के नेतृत्व, शक्ति और उनके मानवीय गुणों से प्रभावित थे। इस क्षेत्र में नारायण सिंह का दबदबा भी था। अत: इन सैनिकों की धारणा थी कि यदि नारायण सिंह का देदीप्यमान नेतृत्व मिल जाता तो अँग्रेजों को छठी का दूध याद आ जाता।[13]

जनता नारायण सिंह के आह्वान पर अँग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने को कुछ भी करने को तैयार थी। आवश्यकता थी तो केवल मजबूत संगठन एवं कुशल संचालन की। नारायण सिंह ने अपनी वह कमी अपनी उपस्थिति से पूरी कर दी। रायपुर के डिप्टी कमिश्नर इलियट को नारायण सिंह के जेल से भाग निकलने और सोनाखान पहुँचने का समाचार मिला। उसकी नींद हराम हो गई। रायपुर में अँग्रेजों की फौज थी परन्तु उस पर पूर्ण विश्वास नहीं था। नारायण सिंह के विरुद्ध कार्यवाही करने में इसीलिए इलियट को पूरे 20 दिन लग गए। यह रायपुर स्थित फौज के प्रति अविश्वास का ही परिणाम था।[14] जनहित में वीर नारायण सिंह का संघर्ष अँग्रेजों से प्रारंभ हुआ। छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रान्ति का नेतृत्व उन्होंने किया।[15] अँग्रेजों ने इसे विद्रोह माना था।[16] जिला के अव्यवस्थित प्रशासन के कारण विद्रोह के लिए उपयुक्त अवसर था सोनाखान गाँव को खाली करा दिया गया। पास की पहाड़ी में मोर्चाबंदी की गई।[17] सोनाखान की ओर आने वाले हर रास्ते पर नाकेबंदी करवाकर मजबूत दीवारें खड़ी करवा दीं। निकट के गाँवों से रसद, शस्त्र, गोला बारूद आदि इकट्ठा की और साहस के साथ मोर्चा संभाला।

उन्होंने अँग्रेजों के विरुद्ध खुली बगावत का ऐलान कर दिया था। उनकी गिरफ्तारी अँग्रेज डिप्टी कमिश्नर के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुकी थी। तो उनके स्वत: के लिए आत्म सम्मान और देश की सुरक्षा व आजादी की बात बन गई थी।[18] लैफ्टीनेंट ग्रांट के नेतृत्व में पैदल एवं घुड़सवार सेना की एक टुकड़ी बिलासपुर से रवाना हुई जो रायपुर जिला के उतरी क्षेत्र को तथा सागर नर्मदा क्षेत्र के रामगढ़ एवं सोहागपुर क्षेत्र में क्रान्तिकारियों की गतिविधियों को रोकने हेतु भेजा गया।[19] 20 नवम्बर 1856 को लैफ्टीनेंट स्मिथ एवं नेपियर के नेतृत्व में 53 सवारों को आश्चर्यजनक रूप से घेरने के लिए भेजा गया किन्तु सोनाखान के रास्ते की जमींदार ने कड़ी सुरक्षा की थी। अत: उन्हें घुमाकर रास्ते से देवरी जाने को बाध्य होना पड़ा।[20]

लैफ्टिनेंट सी.बी.एल. स्मिथ ने अपने 30 पृष्ठों के 97 पैराग्राफों में लम्बे बयान से जमींदारी के विरुद्ध खोजबीन का हवाला देते हुए डिप्टी कमिश्नर को

लिखा। अभियोग का विवरण देते हुए स्मिथ ने लिखा है. . मैं नारायण सिंह को गिरफ्तार करने के लिए 20 तारीख की सुबह एक जमादार, चार दफेदार और 53 घुड़सवारी की टुकड़ी के साथ निकल पड़ा. जेल से निकलने के बाद नारायण सिंह सोनाखान में बलपूर्वक मजदूरों की अपनी सुरक्षा हेतु उनके संरक्षक व घेरे में रह रहा था. खरौद पहुँचने पर मैंने यह पाया कि पूरा इलाका भय से व्याप्त था इस वर्ग के लोगों में नारायण सिंह का दबदबा इस तरह का व्याप्त था जिसकी कोई सीमा न थी। खरौद में भी लोग या तो क्षेत्र खाली करते जा रहे थे या अपनी सुरक्षा के लिए उसके आदमियों को हर प्रकार की सहायता करने के लिए तत्पर रहते ते।[21]

स्मिथ ने आगे पुन: लिखा है- मैंने कटंगी, भटगाँव, और बिलाईगढ़ के जमींदारों से कुछ सहायता की माँग की। बिलासपुर में स्थित सेना की टुकड़ी को दो जवानों को बुला भेजने की तत्काल व्यवस्था की, इसी दिन 20 बेलदारों ने अपने जमींदारों के साथ आकर हुकूमत दी और लड़ने की इच्छा प्रकट की इनमें से कुछ में चलाक युक्त थे अर्थात् बंदूकों से युक्त थे परन्तु उनके पास बारूद या पाउडर नहीं था काफी लोगों के पास तलवारें, थीं, कुछ लोगों के पास किसी तरह का अस्त्र नहीं था। निश्चित ही उनमें सैनिकों की तरह संगठन की झलक थी और वे खुदाई करने वाले बेलदारों से भिन्न नजर आ रहे थे।[22]

स्मिथ के नेतृत्व में रायपुर से भेजी गई सेना जब खरौद होते हुए सोनाखान की ओर बढ़ रही थी, उस समय रास्ते में अनेक स्थानों में उन्हें जनता में विद्रोह के प्रमाण मिले। यह दुर्भाग्य की बात थी कि छत्तीसगढ़ के कतिपय अनेक जमींदारों ने इस समय अँग्रेजों की खुलकर सहायता की। स्मिथ ने खरौद थाने में अपना डेरा डाला था। यहीं से उसने सोनाखान पर चढ़ाई करने की योजना बनाई। इसी बीच खरौद थाने में एक घुड़ सवार ने नारायण सिंह का स्मिथ को एक पत्र दिया था। यह पत्र नारायण सिंह ने स्मिथ के लिखे गए पत्र के उत्तर में लिखा था। यह पूरा पत्र नारायण सिंह की निर्भीकता, देश-प्रेम और स्वाभिमान की भावना से ओत प्रोत था। यह पत्र पढ़कर स्वयं स्मिथ एवं अँग्रेजों की सहायता को प्रस्तुत चाटुकार जमींदारों के पैरों की जमीन खिसक गई।[23] स्मिथ ने कटंगी, भटगाँव, बिलाई गढ़ तथा देवरी के जमींदारों को अपनी सहायता को बुलाया था। स्मिथ ने जब एक जमींदार से नारायण सिंह का पत्र पढ़वाया था। वह क्रोध एवं अपमान से आग बबूला हो उठा था। नारायण सिंह के पत्र की भाषा में बारूद भरा हुआ था।[24] वीर नारायण सिंह के नेतृत्व में सोनाखान

गाँव के आस पास के सभी किसान संगठित हो गए तथा उन्होंने शपथ ली कि वे उसके नेतृत्व में अपने प्राणों की बलि देने के लिए तैयार हैं। वस्तुत: यह छत्तीसगढ़ का पहला किसान संगठन था और वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के प्रथम किसान नेता थे। किसानों में चेतना फैलाकर, उनकी शक्ति को संगठित कर अत्याचारी शासन से लोहा लेकर, सर्वप्रथम कार्य वीर नारायण सिंह ने ही किया। उसकी सेना में किसान भी भर्ती हुए किन्तु इनके पास न तो पर्याप्त हथियार थे और न ही कोई सैनिक प्रशिक्षण किन्तु उनके पास अटूट मनोबल था तथा स्वाधीनता के लिए संघर्ष का संकल्प था और अत्याचार, अन्याय से लड़ने की प्रेरणा थी। अटूट मनोबल से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। देखते ही देखते सोनाखान गाँव एक फैजी छावनी के रूप में बदल गया। जंगल के बीच बसे इस आदिवासी गाँव में तीरकमानों एवं बंदूकों की झनकार सुनाई पड़ने लगी। हाँ स्वाधीनता के संघर्ष की पहली झनकार सोनाखान के जंगलों से ही उठी थी।[25] 21 तारीख को रात्रि में ग्राम दाताँ पहुँचे जो रायपुर से 70 कि.मी. एवं सोनाखान से 39 मील पर है। मैं 22 तारीख को सुबह खरौद पहुँचा जो सोनाखान से 21 मील पर है। जहाँ मुझे ज्ञात हुआ कि नारायण सिंह ने सड़क अवरुद्ध कर दी है। उसने टुड्रा तालुका के रैयत उसके साथ तीन माह से लगे हुए थे। उसके पास एक सेना भी थी जो अनुमानत: 200 से 900 के मध्य थी।[26] शिवनारायण, खरौद के पास लैफ्टीनेंट स्मिथ को बालापुजारी नामक व्यक्ति का सहयोग मिला जिसने नारायणसिंह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी तथा सवार एवं सामग्रियों की मदद की। उसके माध्यम से सोनाखान के पहाड़ी रास्तों एवं मार्गों की जानकारी भी प्राप्त हुई। किन्तु उस रास्ते को अव्यवाहारिक समझकार स्मिथ ने कुछ और सैनिकों को इकट्ठा करने का निश्चय किया। उसने तत्काल व्यक्ति भेजकर कटंगी, भटगाँव, बिलाईगढ़ के जमींदारों से सहायता माँगी। दिनांक 23 से कटंगी से 23 कामदार आए। 24 तारीख को जमींदार स्वयं 17 बंदूकधारियों के साथ पहुँचा। 25 तारीख को भटगाँव जमींदार अपने अनुयायियों के साथ स्मिथ से मिला किन्तु बिलाईगढ़ के जमींदार ने कोई जवाब नहीं दिया तब स्मिथ ने सवार भेजकर उसे दबाव डालकर उपस्थित होने के लिए विवश किया। उसने बिलासपुर से अत्यावश्यक मदद माँगी तथा नीमतल्ली वापस आ गया। दूसरे दिन वहाँ से वह आगे बढ़ा और नारायण सिंह के क्षेत्र में प्रविष्ट हो गया। वही नारायण सिंह का एक अँगरक्षक अँग्रेजों की गतिविधियों की जानकारी इकट्ठा करने आ पहुँचा था अत: अँगरक्षक मूलराम को स्मिथ ने

शिकायत की कि विगत तीन माहों में हमें कड़वे अत्याचार भोगने पड़े हैं। उसने (स्मिथ ने) जनता को सुरक्षा का आश्वासन दिया इसी समय बिलाईगढ़ का जमींदार 40 आदमियों के साथ स्मिथ से आ मिला। इनमें से 12 के पास राइफलें भी थीं। सशस्त्र व्यक्ति सालीजाब की ओर बढ़ा दिये गये जो देवरी-सोनाखान के रास्ते में पड़ता था। इनको यह कार्य सौंपा गया कि वे नारायणसिंह के रसद मार्ग या पूर्ति मार्ग को काट दें। स्मिथ ने 26 से 29 नवम्बर 1857 को सारे क्षेत्र से शस्त्र एवं बारूद इकट्ठा करने हेतु विविध दल भेजे। बंदियों एवं मंगलू की सूचना से स्मिथ को पता चला कि वह बिना किसी प्रतिरोध से देवरी मार्ग से सोनाखान पहुँच सकता है। 27 नवम्बर को एक घुड़सवार ने नारायण सिंह का एक पत्र दिया जिससे स्मिथ को ज्ञात हुआ कि नारायणसिंह के पास 500 सैनिक इकट्ठे हो गए हैं तथा वह निश्चयात्मक रूप से मरते दम तक प्रतिरोध करेगा। गोविन्द सिंह परिवार तथा संपत्ति के साथ अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर चला गया है। यह वीर नारायण सिंह का पुत्र था।

27 नवम्बर को कटंगी जमींदार गिरौद में आ मिला। इसी दिन भटगाँव जमींदार भी आराम घाट में मिला। यह सोनाखान के उत्तर में स्थित है।[27]

28 नवम्बर को स्मिथ ने 80 वेलदार इक्ट्ठे कर लिए जिनमें से 37 के पास मेच लाक एवं शस्त्र थे। प्रत्येक की मारक क्षमता 3 राउण्ड की थी। परन्तु खूनी युद्ध की कल्पना से डर कर 30 वेलदार भाग गए। संघर्ष समाप्ति पर शेष बचे लोगों को स्मिथ ने पुरस्कार देने का आश्वासन दिया।[28]

इसी बीच स्मिथ को मंगल नामक व्यक्ति से सूचना मिली कि समयाभाव के कारण नारायणसिंह नाकेबंदी का कार्य पूर्ण नहीं कर सका है तथा अवरोध हेतु खड़ी की गई दीवाल अपूर्ण है। 50 मील के चक्कर से सोनाखान पहुँचने वाले इस रास्ते पर 10 मील तक वन्य जंगल तथा ऊँची घास है। यह रास्ता पार करना स्मिथ को श्रेयस्कर लगा। इस प्रकार दिनांक 29 नवम्बर 1857 तक स्मिथ शस्त्र आदि इकट्ठे करने के लिए टुकड़ियाँ भेजता रहा। बिलासपुर से उसे कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई। रायपुर के डिप्टी कमिश्नर ने अपने सहायक कमिश्नर की गंभीर स्थिति भाँप कर रायपुर स्थित तृतीय रेजीमेंट के कमांडिंग आफिसर से सहायतार्थ निवेदन किया कि 100 सैनिकों तथा अन्य यथोचित अनुपात में देशी कमिशन एवं नान कमीशन अधिकारियों के साथ एक सेना तुरंत ही स्मिथ की सहायता हेतु भेज दी जाय।. . . . तदुपरांत स्मिथ ने अपने अधिनस्थ जमींदारों के कतिपय सहायकों को विभिन्न घाटी की पूर्ण नाकेबंदी हेतु आदेशित

कर 80 सैनिक और नियुक्ति किए तथा 29 नवम्बर को प्रात: 2 बजे नीमतल्ला से देवरी के रास्ते सोनाखान की ओर रवाना हुआ ताकि सायंकाल तक वह सोनाखान पहुँच सके। किन्तु मार्गदर्शक द्वारा धोखा दिए जाने से वह 35 मील गलत मार्ग पर भटक गया तथा संबलपुर के ग्राम में रात्रि विश्राम करना पड़ा।[29]

स्मिथ को अपनी फौजी तैयारी में रायपुर में 20 दिन एवं खरौद में 8 दिन लगे। इससे स्पष्ट है कि उसने रायपुर से केवल अँग्रेज सैनिकों को ही साथ रखा था जिनकी संख्या मात्र 57 थी। यह सभी घुड़सवार थे। बिलासपुर से जो सैनिक बुलवाए गए थे उनकी संख्या केवल 50 थी। वे भी संभवत: अँग्रेज ही थे। उसकी सेना में 80 भारतीय वेलदार थे। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि उन्हें सोनाखान पर आक्रमण करना है तो उनमें से 30 वेलदारों ने सोनाखान जाने से इंकार कर दिया। यदि नारायण सिंह इन्हीं आठ दिनों के भीतर जब स्मिथ उसके खिलाफ फौजी तैयारी कर रहा था, आक्रमण कर देता तो शायद एक भी अँग्रेज यमराज के हाथों से न बचा होता किन्तु खरौद में नारायण सिंह का आक्रमण न करना उसके खुद के लिए काल बन गया स्मिथ खरौद से रवाना होकर नीमतल्ला तथा फिर देवरी पहुँचा। यह 30 नवम्बर 1857 की बात है। देवरी जमींदार स्मिथ के स्वागत के लिए तैयार ही बैठा था। देवरी का जमींदार रिश्ते में नारायण सिंह का काका लगता था। देवरी जमींदार की नारायण सिंह से खानदानी शत्रुता थी। स्मिथ ने देवरी जमींदार अपने हथियार की बेंठ की तरह उपयोग किया। जय चन्दों एवं मीर जाफरों ने ही इस देश को सदा विदेशी शक्तियों के हाथ बेंचा है। . . .

देवरी से स्मिथ ने ऐसी व्यवस्था की कि नारायण सिंह को सोनाखान में बाहर से कहीं से भी कोई सहायता न मिल सके। यों ही सोनाखान जंगलों एवं पहाड़ों से घिरा एक किले के समान है। सोनाखान की ओर प्रवेश के सारे रास्तों को अवरुद्ध कर स्मिथ एक दिसम्बर 1857 को प्रात: काल देवरी से सोनाखान पर आक्रमण करने हेतु रवाना हुआ। आक्रमण के समय देवरी जमींदार महाराजसाय स्वयं स्मिथ के साथ थे। शिवरी नारायण के बालापुजारी भी साथ था। देवरी जमींदार स्मिथ की फौज का पथ प्रदर्शन कर रहे थे। स्मिथ की फौज जब सोनाखान से तीन फर्लांग दूर रह गई थी तब एक नाला पड़ा। उस समय 10 बजा होगा। नारायण सिंह के सिपाहियों ने स्मिथ की सेना पर अकस्मात हमला कर दिया। दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया।[30] तोप एवं बंदूकों से हमले प्रारंभ हो गए। स्मिथ लिखता है कि किन्तु हम आगे

बढ़ते रहे तथा सुरक्षित रूप से दोपहर तक सोनाखान पहुँच गए।[31] हरिठाकुर का मत है कि प्रारंभ में 10 बजे स्मिथ को प्रथम आक्रमण के समय भारी नुकसान हुआ था परन्तु ठीक समय पर सैन्य मदद मिल जाने से वे आगे बढ़ते ही चले गए। नारायण सिंह के सिपाही इस बाढ़ को रोकने में असमर्थ रहे। अत: नारायण सिंह जंगलों की ओर चले गये ताकि अवसर मिलते ही पुन: आक्रमण कर सके।[32] स्मिथ ने लिखा है कि हम शीघ्रता से पैदल ही नारायण सिंह के घर तक गए, यह भी अन्य गाँव की तरह रिक्त था। हमने वहाँ गोली चालन किया और उसके घर से पहाड़ियों तक पहरा लगवा दिया किन्तु पहाड़ियों पर तब तक हमला न करने का दृढ़ संकल्प किए था जब तक कि कटंगी से लोग मेरी सहायता के लिए न आ जायें ताकि दोनों ओर से उन पर हमला किया जा सके।[33] पहाड़ी के ऊपर से भीषण गोला बारी कर नारायण सिंह ने स्मिथ एक बारगी लौटने पर विवश कर दिया तत्पश्चात खाली ग्राम में स्मिथ ने आग लगा दी। सारा गाँव जलकर राख हो गया। गाँव के लोग पहाड़ी पर से यह दृश्य देख रहे थे। इस पर जंगल के दूसरी ओर से नारायण सिंह की सेना गोली की बौछार शुरू की। इसके फलस्वरूप स्मिथ को अपनी जान बचाने हेतु गोलियों की पहुँच से दूर गाँव से हटकर आने को बाध्य होना पड़ा। रात्रि में स्मिथ ने व्यक्तियों का आगमन लगातार देखा। जलते हुए सोनाखान ग्राम के उस पार पहाड़ियों में हल चल देखते हुए स्मिथ की वह रात्रि बेचैनी से व्यतीत हुई।[34] स्मिथ लिखता है कि वह रात चिन्तनीय था किन्तु हमें चन्द्रमा के प्रकाश तथा हमारे सामने धधकते हुए ग्राम से लाभ हुआ।[35]

रायपुर से सेना सोनाखान के लिए 1 दिसम्बर 1857 को रवाना कर दी गई।[36] उधर स्मिथ में इतना साहस नहीं था कि जंगलों में घुसकर नारायण सिंह का जवाब देता रातभर स्मिथ नारायण सिंह के डर से सो नहीं सका. . सोनाखान धू-धू कर जल रहा था। नारायण सिंह ने स्मिथ से रणक्षेत्र में मुकाबले की तैयारी तो की थी किन्तु इस प्रकार के अग्निकाण्ड की कल्पना उसने नहीं की थी। सुबह तक नारायण सिंह ने देखा कि सोनाखान राख के ढेर में बदल चुका है।[37]

2 दिसम्बर 1857 को सुबह 10 बजे कटंगी का जमींदार अपने 40 सहयोगियों के साथ आ पहुँचा। स्मिथ की सेना को इससे बहुत अधिक राहत मिली क्योंकि उसकी सेना में राशन खत्म हो गया था। विगत रात्रि में किसी प्रकार का आक्रमण एवं फायरिंग नहीं हुई। यह निश्चय किया गया कि सैनिकों

के भोजनोपरांत पहाड़ियों को उनका दल घेरेगा।[38] भोजन के पश्चात् स्मिथ उस पहाड़ी की ओर चला जहाँ नारायण सिंह अपनी सेना के साथ था। स्मिथ की विशाल फौज ने पूरी पहाड़ी को चारों ओर से घेर लिया। दोनों ओर से गोलियाँ चलीं किन्तु किछ देर पश्चात् शान्ति छा गई। संभवत: नारायणसिंह की सेना की गोलियाँ समाप्त हो गई थीं। अन्य देशी हथियारों से अँग्रेजी फौज का मुकाबला करना मूर्खता थी।[39] नारायण सिंह ने वस्तुत: सोनाखान से सात मील दूर तोपों सहित अँग्रेजी सेना पर आक्रमण की योजना बनायी थी परंतु देवरी के जमींदार महाराज साय द्वारा धोखा दिए जाने से वह योजना कार्यान्वित न हो सकी तथा उसकी तोपें एवं सेना पहाड़ों में यत्र तत्र बिखर कर रह गई। तभी अँग्रेजी सेना को कुमुक प्राप्त होने के समाचार मिले। उसकी स्वयं की सेना जंगलों में बिखरने के अतिरिक्त रसद के मार्ग अवरुद्ध हो जाने से शेष सैन्य शक्ति भी बिखर गई थी।[40] अत: नारायणसिंह ने और मुकाबला करना व्यर्थ ही समझा और अपनी बची हुई जनता की हिफाजत करने हेतु अपने एक साथी के साथ वह स्वयं स्मिथ के समक्ष दोपहर को उपस्थित हो गया।[41] वीरता के ज्योतिस्तंभ नारायण सिंह अपने एक साथी के साथ बाजू से स्मिथ के पास पहुँचा उसने अपने हथियार नहीं डाले। उसे संतोष था कि उसने स्मिथ की फौज का बहादुरी के साथ कड़ा मुकाबला किया।[42] नारायण सिंह के आंदोलन को अँग्रेजों ने यहाँ के लोगों की ही मदद से कुचल दिया था।[43] स्मिथ ने नारायण सिंह के साथ कोई शर्त नहीं रखी। वह सोनाखान के जमींदार के साथ 3 दिसम्बर को रायपुर की ओर वापस चल दिए तथा अन्त में 5 दिसम्बर को रायपुर पहुँचे तथा उसने रायपुर के डिप्टी कमिश्नर इलियट को सौंप दिया। नारायण सिंह के आत्म समर्पण के तुरन्त बाद स्मिथ ने संबलपुर पत्र लिखा तथा निवेदन किया कि गोविन्द सिंह को रायपुर भेजें क्योंकि उस समय वह उस जिले में था। और उसने व्यक्ति भेजकर यह निर्देश दिया कि व्यवस्था हेतु जमींदारी में नई नियुक्तियाँ की जावें। तथा नारायण सिंह द्वारा बनायी गई सेना को रद्द कर दें।[44]

उसने सोनाखान के दरोगा एवं तहसीलदार को निर्देश दिए कि अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए भटगाँव, नवागढ़ और खरौद के ताल्लुकों की रैय्यत को आश्वस्त करें कि वे खालसा व्यवस्था के अंतर्गत आ जावें। इसके अतिरिक्त स्मिथ ने प्रभावकारी दृढ़ता के साथ सिफारिश की नारायण सिंह को कठोर दण्ड

दिया जाय। उसने लिखा कि उसके प्रति दयावान होना महानतम् अत्याचार होगा उसके साथी ग्रामीणों को इसने भाग जाने दिया है जो अनियमित रूप से भर्ती किए थे वे पुन: विरोध कर सकते हैं जो कहीं छिप गए हैं।[45] हमें उन स्वामीभक्त व्यक्तियों की मन:स्थिति का पूर्ण एहसास है जो हमारी आवश्यकता के क्षणों में हमारे साथ थे तथा जो उसके आतंक से बहुत ही भयभीत थे।[46]

डिप्टी कमिश्नर इलियट लिखता है कि "मेरे कोर्ट के समक्ष जमींदार को पेश किया गया और उस पर 1857 का अधिनियम के सेक्शन 6 एक्ट 14 के अन्तर्गत उस पर अभियोग लगाया गया तथा 1857 की धारा एक और अधिनियम 11 लगाया और मैंने उसे फाँसी की सजा सुना दी। दिनांक 9 दिसम्बर 1857 को इलियट ने रायपुर स्थित तीसरी भारतीय पदाति सेना के कमांडर को सूचित किया उसे कल उषाकाल से फांसी पर लटकाया जाएगा अत: निवेदन है कि आप इस कार्यवाही को देखने और जरूरत पड़ी तो व्यवस्था बनाये रखने के लिए आपकी कमान में जो रेजीमेंट है उसकी जेल के निकट परेड करायें। (अनु. शम्भू दयाल गुरु) पद 10 दिसम्बर 1857 की सुबह सजा की कार्यवाही जनरल परेड के समय सैनिक टुकड़ी के समक्ष बिना किसी त्रुटि के सम्पादित हो गयी।" छत्तीसगढ़ के प्रतीक शहीद वीर नारायण सिंह अमर हो गये।

इस वाकिये का जिला प्रशासन की ओर से घटिया प्रचार किया गया कि तमाम जमींदारियों को जाहिर किया जाय कि नारायण सिंह ने अपराध किया और सरकार के विरुद्ध अपराध करने के क्या परिणाम होते हैं आदि। डिप्टी कमिश्नर ने सोनाखान के जमींदारी को खालसा कर देने की अनुशंसा की और उसकी सूचना कमिशनर को दे दी गई।[47]

इस तरह ब्रिटिश प्रशासन ने इस अंचल के महान प्रभावशाली नेता जिसका अपराध यह था कि उसने अकाल के समय जब कि किसान दाने-दाने के लिए मोहताज थे, उसने माखन नामक बनिया जिसके पास अन्न का भण्डार था किसानों के बीच वितरित कर दिया। अविलम्ब इसकी सूचना डिप्टी कमिश्नर को दे दी। जिसके सन्दर्भ में यह कहा जा सकता है कि उसने जो कुछ किया जनता के हित में किया। क्योंकि उसने डिप्टी कमिश्नर को सूचित करने के बाद माखन बनिया को क्षति पूर्ति का वचन दिया। वस्तुत: नारायण सिंह ने वही कार्य किया जो जनहित के लिए उचित सरकार कर सकती थी विशेषत: ऐसे अवसर पर आम लोगों में अन्न का अभाव था। सरकार छापा मारकर अन्न ग्रहण करेगी

और जरूरत मन्द लोगों में वितरित करेगी इस कार्य की तो जनता के बीच भूरि-भूरि प्रशंसा की जानी चाहिये थी लेकिन उसे सरकार का पुरस्कार मिला फाँसी का फन्दा।[48] विमल इन्द्र पाल के अनुसार नारायण सिंह को मृत्युदण्ड देना पूर्णत: अन्यायपूर्ण था।[49]

रायपुर के जयस्तंभ चौक में रायपुर फौज के सभी सिपाहियों के समक्ष फाँसी दे दी गई। यह इसलिए किया गया था ताकि प्राणदण्ड को देखकर आतंकित हो जायें तथा अँग्रेजों के विरोध में सिर उठाने का साहस न कर सकें . . . इस प्रकार देश की स्वाधीनता आन्दोलन में भाग लेते हुए छत्तीसगढ़ का यह वीर सेनानी शहीद हो गया। हमारे लिए यह गौरव की बात है कि छत्तीसगढ़ में स्वाधीनता के लिए पहला बलिदान देने वाला एक आदिवासी वीर था जिसने यह सिद्ध कर दिया कि स्वाधीनता की अग्नि इस क्षेत्र के आदिवासियों के हृदय में भी बराबर धधक रही थी. . . जय स्तंभ चौक (रायपुर) आज भी वीर नारायण सिंह के बलिदान के महान यज्ञ के रूप में स्थित है।[50] जेल के कैदियों एवं जनता ने भी 10 दिसम्बर 1857 को मातम मनाया तथा अपने वीर साथी को श्रद्धांजलियाँ अर्पित कीं। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम की यह चिरस्मरणीय घटना है। वीर नारायण सिंह के वंशज व क्षेत्र की जनता आज भी सोनाखान जाकर श्रद्धासुमन अर्पित करती है। नारायण सिंह की वीरगाथा घर-घर में व्याप्त है। गर्व के साथ जनता वीर नारायण सिंह को याद करती है। यह कहकर...

*"वीर नारायण तुम्हारी वीरता बलिदान से।*
*आग के शोले निकलते अब भी सोनाखान से।।"*

नारायण सिंह को फाँसी देने के कुकृत्य से जनता में आतंक के स्थान पर क्षोभ अधिक व्याप्त हुआ।[51]

रायपुर की जनता एवं सैनिकों के समक्ष दी गई इस फाँसी की घटना ने अल्पकाल हेतु ब्रिटिश आतंक का भय प्रदर्शित किया किन्तु कालांतर में यह एक प्रेरणा के रूप में जनवरी 1858 के विद्रोह के अवसर पर दृष्टिगत हुई जिसका नेतृत्व वीर हनुमानसिंह राजपूत ने किया था।

## सन्दर्भ - विवरणिका

*(1) कुमार साहू - संपादक नवभारत, जिन्हें भुलाना मुश्किल है. . . वीरनारायण सिंह पृष्ठ- 1*

*(2) हरि ठाकुर - अग्रदूत गणतंत्र दिवसांक, पृष्ठ- 5।*

(3) वीर नारायण सिंह भारतीय डाक विभाग पृष्ठ- 1 (1987)

(4) शंकर गुहा नियोगी, पूर्वोक्त पृष्ठ- 10 ।

(5) अशोक शुक्ल- छत्तीसगढ़ का राजनैतिक इतिहास एवं राष्ट्रीय आन्दोलन, पृष्ठ-32 ।

(6) छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह पृष्ठ- 10 एवं छत्तीसगढ़ डिवीजनल रेकार्ड वाल्यूम 15 पत्र क्रमांक 470 दिनांक 15-9-1857 वी. ए. स्मिथ, कमिश्नर नागपुर में डिप्टी कमिश्नर इलियट को लिखा गया पत्र पैरा 7, 8, 13 ।

(7) छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह पृष्ठ- 10 ।

(8) डॉ. मिश्र, रमेन्द्र नाथ - छत्तीसगढ़ में सन् 1857 का क्रान्तिकारी-आन्दोलन, महाकौशल इतिहास शोध पत्रिका 1978 ।

(9) शंभूदयाल गुरु - शहीद नारायण सिंह सोनाखान मध्यप्रदेश संदेश स्वाधीनता आन्दोलन विशेषांक अ- 33 ।

(10) गोकुल प्रसाद रायपुर रश्मि, पृष्ठ- 8, 1925 ।

(11) सोर्स मटेरियल हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ पृष्ठ- 75, श्रीमती शांता शुक्ला एवं प्रो. जे. आर. काम्बले ।

(12) वही शंकर गुहा नियोगी, पृष्ठ - 10, 11 ।

(13) श्री हरि ठाकुर - सन् 1857 के विप्लव के अमर शहीद वीर नारायण सिंह। पृष्ठ - 16, 17 ।

(14) वही पृष्ठ - 17, 18 ।

(15) डॉ. मिश्र, रमेन्द्र नाथ - छत्तीसगढ़ में आदिवासी विद्रोह पृष्ठ - 5 (शोध आलेख - अखिल भारतीय परिसंवाद)।

(16) ग्रान्ट सी. जे. - 1870 सी. पी. गजेटियर पृष्ठ - 482 ।

(17) डॉ. मिश्र, रमेन्द्र नाथ, छत्तीसगढ़ में प्रथम क्रान्तिकारी आंदोलन पृष्ठ - 2

(18) छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह पृष्ठ - 10 ।

(19) फारेन सीक्रेट प्रोसीडिंग्स नं. 312, 313 दिनांक 29-1-1858 लैटर नं. 70 दिनांक 4-12-1857 ।

(20) बण्डल करेसपान्डेंस, जूडीशियल डिपार्टमेंट केस, फाईल 8, 1862 ।

(21) वही, डॉ. अशोक शुक्ल, पृष्ठ - 32, 33 ।

(22) छत्तीसगढ़ डिवीजनल रेकार्ड पत्र क्रमांक 657, 1857 ।

(23) छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह पृष्ठ - 11

(24) हरि ठाकुर, पूर्वोक्त, पृष्ठ- 18 ।

(25) मिश्र, रमेन्द्र नाथ - प्रथम किसान नेता तथा आदिवासी शहीद वीर नारायण सिंह, पृष्ठ - 28, 29 ।

(26) छत्तीसगढ़ डिवीजनल रेकार्ड भाग 12 लैटर नं. 657 दिनांक 9-12-1857 पृष्ठ- 161 पैरा 5,6 ।

(27) छत्तीसगढ़ डिवीजनल रेकार्ड भाग- 12 पत्र क्रमांक 657, दिनांक 9-12-1857 पृष्ठ - 161 पैरा - 30 ।

(28) पाल, विमल चन्द्र, वही पृष्ठ - 121 ।

(29) छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद नारायण सिंह पृष्ठ - 11, 13 ।

(30) हरि ठाकुर पूर्वोक्त पृष्ठ - 19, 20 ।

(31) छत्तीसगढ़ डिवीजनल रेकार्ड भाग - 16, पत्र क्रमांक 657, 1857 - दिनांक 20-10-1857 ।

(32) रायपुर गजेटियर, नेल्सन पृष्ठ - 62, 63 ।

(33) छत्तीसगढ़ डिवीजनल रेकार्ड मार्ग - 16, पत्र क्रमांक 657 ।

(34) रायपुर जिला गजेटियर नेल्सन पृष्ठ - 64 ।

(35) वही पूर्वोक्त पत्र क्रमांक - 657 ।

(36) छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद पृष्ठ - 12 ।

(37) श्री हरि ठाकुर - वही पृष्ठ 21, 21 ।

(38) छत्तीसगढ़ डिवीजनल रेकार्ड खण्ड 12, पत्र 657, दिनांक 9-12-57 पैरा - 49 ।

(39) हरि ठाकुर वही पृष्ठ - 21 ।

(40) छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह पृष्ठ - 14 ।

(41) छत्तीसगढ़ डिवीजनल रेकार्ड भाग - 12, पैरा 49, पत्र क्रमांक - 657, 5-12-57 ।

(42) स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ का योगदान, पृष्ठ- 50, म. प्र. स्वाधीनता रजत जयंती विशेषांक ।

(43) ब्रिटिश कालीन छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक इतिहास - डॉ. रमेन्द्र मिश्र पृष्ठ - 15 ।

(44) छत्तीसगढ़ डिवीजनल रेकार्ड वही पृष्ठ - 61, 62, पत्र क्रमांक 657, दिनांक 9-12-57 ।

(45) छत्तीसगढ़ डिवीजनल रेकार्ड वही पत्र क्रमांक 657, पैरा 72 ।

(46) छत्तीसगढ़ डिविजनल रेकार्ड वाल्यूम - 12, पत्र क्रमांक 94, 1857 दिनांक 30-6-1857 पृष्ठ - 187 ।

(47) छत्तीसगढ़ डिवीजनल रेकार्डस् पृष्ठ- 27, पत्र क्रमांक 286 । 1857 दिनांक 10-12-1857 फ्राम सी. इलियट डिप्टी कमिश्नर रायपुर टू जी. प्लावडन, कमिश्नर नागपुर एवं फारेन सीक्रेट प्रोसीडिंग्स नं. 318 पत्र क्रमांक 133 दिनांक

*12-12-1957, संदेश नं. 85 फ्राम द कमिश्नर नागपुर टू सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फारेन डिपार्ममेंट।*

*(48) हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूव्हमेंट इन एम. पी. पृष्ठ - 85, - डी. पी. मिश्र*

*(49) हिस्ट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन आफ छत्तीसगढ़ प्राविंसेस 1854 - 61 डॉ. विमल पाल पृष्ठ 123 (1976)।*

*(50) रमेन्द्रनाथ मिश्र-छत्तीसगढ़ का किसान युद्ध का पहला क्रान्तिकारी शहीद वीर नारायण सिंह, पृष्ठ- 22।*

*(51) मध्यप्रदेश स्वाधीनता विशेषांक पृष्ठ - 50, रजत जयंती विशेषांक 1969।*

■

**षष्टम अधिकरण :**

# छत्तीसगढ़ व समीपस्थ अंचल के अन्य स्थानों में क्रांति

सन् 1857 का आन्दोलन ऐसा पहला आन्दोलन था जिसका स्वरूप भारत व्यापी था इसने मेरठ से कोल्हापुर तक सभी स्थानों को प्रभावित किया। रानी रामगढ़ (बिलासपुर के पश्चिम - उत्तर में) और रानी लक्ष्मी बाई के शौर्य से हमें रोमांच हुए बिना नहीं रह सकता, जिनने अनिवार्य विनाश को देखते हुए भी अपने आप को युद्धाग्नि में झोंक दिया। जबकि संघर्ष से मोलतोल करते हुए अलग रहे व्यापारियों की कायरता ही दिखाई दी जो केवल मानव की दुर्बलता का चिन्ह है। किन्तु इस तथ्य से आंदोलन का राष्ट्रीय महत्व किसी प्रकार कम नही होता।[1]

प्रसिद्ध दार्शनिक लार्ड बेकन उन कारणों का वर्णन करते हैं जो राजद्रोह और उपद्रवों को जन्म देते हैं। राजद्रोह के (क्रांति के भी) कारण और प्रेरक तत्व हैं- जो धर्म में नए परिवर्तन करना, नए कर लगाना, कानूनों और प्रथाओं में परिवर्तन, विशेषाधिकारों की समाप्ति, व्याप्क दमन, अयोग्य व्यक्तियों की उन्नति, परदेशी, मंहगाई, सेना से हटाये गये सैनिक, हताश राज्य विरोधी और लोगों को क्रुद्ध करने का कोई भी कारण जो उन्हें समान उद्देश्य से संगठित कर देता है।[2]

देश की बदलती हुई परिस्थिति के साथ छत्तीसगढ़ अंचल भी प्रभावित हो रहा था। नागपुर दरबार की गतिविधियों का असर छत्तीसगढ़ के प्रशासन पर भी पड़ता था।[3] यहाँ के जमींदार स्वेच्छाचारी होने लगे और स्वतंत्र प्रवृत्ति के कारण कर अदायगी के रस्म के अतिरिक्त नागपुर से और संबंध कम ही रखते थे। राजा के मरने पर अँग्रेज विधवा रानियों को नाना प्रकार की यातना देते रहे।[4]

1857 के विप्लव के पूर्व नागपुर प्रान्त एवं मध्य क्षेत्र में अँग्रेजों के प्रतिरोध में विद्रोह हुए, नागपुर में अप्पा साहेब का विद्रोह, 1833 में रायगढ़ नरेश जुझारसिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने अँग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया पर वे सफल न हो सके। 1842 मार्च में चंद्रपुर (सागर) के जमींदार जवाहर सिह और मरहुत के जमींदार मधुकर शाह के नेतृत्व में बुंदेलों ने अँग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया।[5] अँग्रेजों ने यह विद्रोह दबा दिया, पर वे जनता के हृदय की भावना को न दबा सके संतोष की आग धीरे-धीरे जलती रही और सन् 1857 में अचानक भड़क उठी।

क्रांति पूर्व नरसिंहपुर में चपाती वितरण जनवरी में हुआ, सागर में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया तृतीय पैदल सेना एवं घुड़सवार सिपाहियों ने इसमें भाग लिया। दमोह मे भी इसका प्रभाव पड़ा। 1857 में 52 देशी पैदल सेना जबलपुर में सेना की बड़ी शक्ति थी वहाँ भी विद्रोह हुआ। विजय राघवगढ़ में जमींदार ठाकुर सरजू प्रसाद ने विद्रोह किया। होशंगाबाद, निमाड़ बैतूल, छिंदवाड़ा, सागर में विद्रोही सक्रिय थे।

जबकि सारे देश में विद्रोह की आग जल रही थी तब छत्तीसगढ़ का पश्चिमोत्तर क्षेत्र मण्डला जिला कैसे सोता रहता। उन दिनों इस क्षेत्र में अधिकांश छोटे-छोटे राजाओं और जमींदारों के दिल भी विद्रोही हो उठे थे। बुंदेला विद्रोह का सेनानी डालन शाह इन गोंड विद्रोही जमींदारों और राजाओं का सरदार था। जैसे ही उसे पकड़ कर फाँसी दी गई, मण्डला जिले में विद्रोह की आग फैल गई। शाहपुर और सोहागपुर के राजाओं ने अपनी सेना तथा संबंधियों के साथ विद्रोह कर दिया। जबलपुर में राजा शंकर शाह को तोप से उड़ाने पर उसकी रानी मण्डला की ओर आई। यहाँ एक सेना संगठित कर उसने भी विद्रोह कर दिया। उसके रामगढ़ के समस्त सरकारी अधिकारियों को निकाल दिया। उसने अपने दबाने के लिये भेजे गए सेना का बड़ी वीरता से सामना किया। जब उसने अपने को अँग्रेज सैनिकों से सुरक्षित नहीं देखा तब अपने पेट में कटार मार कर मर गई पर जीते जी शत्रु के हाथ में न पड़ी। शाहपुर के जमींदार विजयसिंह विद्रोहियों से मिल गये और जब तक जीवित रहे (1865) अँग्रेज अधिकारियों को चैन से न बैठने दिया।[4]

रामगढ़, मण्डला जिले में स्थिति है, उसका दक्षिण पूर्व भाग छत्तीसगढ़ से प्रभावित था। वहाँ अधिकतर संख्या आदिवासियों की रही है। रामगढ़ के राजा विक्रमादित की छल कपट से पागल करार देकर कोर्ट से राज्य पर अधिकार

कर लिया था। तभी से रानी रामगढ़ के मन में अँग्रेजों के प्रति विद्रोह की चिंगारी सुलग रही थी और अँग्रेजों से बदला लेने के लिये बेचैन हो गई।

इतिहास में महिलाओं का एक निश्चित नाम नहीं हुआ करता है। इसी संदर्भ में इस वीरांगना को अवंती बाई कहूँ या अन्नत बाई कहूँ, या अवन्ती देवी कहूँ या रामगढ़ की सिंहनी की संज्ञा दूँ कुछ बी हो ये वीरांगना रामगढ़ की रानी अवश्य थी।[5]

रानी, राजा शंकर शाह के नेतृत्व में अँग्रेज़ों के विरुद्ध एक क्रांतिकारी योजना बाई थी, तथा उसका श्री गणेश होने ही वाला था कि इसकी भनक अँग्रेजों को पड़ गई। राजा शंकर शाह के मैनेजर गिरधारीदास को फोड़कर उस योजना को दबा दिया गया। परन्तु जो चिंगारी सुलगी थी उसे बुझाया नहीं जा सकता था। रानी ने अधूरे कार्य को पूर्ण करने का संकल्प उठाया- उसने कागज की पुड़िया में चूड़ियों के साथ दो शब्द लिखकर कि "देश के लिये मरो या चुड़ियाँ पहनो" लोगों ने भिजवाया। क्रांति की शुरूआत में लोधी ठाकुरों ने भी भाग लिया। ठाकुर जगत सिंह मालगुजार ने नारायण गंज थाने को घेरा। बहादुर सिंह, बल्देव तिवारी भी सक्रिय थे।

रानी अवंती ने धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिये अँग्रेजों से संघर्ष की सौगंध खाई।[6] शंकर शाह ने रामगढ़ में उनसे भेंट की थी, उसे दुर्गावती की पदवी दी। रानी ने गाँव के किसानों को संगठित किया रानी की शक्ति बढ़ी उसने अँग्रेज अधिकारी को अपने राज्य से खदेड़ा। सोहागपुर थाने पर जनता ने अधिकार कर लिया।

गढ़ा के राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह की मृत्यु विषयक समाचार से रानी दुःखी हुई उसने संकल्पित होकर अँग्रेजों से बदला चुकाने हेतु मण्डला के पास खैरी में आक्रमण कर दिया। सेनापति वाडिंगटन घबराया और पलायन कर गया। रानी ने उसके पुत्र को क्षमादान दिया। बाद में वह जबलपुर से सैन टुकड़ी लेकर आ धमका। बिछिया, रामनगर और घुघरी के पहाड़ी इलाके पर वह नजर जमाये था। रानी देवधरगढ़ की पहाड़ी पर थी, अँग्रेजों ने उसे आत्मसम्पर्ण हेतु संदेश भिजवाया, उसका जवाब था। "लड़ते-लड़ते भले ही मर जाऊँ परंतु परदेशीयों के मरते दबूँ भी नहीं।" अप्रैल 1858 में रानी की सेना को चारों ओर से अँग्रेजों ने घेरा। रीवा की सेना भी थी।[7] वार्डिगटन, वार्डन, अँग्रेज अधिकारी तत्पर थे। अंत में संघर्षरत रानी घिर गई उसने आत्मसमर्पण की अपेक्षा आत्म बलिदान कर दिया।[8]

रानी को वार्डिगटन ने सलामी दी। रानी से साथियों का नाम जानना चाहा पर असफल रही। रानी के शौर्य के गीत आज भी ग्रामीण स्त्रियाँ गाती हैं।[9] मण्डला जिले के प्रतिरोध से रामगढ़ का पतन सबसे अंत में हुआ। वर्ष के प्रारंभ में मण्डला का डिप्टी कमिश्नर जो सिवनी चला गया था वहाँ के अपने साथी को उस स्थान के विद्रोह के दमन से सहायता पहुँचाकर मण्डला अधिक सैनिकों के साथ वापस लौटा।[10] सिवनी, मण्डला, सोहागपुर का विद्रोह दबा दिया गया।

राज पुरोहित के संबंधित लोग शहपुरा और लोरमी, मुंगेली (छत्तीसगढ़) की तरफ चले गये थे।[11] रामगढ़ अँग्रेजों ने हड़प लिया यद्यपि वहाँ के राजा के वशंजों ने आवेदन देकर पुन: प्राप्त करने का प्रयास किया।[12]

नागपुर में कमिश्नर मि. प्लाउडन के अधिकार में एक सुसज्जित सेना थी। मण्डला तोपखाने की एक कंपनी रहती थी। दूसरा दस्ता कामठी में था। मेरठ समाचार से स्थानीय घुड़सवार (केव्हरी) सैनिकों में विद्रोह के भाव थे। कर्नल कम्झरलेग को 17 जून 1857 की स्थानीय सेना को नि:शस्त्र करने की आज्ञा दी गई। 29 जून को तीन सैनिकों को फाँसी दी गई। नागपुर के अनियमित घुड़सवार सेना के प्रयास को कामठी की सेना की मदद से असफल कर दिया। 8 जुलाई को नागपुर कमिश्नर ने समस्त दैनिक समाचार पत्रों के प्रकाशन पर रोक लगा दी। 15 अक्टूबर 1857 को अवध के नवाब, उनके प्रधानमंत्री और तीन सहायक गिरफ्तार कर सीताबड़ी के किले में कैद किये गये। 16 जून 1858 को बारूद विभाग के एक कर्मचारी हनुमान सिंह ने विद्रोह किया। वह एक दफादार और मेजर के साथ गिरफ्तार किया गया। सबको फाँसी दी गई। दो प्रतिष्ठित मुस्लिम नागरिक कादिर अली खां और श्री विलायत मियाँ को जन विद्रोह भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर फाँसी दे दी गई।

चांदा,[13] भंडारा, बालाघाट, छत्तीसगढ़ की पश्चिमी रेखा में हैं। अत: यहाँ की गतिविधियों का परस्पर प्रभाव पड़ सकता था। इसीलिये अँग्रेज सतर्क थे क्योंकि कालाहंडी, संबलपुर, राँची की ओर से उड़ीसा और बिहार क्षेत्र की अशांति का प्रवेश हो सकता था। उतर से मण्डला, शहडोल, जबलपुर की गतिविधियाँ प्रभावित कर रही थी जोर दक्षिण में निजाम का राज्य था जहाँ विप्लव की चिंगारी सुलग रही थी। इन परिस्थितियों में चारों ओर से विद्रोहाग्नि प्रकट हो रही थी और स्वयं छत्तीसगढ़ का सोनाखान क्रांति के अंगारों से धधक रहा था।[14]

हैदराबाद राज्य के सरकारी कागजातों से और रेजीडेंसी के पत्र व्यवहार से यह स्पष्ट हो गया है कि यद्यपि तुंगभद्रा के दक्षिण का प्रदेश शांत था तथापि नर्मदा और तुंगभद्रा के बीच प्रदेश में इस स्वाधीनता संग्राम की ज्वालाएँ भड़की थीं। क्रांतिकारी रंगराव के पकड़े जाने पर नाना साहब के दो आज्ञा पत्र प्राप्त हुए। जिसमें कहा गया था कि जमींदारों, फौजी अफसरों और पटवारियों आदि को यह हुक्म दिया कि हिन्दू और मुसलमान दोनों के दीन अँग्रेजों के कारण खतरे में हैं। उत्तर हिन्दुस्तान में लोग अपने-अपने धर्म की रक्षा के लिये उठ खड़े हुए हैं, इसलिए तुम लोग भी अँग्रेजों को मारकर भगा दो।

तात्या टोपे के एक सहायक आदिल मुहम्मद खाँ ने नर्मदा पार की। उस समय के (लगभग दिसंबर 1858 में) हैदराबाद में स्थान-स्थान पर इस मजमून के सूचना पत्र चिपके हुए मिलते थे जिसमें लोगों से प्रार्थना की गई थी कि वे ज्यादा से ज्यादा तादाद में आदिल मोहम्मद की फौज में भर्ती हो। अँग्रेजों के द्वारा दक्षिण के सारे मार्ग रोक दिये जाने के कारण तात्या साहब भोंसला राज्य में प्रवेश न कर सके फिर भी उसकी सेना के बहुत से रोहेले दक्षिण में आ गये 'उन्होंने और स्थानीय निवासियों, गोंड और दक्षिणी मुसलमानों ने मिलकर अँग्रेजों से भिड़ंत की। 1862 में राव साहब पेशवा अचानक हैदराबाद आए और उन्होंने आंदोलन छेड़ने की कोशिश की 1858 में तात्या टोपे से अलग होने के बाद भटकते हुए हैदराबाद से डेढ़ सौ मील उत्तर में निर्मल नामक गाँव में आए। इसके बाद वहाँ से पास ही गोदावरी के तीर कुशाटपुर (कुशालपर्ण) गाँव में भिड़े, अग्रहरि के घर वेषांतर करके रहे।[15]

हैदराबाद के उत्तर में बस्तर राज तथा भोंसला राज क्षेत्र में अँग्रेजों के पक्षधर शासक होने के कारण क्रांति के प्रसार में अवरोध हुआ। अन्यथा छत्तीसगढ़ से सम्बद्ध होने पर इसे रोकना मुश्किल था। भंडारा, चांदा, उड़ीसा, बंगाल, उत्तरी हैदराबाद के वन्य क्षेत्र में क्रांति यदि सुव्यवस्थित होती तो फैल जाने का भय था। मेजर जनरल ह्विटलाक को नागपुर के कमिश्नर ने 23 जनवरी 1858 को जो पत्र भेजा उसने लिखा था-

"रायपुर जिले में प्रारंभ होने वाला विद्रोह निश्चित रूप से पूर्व और उत्तर के प्रदेश की सब जमींदारियों में फैल जाता और संभावना यह भी थी कि पश्चिम में इस प्रांत की भंडारा तथा चांदा की जमींदारियों में भी वह जा पहुँचता और इतने विशाल, इतने कठिन तथा इतने अस्वास्थकर प्रदेश में फैल जाने वाले विद्रोह को किसी विशाल सेना और भारी संख्या में प्राणओं की बलि दिए बिना शांत नहीं किया जा सकता था। विद्रोह रायपुर के उत्तर एवं पूर्व दिशाओं में

प्रवेश कर गया था। उत्तर में सुहागपुर में विद्रोहियों की स्थिति मजबूत थी और उसने रायपुर के जमींदारों को उनका साथ देने के संदेश भेज दिये थे। पूर्व में संबलपुर के विद्रोह ने उस दिशा से भी रायपुर को खतरा उत्पन्न कर दिया था। यदि वे उस जिले की सीमाओं से ही आंदोलन प्रारंभ करने में सफल हो जाते तो निश्चय ही समस्त क्षेत्र में संघर्ष भड़क उठता।[16]

भोंसला क्षेत्र में तात्या टोपे के प्रवेश की हलचल के संबंध में मालसेन कहता है, कि नागपुर प्रांत में तात्या टोपे की यह हलचल यदि बारह मास पूर्व होती तो कुछ समय के लिए अँग्रेजी सत्ता के लिये घातक प्रभाव उत्पन्न कर देती। तात्या टोपे ने छत्तीसगढ़ के जमींदारों से भी संबंध स्थापित कर क्रांति का प्रयास किया था। किन्तु सफल नहीं हो सके उनके मित्र मानसिंह द्वारा विश्वासघात के कारण 18 अप्रैल 1858 को उनके प्रति फाँसी की दंडाज्ञा का शिवपुरी में निर्वाह किया गया। यदि नागपुर प्रांत तात्याटोपे का स्वागत किया होता तो इतिहास ही कुछ और होता। आश्चर्य इस बात पर लगता है कि जिन अँग्रेजों ने नागपुर को जी भर कर लूटा था वहाँ की प्रभावशाली रानी ने तात्या का साथ न देकर अँग्रेजों को लाभ पहुँचाया। ऐसा करके उसने दक्षिण की ओर फैलने वाली क्रांति की लपटों को बुझा दिया।[17]

सुहागपुर कुछ अधिक समय तक डटा रहा जबकि जून 1858 में मण्डला की सेना ने एक रायपुर की और दूसरी रीवां की दो टुकड़ियों की सहायता से उस पर अधिकार कर लिया। तभी तो 10 अगस्त 1858 को सागर-नर्मदा क्षेत्र के कमिश्नर ने प्रतिवेदन भेजा था (अर्सकिन का विवरण)- "अब मैं आत्मविश्वास तथा प्रसन्नता के साथ कह सकता हूँ कि मेरे आठ जिलों के खंड में शांति स्थापित हो चुकी है क्योंकि यद्यपि अभी भी कुछ नेता भागे हुए हैं परंतु उनके अनुयायी बहुत थोड़े हैं और वे भी यह आशा की जाती है शीघ्र ही पकड़ लिये जायेंगे।"

संबलपुर और सुहागपुर की जनता कुछ महीनों तक डटी रही तथा सरह्यूम रोज द्वारा सागर नर्मदा क्षेत्र में प्रारंभ किये गये प्रत्याक्रमण के घटनाओं की गति को अँग्रेजों के पक्ष में बदल दिया था। परंतु यह भू-स्वामियों द्वारा शासन को उलट देने के एक अन्य प्रयास के पूर्व न हो सका इस बार यह प्रयास नागपुर प्रांत के धुर दक्षिण भाग में किया गया।

चांदा जिला अधिकांश घने जंगलों में आच्छादित था और उसके निवासी प्रधानतः गौंड तथा मडिया थे। इस जिले में अनेक जमींदारियाँ उन राज गौंड

परिवारों के आधिपत्य में थीं जो चांदा के भूतपूर्व राजपरिवार के संबंधी थे। चांदा का किला नागपुर क्षेत्र के सुदृढ़तम गढ़ों में से था।

नागपुर की जब्ती के परिणामस्वरूप इन जमींदारों की स्वतंत्रता का जो अपहरण हुआ था उसे सहन करने के वे अभी तक अभ्यस्त नहीं हो सके थे। जैसे ही रायपुर का विद्रोह दबाया जा चुका, उसी समय चांदा के दो अत्याधिक प्रभावशाली जमींदार, मोलमपल्ली का जमींदार बापूराव तथा आरपल्ली का जमींदार वेंकटराव, आपस में मिल गए और अँग्रेजों के विरुद्ध उठ खड़े हुए। उनने गौंड़ों, मडियाओं तथा रुहेलों की एक बहुत बड़ी सेना इकट्ठी कर ली और उन छोटे जमींदारों की जायदाद छीनकर जो उनका साथ नहीं दे रहे थे, उनसे अपने साधनों को और अधिक बढ़ा लिया।

यहाँ यह स्मरणीय है कि डलहौजी की भारत को एक देन तार परिहन प्रणाली भी थी। राज्य व्यपगमन के सिद्धांत के प्रवर्तक द्वारा प्रारंभ की गई किसी अच्छी बात को भी संदेह की दृष्टि से देखे जाने की संभावना थी। हमारे देश के वन्य प्रदेशों के निवासी भोले नागरिकों की दृष्टि से भूमि के एक छोर से दूसरे छोर तक फैले हुए अंतहीन तारों का यह जाल जनता को दासता के बंधनों में जकड़ने की कोई राक्षसी माया समझा गया। अतएव जब तार विभाग का एक दल अहेरी जमींदारी के चित्रगुंडा नामक एक ग्राम के पास काम कर रहा था, वेंकटराव तथा बापू राव के आदमियों ने 29 अप्रैल को उन पर आक्रमण कर दिया और गेस्टन तथा हाल नामक दो अफसरों को मार डाला तीसरा अफसर पीटर बच निकला और चांदा को भाग गया जहाँ उसने इस घटना की सूचना डिप्टी कमिश्नर को दी। तुरंत ही अँग्रेजों की सेना अपनी स्वाभाविक व्यवस्थित रीति से कूच करने लगी। कप्तान शेक्सपियर के अधीन एक टुकड़ी नागपुर से अहेरी भेजी गई। डिप्टी कमिश्नर ने पीटर के द्वारा एक आवश्यक पत्र अहेरी की जमींदारिन लक्ष्मीबाई के नाम भेजा जिसमें दोनों विद्रोही नेताओं को पकड़ने का आदेश दिया गया था।

वेंकटराव के दीवान गंगाधर राव कवलकर की संपत्ति केवल इस संदेह पर जब्त कर ली गई कि संभवत: उसने अपने स्वामी की सहायता की होगी। कप्तान शेक्सपियर ने आरपल्ली तथा घोटे पर आक्रमण किया परन्तु वहाँ उसे वेंकटराव न मिला। परिणामस्वरूप जमींदारी जब्त कर ली गई। वेंकटराव के न मिलने से क्रोधित होकर अहेरी की जमींदारिन को यह चेतावनी दी गई कि यदि वह बापूराव और वेंकटराव को पकड़ने में असमर्थ होगी तो उस पर विद्रोहियों

को प्रश्रय तथा सहायता देने का अभियोग चलाया जायेगा और उसकी जमींदारी जब्त कर ली जाएगी।[18] इस धमकी का अपेक्षित प्रभाव हुआ। जुलाई 1858 में लक्ष्मी बाई के आदमी बापूराव को भोपाल पट्नम में पकड़ने में सफल हो सके। परंतु जब वह हथकड़ियों में अहेरी ले जाया जा रहा था तब वह अपने रुहेला अंगरक्षकों की सहायता से निकल भागने में समर्थ हुआ। परंतु इससे उसे अधिक लाभ न हो सका क्योंकि सितंबर में वह फिर पकड़ लिया गया। उस पर अभियोग चलाया गया और चांदा के डिप्टी कमिश्नर द्वारा उसे मृत्युदण्ड दिया गया और उसे चांदा के बंदीगृह में 21 अक्टूबर को फाँसी दे दी गई।[19] वेंकटराव अभी भी भागा हुआ था और उसे पकड़ने के प्रयास सफल न हो सके। वह बस्तर भाग गया और जब महान विप्लव भारत के सभी भागों में शांत हो गया तब भी वह कार्यशाली रहा। डिप्टी कमिश्नर के नाम लिखे गए एक पत्र दिनांक 11 मार्च 1859 में यह लिखा हुआ है-

'भगोड़े वेंकटराव को परास्त कर दिया गया और वह कुछ दिनों तक जंगम कुरुल में रहने के पश्चात् घोटे ताल्लुक की पहाड़ियों में चला गया। वह रायपुर जिले के परतापपुर में चला गया। कुछ दिन पहले यह अफवाह सुनी गई थी कि वह भगोड़ा अहेरी पर आक्रमण करने के लिए सेना इकट्ठी कर रहा है।'

लगभग दो वर्षों तक वेंकटराव बस्तर में रहा और अहेरी पर आक्रमण करने के लिए सेना इकट्ठी करने का प्रयत्न करता रहा, परंतु वह इसमें सफल न हो सका। अंततः सन् 1860 में वह बस्तर के राजा द्वारा पकड़ लिया गया और अँग्रेजों को सौंप दिया गया। चांदा में डिप्टी कमिश्नर ने उस पर लगाए गए आरोप पर विचार किया और संभवतः उसकी माता नागाबाई के हस्तक्षेप के कारण उसे मृत्युदण्ड न दिया जाकर आजीवन निर्वासन का दण्ड दिया गया। शासन ने वेंकटराव को आरपल्ली तथा घोटे की जमींदारी के गाँव अहेरी की लक्ष्मीबाई को इन नेताओं को पकड़वा देने के पुरस्कार दे दिए।

छत्तीसगढ़ चंहु ओर से गिरि श्रंखलाओं से आवृत्त है। मध्य में मैदान क्षेत्र है। प्राकृतिक सुरक्षा इसकी एक महत्ता रही है। यदि इस अंचल के सम्पूर्ण क्षेत्र से क्रांति की लपटें फैल जातीं तो धधकती ज्वाला को बुझाना अँग्रेजों के लिये एक दुष्कर कार्य होता।

चांदा, भण्डारा, मण्डला क्षेत्र के प्रभाव की आशंका भी बनी हुई थी। कुछ जमींदारी क्षेत्र चांदा से प्रभावित थे जिनमें कोरांचा, पाना बरस प्रमुख थे

अर्थात् अम्बागढ़ चौकी, मोहला, मानपुर-कोरांचा, तथा उत्तर की ओर कवर्धा एवं पंडरिया। इन क्षेत्रों में भी क्रांति की सुगबुगाहर थी। पर दुर्भाग्यवश पारस्परिक सामंजस्य के अभाव में फैल नहीं पायी।[20] रानी दुर्गावती के वंशज और मानपुर के पूर्व जमींदार लाल श्याम शाह के शब्दों में "गोंडवाना के गौरव शंकर शाह जी का त्याग और बलिदान प्रशंसनीय है पर क्या बात है कि उनको लक्ष्मी बाई सदृश मान्यता नहीं मिली शंकरशाह एवं रघुनाथ शाह जी ने आजादी के लिये लड़ाई की, उन्हें तोप से उड़ाया गया, चूँकि आदिवासी थे अत: इतिहासकारों ने उन्हें इतना महत्व नहीं दिया। अहेरी के बाबूराव जी क्रांतिकारी थे शेष इधर का इलाका तटस्थ रहा उनकी स्मृति आवश्यक है।

मुगलकाल में भी गोंडों ने स्वाभिमान को नहीं बेचा। गोंड जाति के मुस्लिम धर्म स्वीकार करने की बात बहुत कम है। गढ़ा मण्डला के राजा मंडावी गोज के थे। बालोद में बूढ़ा तालाब में एक गढ़ी बनाई पूर्वजों ने, वहाँ 63 तालाब थे। हम उसी वंश के छोटे भाई के संतान थे भाइयों में मतभेद होने के कारण इधर आये। अंतागढ़ एवं टीकागढ़ तक गोंडवाना का राज्य था। बालोद के बाद दामोसिंह राय जी चांदा राजा को मुस्लिम फौज घेराव पर मदद की तब से शाह पदवी मिली। कोरांचा गुफाएँ हैं पहाड़ी हैं, बस्ती थी, पिंडारी आतंकों के समय ताम्रपत्र चांदा से मिला था जो चोरी चली गई, 12 गाँव अँग्रेजों ने उस व्यक्ति को दिया।"[21]

1857 की क्रांति के समय कोरांचा जमींदारी का क्षेत्र अप्रभावित एवं शांत था जबकि पड़ोसी क्षेत्र चांदा के जमींदारों ने विद्रोह किया था। यद्यपि इस क्षेत्र के कुछ लोगों ने स्वाधीनता आंदोलन में भी भाग लिया था।[22]

बस्तर विद्रोह के समय कोरांचा के जमींदार सुब्बासिंह के यहाँ बस्तर राजा के कुछ लोग शरण लिये हुये थे बस्तर को मदद के कारण 14 गाँव इन्हें बस्तर से माफी में मिला।[23] 1857 की क्रांति में कोरांचा शांत था।[24]

पानापरस जमींदारी का मुख्यालय मोहला रहा है पहले यह चांदा जिलान्तर्गत था। क्षेत्रीय विद्रोह के दमन हेतु समय-समय पर मिलिट्री आई थी। औंधी क्षेत्र भी पानापरस जमींदारी के अंतर्गत था। महाराष्ट्र एवं बस्तर सीमा से जुड़े रहने के कारण मूल आदिवासी संस्कृति के दर्शन इस अंचल में होते हैं।[25]

मानपुर में 1857 की क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ा एक भयंकर अकाल पड़ा था तीन पायली का अकाल कहा जाता है।[26] अँग्रेजों ने यहाँ की जमींदारी से सहयोग लिया था चांदा के विद्रोहियों के खिलाफ में।[27]

पानाबरस जमींदारी का कुछ भाग 1857 की क्रांति में अँग्रेजों के विरुद्ध था। छापामार ढंग से झाड़ में, पहाड़ियों में छिपकर दुश्मनों का मुकाबला किया जाता था। यहाँ के जमींदार भाग लिये थे वह क्षेत्र अँग्रेजों के खिलाफ था। क्रांति के समय चांदा के जिन जमींदारों ने विद्रोह किया था उन्हें इस क्षेत्र का समर्थन प्राप्त था।[28]

1857 की महान क्रांति के समय दुर्ग में कोई भी उल्लेखनीय घटना नहीं घटी तथापि रायपुर जिला, जिसकी दुर्ग एक तहसील थी, इस महान विप्लव की ज्वालाओं से अछूता न रहा। उस सम[illegible] मुख्यालरत था। तीसरी रेजीमेंट का अधिकांश मार्ग रायपुर में रखा गया [illegible] मई 1857 की घटनाएँ जैसे ही मध्यप्रांत के लोगों को ज्ञात हुईं सैनिकों ने निष्ठाहीनता के लक्षण प्रदर्शित करना आरंभ कर दिया।[29]

रायगढ़ क्षेत्र भी ऊहापोह की स्थिति में था यद्यपि पूर्व के वर्षों में नागपुर राजा ने मदद मांगी थी। अप्पा साहब से संबलपुर और छत्तीसगढ़ के राजाओं से अँग्रेजों के विरुद्ध सहायता हेतु आमंत्रण पूर्व में भेजा था किन्तु किसी ने आदेश नहीं माना था। पुन: आमंत्रित करने पर यह कहकर मना कर दिया कि वे "राजा से नहीं मिल सकते क्योंकि प्रजा असंतुष्ट है, खाने को कुछ नहीं है और उनके पायक उनका साथ नहीं देंगे।"[30] परिणाम स्वरूप सम्पूर्ण रायगढ़ जिला जिसमें जशपुर तथा उदयपुर (सरगुजा समूह के अधीन) भी शामिल थे तथा सारंगढ़ (संबलपुर समूह के अधीन) अंग्रेजी राज्य के अधिकार में चला गया। रायगढ़ पहले से ही अँग्रेजी संरक्षण में था। जशपुर, सरगुजा, संबलपुर की स्थिति कुछ समय अनिर्णित बनी रही।[31]

1833 में बरगढ़ के राजा अजीत सिंह ने अँग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। इस संकट पूर्ण अवसर पर रायगढ़ नरेश देवनाथ सिंह से जो एक राजा जुझार सिंह का वे ज्येष्ठ पुत्र था विद्रोह को दबाने में अपने अँग्रेज अधिपति की सहायता की। इस शर्मनाक सेवा के फलस्वरूप बरगढ़ की जमींदारी उसे सौंप दी गई।[32]

वर्ष 1852 में उदयपुर के शासक कल्याण सिंह तथा उसके भाई को मानव वध का दोषी ठहराया गया और उन्हें कारावास का दण्ड दिया गया तथा उदयपुर अँग्रेजी शासन के अधिकार में चला गया।[33] उन्हें रांची (बिहार) में निगरानी में रखा गया। जब 1857 की महान क्रांति हुई और अँग्रेजों को रांची छोड़ने के लिये विवश होना पड़ा तब दोनों भाई राजा धीरजसिंह तथा

शिवराजसिंह सितम्बर 1857 तक उदयपुर वापस पहुँचने में सफल हो गये।[34] वे उदयपुर के खोए हुए क्षेत्र को वापस प्राप्त करने में सफल रहे और उन्हें स्थानीय जमींदारों तथा जागीदारों की मान्यता प्राप्त हो गई। अँग्रेजी शासन की ओर से कार्य कर रहे तहसीलदार को वहाँ से जाने को विवश होना पड़ा और धीरजसिंह ने तहसीलदार के पास जाकर अँग्रेजी शासन के 500 रुपये जब्त कर लिये और अपना शासन स्थापित कर लिया।[35]

इन परिस्थितियों की सूचना अँग्रेजी शासन को दी गई। छोटा नागपुर के स्थानापन्न कमिश्नर ई.टी. डेटन ने एक उद्घोषणा जारी कर वहाँ की जनता को चेतावनी दी कि वे उसके द्वारा प्रतिनियुक्त अँग्रेजी शासन के अधिकारियों के अलावा किसी अन्य अप्रत्याशित व्यक्ति को राजस्व का भुगतान न करें और न ही उनकी सत्ता स्वीकार करें।[36]

इसी बीच धीरजसिंह की मृत्यु हुई तथा शिवराज सिंह ने शासन संभाला। वह बहुत कम समय अर्थात् 1859 तक शासन सूत्र सम्हाल पाया और अँग्रेजों ने रायगढ़ के राजा तथा अन्य लोगों की सहायता से उसे पकड़ लिया। शिवराज सिंह को हत्या तथा विद्रोह का दोषी ठहराया गया तथा आजीवन कारावास का दण्ड देकर उसे अण्डमान निष्कासित कर दिया गया।[37] उसके निष्कासन के फलस्वरूप इस जिले में महान क्रांति समाप्त हो गई। तत्पश्चात् सरगुजा के राजा के छोटे भाई लाल बिंदेश्वरी प्रसाद सिंहदेव को महान क्रांति के दौरान की गई अच्छी सेवाओं के लिये पारितोषिक के रूप में 1860 में वहाँ का शासक बना दिया गया तथा उसे राजा बहादुर की उपाधि दी गई।[38]

1861 में मध्य प्रांत का निर्माण हुआ। रायगढ़ तथा सारंगढ़ राज्य जो गरज्जत राज्य के नाम से जाने जाते थे। मध्य प्रांत के प्रशासन के अधीन आ गए जबकि उदयपुर तथा जशपुर राज्य छोटा नागपुर के प्रशासन के अधीन ले लिए गए।[39]

1857 की महान क्रांति के दौरान सारंगढ़ का राजा भी अँग्रेजों के पक्ष में था। बाद में 1867 में उसने प्रसिद्ध विद्रोही नेता कमल सिंह को बंदी बना लिया जो एक लम्बे समय से अँग्रेजों की आँख में धूल झोंक रहा था। और जिसे वे वर्षों से पकड़ने का प्रयास कर रहे थे।[40]

बिलासपुर स्थित तृतीय पैदल सेना 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं हुई।[41] गुरुर सिंह एवं रणवत सिंह के नेतृत्व में कुछ विद्रोहियों के आने की

सूचना मिली जो सोहागपुर-संबलपुर क्षेत्र में बिलासपुर क्षेत्र की सीमा पर सक्रिय थे। रायपुर के डिप्टी कमिश्नर ने 6 दिसम्बर को सोहागपुर में सैनिकों के साथ पहुँचकर विद्रोहियों को पकड़ा। 17 कैदी थे पर वे निकल भागे। सतारा राजा के पूर्व वकील रंगाजी बापू इसके नेता थे।[42] 1850 से संबलपुर अँग्रेजों के प्रभाव में आया। संबलपुर विद्रोह के सहयोगार्थ केप्टन वुड घुड़सवारों के साथ 30 दिसम्बर 1857 को नागपुर से यहाँ पहुँचा तब तक सोनाखान के जमींदार नारायण सिंह का विद्रोह दबा दिया गया था।[43]

सन् 1857-58 के विप्लव के काल में अधिकांश देशी रियासतों की भांति बस्तर भी शांत रहा यद्यपि सीमावर्ती अरपल्ली, घोटे व अहेरी जमींदारियों में अशांति रही। अहेरी की जमींदारी व लक्ष्मीबाई ने अपने पत्र दिनांक 11 मार्च 1858 में यह आरोप लगाया है कि भगोड़ा बैकुण्ठराव (जमींदार अरपल्ली) बस्तर राजा के साथ उसके महल में रह रहा है और बस्तर राजा ने उसे कुछ सहायता पहुँचायी है।[44] कमिश्नर नागपुर ने इस पर विश्वास नहीं किया मगर जमींदारिन के पत्र की एक प्रति बस्तर राजा के पास भिजवायी और लिखा कि यदि बैकुण्ठराव बस्तर में है तो उसे चांदा के डिप्टी कमिश्नर के हवाले किया जाये। राजा बस्तर द्वारा सैनिक तैयारी किये जाने के संबंध में भी पूछताछ की गई। राजा ने उत्तर दिया था कि जयपुर राजा द्वारा किये गये संभावित आक्रमण के बचाव के लिये वह तैयारी कर रहा है।[45] बस्तर राजा द्वारा क्रांतिकाल में विप्लवीयों को सहयोग पहुँचाने की पुष्टि नहीं होती। 1857-58 का अशांति भरा वर्ष व्यतीत हुआ।[46]

निजाम हैदराबाद से प्राप्त किये गये कुछ क्षेत्रों के शासन प्रबंध के लिये एक नया जिला बताया गया। बस्तर को भी वहाँ के डिप्टी कमिश्नर के नियंत्रण में रखा गया। अपर गोदावरी डिस्ट्रिक्ट नये जिले का नाम रखा गया 1860 ई.से यह नई व्यवस्था लागू की गई।[47]

छत्तीसगढ़ अंचल के विभिन्न स्थलों में 1857 के विप्लव की प्रतिक्रिया का अनुशीलन करने पर यह प्रतिपादित होता है कि अलग-अलग रूप में उदयपुर, अरपल्ली, अहेरी, संबलपुर, सोनाखान क्षेत्र में क्रांति के प्रयास हुए किन्तु एक पारस्परिक सहयोग या सूत्र का अभाव मिलता है, रामगढ़, सोहागपुर सभी क्षेत्रों का यही हाल था। छत्तीसगढ़ में छोटी-छोटी अनेक जमींदारियाँ थीं जिनमें संगठन एवं सहयोग का अभाव था। चारों तरफ जमींदारियों के जाल से जकड़े हुए और अँग्रेजों द्वारा प्रशासनिक सूत्र पकड़े हुए हाल में भी वीर नारायण सिंह ने

जिस साहस, शौर्य का परिचय दिया वह चक्रव्यूह से युद्धरत अभिमन्यु की याद दिलाता है। छत्तीसगढ़ के जमींदार या राजा यदि विप्लव का विचार मन में लाये भी थे तो उसे कार्यान्वित नहीं कर पाये या समय की प्रतीक्षा करते रहे तथा बाद में अँग्रेजों के भय ने उस विचार को पनपने से दबा दिया।

ऐसा प्रतीत होता है कि बस्तर राजा की तैयारी जयपुर के आक्रमण से रक्षा की नहीं थी अपितु 1857 के विप्लव की थी। उनके राजगुरू ठाकुर चतुर एवं सूझबूझ वाले एक विद्वान कूटनीतिज्ञ थे जो मैथिल ब्राम्हण थे उनका संपर्क रायपुर, मण्डला, संबलपुर, जबलपुर, बिहार एवं नागपुर से बना हुआ था संभवत: रायपुर की असफलता ने बस्तर राजा का विचार बदल दिया हो। यह भी हो सकता है कि निजाम एवं चांदा तथा नागपुर की ओर से दबाव के कारण वह सामने नहीं आया। पर अहेरी जमींदारिन के पत्र से स्पष्ट होता है कि उसने विद्रोहियों की मदद की थी। जब भारत में सर्वत्र क्रांति दबा दी गई तब अंतत: अँग्रेजों के समक्ष चांदा के विद्रोही को प्रस्तुत करना पड़ा हो। अन्यथा इतने अधिक दिनों तक वहाँ छुपने का कोई औचित्य वेंकटराव या बापूराव का नहीं था।

कवर्धा पंडरिया जमींदारों का गढ़ा मण्डला के गोड़ राजाओं से संबंध था यदि रानी अवंती बाई मण्डला की ओर न बढ़कर छत्तीसगढ़ की ओर आती तो उसे इनका सहयोग मिल सकता था तथा यहाँ के घने जंगलों में लड़ना अँग्रेजों के लिये दुष्कर कार्य होता। जशपुर, उदयपुर क्षेत्र बिहार के क्रांतिकारियों से प्रभावित था पर वे भी इस ओर नहीं बढ़ पाये यद्यपि उदयपुर के राजकुमारों को जेल से निकलने में मदद अवश्य मिली।

रायगढ़, सारंगढ़ के नरेश यदि संबलपुर सोनाखान को साथ दिए होते तो यहाँ का इतिहास ही कुछ और होता। वीर नारायण सिंह की गिरफ्तारी संबलपुर में हुई थी वह वास्तव में संबलपुर के सुरेन्द्रसाय से मिलने गया था किन्तु नाना साहब की यात्रा की तरह इसे भी जगन्नाथपुरी की धार्मिक यात्रा बतायी गई। सुरेन्द्रसाय जबलपुर में चारों ओर से अँग्रेजों से घिरे थे वे चाह कर भी नारायण सिंह को विशेष मदद नहीं दे सके बाद में उनके पुत्र गोविन्द सिंह को सहयोग मिला जिसके आधार पर देवरी के विश्वासघाती जमींदार को मार डाला गया और उसके बेटी एवं दामाद को बंधक बना लिया गया। कालाहंडी, जयपुर, रैखोल, खरियार रोड सभी तरफ हलचल थी। पर योग्य नेतृत्व का इंतजार रहा। छत्तीसगढ़ की जनता यदि यहाँ के विप्लवकारियों से मिल गई

होती तो निश्चित ही यहाँ के क्रांतिकारी कवच को तोड़ना अँग्रेजों के लिए एक कठिन काम होता।

1857 के विप्लव में छत्तीसगढ़ का योगदान निश्चित रूप से महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ वीर नारायण सिंह एवं उनके 17 अनुयायियों को रायपुर में सैन्य टुकड़ी एवं जनता के समक्ष फाँसी दी गई, उदयपुर के राजकुमार को काला पानी की सजा हुई। चांदा के जमींदार को फाँसी हुई। रानी अवंती बाई वीरांगना दुर्गावती का अनुसरण करते हुए शहीद हुई। ये सभी बातें हमारे स्वातंत्र्य समर के इतिहास के एक महत्वपूर्ण अंग हैं, अन्वेषणात्मक परिवेश में इतिहास के पृष्ठों पर इसका आकलन ही उन वीरों का सही सम्मान है।

## संदर्भिका


*(1) पं. द्वारका प्रसाद मिश्र-मध्यप्रदेश में स्वीधनता आंदोलन का इतिहास-पृष्ठ 66।*

*(2) पं. द्वारका प्रसाद मिश्र-मध्य प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास पृष्ठ- 62।*

*(3) डॉ. राम मोहन सिन्हा-भोंसला राज्य का पतन, श्री शुक्ल अभिनंदन ग्रन्थ, इतिहास खण्ड-पृष्ठ 127-129।*

*नया समाज- 57 शताब्दी अंक पृष्ठ 163 हिन्दी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र "समाचार सुधावर्षण" (कलकत्ता) 18 मई 1855 संपादकीय में भोंसला राज के प्रति लार्डडलहौजी के व्यवहार के संबंध में लिखा है-हिन्दी की प्रथम समाचार पत्र 'उदन्त मार्तण्ड' 1826 था, पर दैनिक समाचार 'सुधावर्षण था' जिसे 1857 में अँग्रेजों की दमन नीति का शिकार होना पड़ा।*

*(4) देश की स्वतंत्रता प्राप्ति से और राष्ट्रीय आन्दोलन में मध्य प्रदेश का योग-मध्य प्रदेश स्वतंत्र इतिहास समिति के सौजन्य से पृष्ठ 130-134 आधार पर।*

*(5) रामगढ़ की रानी-वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ 257।*

*(6) रामगढ़ की रानी अवन्ती बाई-श्री नारायण दत्त ब्रम्हचारी (मेकलवाणी) मण्डला।*

*(7) रामगढ़ की रानी-वृन्दावनलाल वर्मा, पृष्ठ- 167।*

*(8) वर्षा सिंह-स्वाधीनता संग्राम में मध्यप्रदेश की महिलाएँ-वर्ष- 4। अंक- 2।*

*(9) नया समाज-रात संतावन शताब्दि अंक पृष्ठ- 206।*

*(10) योगेन्द्र त्रिपाठी पृष्ठ- 83*

*(11) रानी रामगढ़ के राजा-तब और अब-पृष्ठ-6।*

*(12) पत्र क्रमांक 2843। 28 अगस्त 1866 चीफ कमिश्नर का रामगढ़ की परवरिश संबंधी पत्र।*

(13) शुक्ल अभिनंदन ग्रन्थ-इतिहास खण्ड पृष्ठ 135 ।

(14) डॉ. रमेन्द्र नाथ मिश्र-छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति, पृष्ठ- 11 ।

(15) सेतु माधव पगड़ी- 1859 और हैदराबाद राज्य-नया समाज सन् सत्तावन शताब्दी अंक पृष्ठ- 214, 216, 227 ।

(16) पं. द्वारिका प्रसाद मिश्र-महान विप्लव-पृष्ठ 84 ।

मध्यप्रदेश में स्वाधीनता आन्दोलन का इतिहास ।

(17) डॉ. रमेन्द्रनाथ मिश्र-'छत्तीसगढ़ में अँग्रेजी राज'- पृष्ठ 61 ।

(18) नागपुर का कमिश्नर प्लाउडन चांदा के डिप्टी कमिश्नर को 28 जून 1858 को लिखते हुए वेंकटराव को न पकड़ने के कारण अहेरी की जमींदारिन के प्रति अपनी खीझ प्रकट करता है:-

"वेंकटराव को पकड़ा देने के संबंध में वह जो टालमटोल अब तक करती रही वह अब नहीं करने दी जा सकती। उसे उसके पकड़े जाने की सूचना देनी चाहिए थी और उसे आपके पास तुरंत भेज देना चाहिए था। मुझे आशा है कि इस पत्र के पहुँचने तक उसने या तो उसे लेफ्टिनेंट नट्टल को सौंप दिया होगा या जैसा कि उसने वचन दिया था, उसे चांदा जाकर आपके सुपुर्द कर दिया होगा। यदि ऐसा न हुआ हो तो आपको स्वयं उसके तथा उसके कामगारों के विरुद्ध तुरंत ही कार्यवाही करनी चाहिए।...उन्हें यह समझा दिया जाना चाहिए कि उसने अभी तक उसे पकड़वाने में देर करके अपने आपको विद्रोहियों को प्रश्रय देने का अपराधी और उसके दण्ड का भागी बना लिया है।"

(19) नागपुर के कमिश्नर प्लाउडन ने चांदा के डिप्टी कमिश्नर को दिनांक 26 अप्रैल 1858 को पत्र लिखते हुए विद्रोहियों के निराकरण के विषय में आदेश दिया है:-

"वे सब व्यक्ति जिनने हमारे विरुद्ध हथियार उठाए हैं उन्हें वहीं फाँसी दे देनी चाहिए और उन व्यक्तियों को भी जो आपके सामने विद्रोह के आरोप में विचार के लिए लाए जाएँ और अपराध सिद्ध हों, मृत्यु दण्ड देना चाहिए तथा तुरंत फाँसी दे देनी चाहिए जब तक कि कोई ऐसी परिस्थितियाँ सामने न लाई जाएँ जिनके कारण कोई कम कठोर दण्ड दिया जा सके। विशेषतः नेताओं के साथ विशेष कठोरता से व्यवहार किया जाना चाहिए।

(20) डॉ. रमेन्द्र नाथ मिश्र - कोरांचा पानाबरस जमींदारी का इतिहास पृष्ठ - 11 ।

(21) श्री लालश्याम शाह-साक्षात्कार दिनांक 13-3-1979 स्थान मोहला।

(22) लाल तलवार शाह-साक्षात्कार 29 मई 1978 को स्थान-मानपुर।

(23) लाल चन्द्रशाह-जमींदार मानपुर से लिया गया साक्षात्कार दिनांक 31-5-1978 ।

(24) लाला शंकर शाह-जमींदार कोरांचा साक्षात्कार दिनांक 1-6-1978 ॥

(25) श्री विद्यानंद झा-साक्षात्कार दिनांक 2-7-1978 । अंबागढ़ चौकी।

(26) श्री गुहरीराम-ग्राम जसकसा मानपुर दिनांक 1-6-78 ।

(27) मानसिंह मांझी-बेड़गाँव मानपुर दिनांक 3-6-1978 ।

(28) लाल निजाम शाह-साक्षात्कार मोहला दिनांक 5-6-1978 ।

(29) के. तथा मालेसन-हिस्ट्री आफ द इंडियन म्यूटिनीज आफ 1857-58 जिल्द 5 पृष्ठ 77 ।

(30) नागपुर रेसीडेंसी रेकार्ड्स, जिल्द 4 पृष्ठ- 81 ।

(31) रायगढ़ जिला गजेटियर पृष्ठ- 52 ।

(32) छत्तीसगढ़ पयूडेटरी स्टेट्स गजेटियर पृष्ठ 279-280 ।

(33) छत्तीसगढ़ पयूडेटरी स्टेट्स गजेटियर पृष्ठ- 261 ।

(34) पार्लियामेण्ट्री पेपर्स रिकार्डिंग म्यूटिनीज इन इंडिया 1857-58 क्रमांक 1, पृष्ठ- 301 ।

(35) पार्लियामेण्ट्री पेपर्स रिकार्डिंग म्यूटिनीज इन इंडिया 1857-58 पृष्ठ- 302 ।

(36) रायगढ़ जिला गजेटियर पृष्ठ- 54 ।

(37) छत्तीसगढ़ फ्यूडेटरी स्टेट्स गजेटियर पृष्ठ 261 ।

(38) फारेन डिपार्टमेंट (इंटरनल-बी) प्रोसीडिंग्स, जनवरी 1902 क्रमांक 146-150 पृष्ठ 117 ।

(39) श्री डी.पी.मिश्र- दि हिस्ट्री आफ फ्रीडम मूव्हमेंट इन एम.पी. पृष्ठ- 112 ।

(40) फारेन डिपार्टमेंट (पोलिटिकल) प्रोडिंग्स-अगस्त 1867, क्रमांक 168,171, पृष्ठ- 4 ।

(41) बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, पृष्ठ- 73 ।

(42) शुक्ल अभिनंदन ग्रन्थ पृष्ठ 135 ।

(43) संबलपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर पृष्ठ- 76 ।

(44) फारेन पोलिटिकल पत्र क्रमांक 50, दिनांक 23 मार्च 1859 ।

(45) फारेन पोलिटिकल पत्र क्रमांक 50 दिनांक 23 मार्च 1859 ।

(46) राम कुमार बेहार चम्पर का आदिवासी संघर्ष पृष्ठ- 75 (शोध प्रबंध)

(47) रिपोर्ट आन द एडमिनिस्ट्रेशन आफ सी.पी. फार द इयर- 1862, पृष्ठ- 83 ।

■

**सप्तम अधिकरण :**

# रायपुर में 1857 की क्रांति

सन् 1857 का वर्ष भारत के स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आंग्ल नीति के प्रतिफल स्वरूप क्रांति आरंभ हुई थी। छत्तीसगढ़ में भी इसकी प्रतिक्रिया हुई।[1] अँग्रेजों के लिए नारायण सिंह एक भयंकर आतंक का नाम था। रायपुर के डिप्टी कमिश्नर इलियट को लिखे गये स्मिथ के पत्र से यह बात स्पष्ट होती है कि उसके सैनिक भी भयभीत थे। उसने अपील की थी कि 'जमींदार पर दया न बरती जाय।'

इलियट ने लिखा है मेरे कोर्ट के समक्ष जमींदार को पेश किया गया और उस पर 1857 के अधिनियम के सेक्शन 6 एक्ट 14 के अंतर्गत अभियोग लगाया गया था तथा 1857 की धारा एक और अधिनियम 11 लगाया गया। मैंने उसे फाँसी की सजा सुना दी, सुबह सजा, जनरल परेड के समय बिना किसी त्रुटि के संपादित हो गई। नारायण सिंह की मृत्य के पश्चात् देवरी जमींदार महाराज साय को अस्थायी रूप से सोनाखान जमींदारी का भार सौंपा गया।[2] सोनाखान के विरुद्ध सहयोग देने के कारण देवरी जमींदारी को लाभ हुआ। नारायण सिंह महाराज साय का भतीजा था। उसकी आयु 75 वर्ष की थी।[3] सोनाखान इलाका अँग्रेजों द्वारा उजाड़ दिया गया उसकी जमींदारी का कुछ भाग एक यूरोपीय सज्जन को दे दिया गया। उसके आवेदन पर वेस्ट लैंड ग्रांट इस क्षेत्र में ब्रिटिश प्रशासन द्वारा प्रदत्त प्रथम सुविधा थी तथा ब्रिटिश राज्य के लिए यह शुभारम्भ था।[4] मिस्टर मैक को सोनाखान क्षेत्र में 16000 एकड़ भूमि प्रदान की गई थी।[5] नारायण सिंह को फाँसी की सजा देने के बाद ब्रिटिश सरकार के सामने उसके महत्वपूर्ण नतीजे सामने आए। और उन लोगों को लाभ पहुँचाया जिन्होंने नारायण सिंह के खिलाफ सहायता की, उन्हें राशन, सेना आदि दी, तथा जमींदार की हर गतिविधियों की समय पर सूचना उन्हें दी। ऐसे व्यक्तियों में से थे-

(1) त्रिलोक साय एवं काम साय जो कटंगी के कामदार थे तथा देवरी जमींदारी के तुकाराम एवं शिवरी नारायण के बाला पुजारी की सेवायें अभियान की सफलता के लिए ली गईं।

(2) जमींदार नारायण सिंह की संपत्ति जब्त कर ली गई और उसमें 1377 रुपये आठ आने माखन बनिया को उसके अनाज लूटे जाने की क्षतिपूर्ति हेतु दिए गए।

(3) डिप्टी कमिश्नर ने मिस्टर प्लाउडन नागपुर को पत्र में अनुमोदित किया कि अँग्रेजी सेना के प्रत्येक सिपाही को 20 रुपया तथा प्रत्येक स्थानीय अधिकारी को 100 रुपया प्रदान किये जायें।[6]

विभीषण के बिना रावण को हराना मुश्किल था उसी प्रकार जमींदार घराने ने नारायण सिंह को दगा दिया किसान युद्ध की पीठ में चाकू भोंका, एक मात्र संभलपुर के क्रांतिकारी सुरेन्द्र साय को छोड़कर बाकी सभी जमींदारों के, अँग्रेजों का साथ दिया। नारायण सिंह के सगे बहनोई ने भी।...नारायण सिंह एवं किसान युद्ध के दुश्मन ज्यादा ताकतवर नहीं थे परंतु जमींदारो के विश्वास घात के कारण इतने बड़े संघर्ष को पराजय झेलनी पड़ी।[7] वस्तुतः छत्तीसगढ़ में आंदोलन प्रारंभ में योजनाबद्ध तरीके से विकसित नहीं हुआ अन्यथा कई ऐसे जमींदार थे जो इसमें प्राणपण से जूझ पड़ने को तैयार थे। मिस्टर चिशोल्म के अनुसार कवर्धा एवं पंडरिया के जमींदार इसी तरह के थे। पंडरिया के जमींदार ने वस्तुतः रामगढ़ और सोहागपुर[8] के पास इसी तरह से विद्रोह की बात चलायी थी। इस प्रकार जनआंदोलन के आभास ने अपनी छोटी सी भूमिका निभाकर छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में अंततः समर्पित कर लिया।

वीर नारायण सिंह के बाद विद्रोह की आग खत्म नहीं हुई थी वह केवल बेचैन खामोशी थी।[9]

परिस्थिति का यह दिग्दर्शन वास्तविकता से बहुत दूर नहीं था सन् 1857 का विद्रोह दिसम्बर माह के समाप्त होते-होते न केवल रायपुर जिले की सीमा तक पहुँच गया था वरन् उतर तथा पूर्व दिशाओं में भी प्रवेश कर गया था। उत्तर में सोहागपुर में विद्रोहियों की स्थिति मजबूत थी और उसने रायपुर के जमींदारों को सहयोग करने के संदेश भेज दिया था। पूर्व में संबलपुर के विद्रोह ने उस दिशा से भी रायपुर को खतरा उत्पन्न कर दिया था और यदि वे उस जिले की सीमाओं से ही आंदोलन प्रारंभ करने में सफल हो जाते तो निश्चय ही समस्त क्षेत्र में संघर्ष भड़क उठता।[10]

## रायपुर नगर का सैन्य विप्लव एवं मैगजीन लश्कर हनुमान सिंह राजपूत-

छत्तीसगढ़ में सोनाखान के जमींदार नारायण सिंह की शहादत के पश्चात् क्रांति की भावना रुकी नहीं अपितु जन-जन के हृदय में धधक रही थी। इसका प्रतीक रायपुर का वह सैन्य विद्रोह है जो 18-1-1858 को प्रारंभ हुआ और अर्धरात्रि में ही दबा दिया गया यह एक अस्थायी प्रयास था। भारत में 1857-58 के गदर के इतिहास में छत्तीसगढ़ का नाम भी जुड़ जाता। यदि यह विद्रोह सफल हो जाता। उसी तरह झाँसी या मेरठ का नाम आता है किन्तु वास्तविक नेतृत्व के अभाव में जन भावनाओं को अनुकूल मार्गदर्शन प्रदान नहीं किया जा सका परिणामत: असफलता परिलक्षित हुई किन्तु फिर भी यह प्रयास विस्मृत नहीं किया जा सकता।[11]

छत्तीसगढ़ के स्वातंत्र्य संग्राम आंदोलन में मैगजीन लश्कर हनुमान सिंह का आंदोलन सदैव स्मरणीय रहेगा.... 10 दिसम्बर 1857 के पश्चात् ब्रितानी अधिकारियों ने इसे अपनी स्थायी विजय समझकर भयंकर भूल की। 18 जनवरी 1858 तक निश्चित ही इस अंचल में नीरवता व्याप्त थी किन्तु उस नीरवता में आतंक भरी ऐसी प्रतीकारात्मक मानवीयता उभर रही थी जो कभी भी प्रज्ज्वलित हो सकती थी। जो भी हो....पाँच सप्ताह इस अंचल में शांति व्याप्त रही किन्तु इस शांति पूर्व नीरवता में एक भयानक तूफान एवं झंझवात का आमंत्रण था। जिला के अधिकारीगण इस बात से अनभिज्ञ थे कि आसन्न झंझावत में क्या होने वाला है। जिले के वरिष्ठ अधिकारी डिप्टी कमिश्नर मुख्यालय से बाहर थे। जो इस बात का प्रमाण है कि अधिकारीगण कितने लापरवाह और निश्चिंत थे। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि यह एकाकी और दूरस्थ इलाका जो वन प्रांतरों से सर्वथा आच्छादित था वह विद्रोह की अग्नि से दग्ध हो उठेगा।[12]

रायपुर में अँग्रेजों ने एक ऐसे प्रभावशाली नेता को फाँसी दे दी थी जिसका एक मात्र अपराध यह था कि उसके एक व्यापारी द्वारा संग्रह किये गए अनाज को बंटवाकर किसानों में फैली दुर्भिक्ष की कठिनाइयों को मिटा दिया था और स्वयं ही स्पष्ट रूप से अपने कार्य की सूचना कमिश्नर को दे दी थी। यह तर्क प्रस्तुत किया जा सकता है कि उसने लोकहित का कार्य किया था और यदि आवश्यक समझा जाता तो व्यापारी की क्षतिपूर्ति कराई जा सकती थी। वास्तव में उसने संक्षिप्त रूप में वही कार्यवाही की थी जो कोई भी अच्छा शासन दुस्काल के समय करना अर्थात् जहाँ कहीं भी अनाज रोककर रखा जाता वहाँ से उसे प्राप्त करके उनको जिन्हें उसकी आवश्यकता थी, बाँट दिया जाता।

सार्वजनिक सम्मान के स्थान पर नारायण सिंह को राजद्रोही के रूप में फाँसी दे दी गई।[12-ए]

छत्तीसगढ़ में दिनांक 18 जनवरी 1858 को 7-30 बजे रात्रि में, रायपुर स्थित तृतीय रेजीमेंट के सार्जेन्ट मेजर सिडवेल की हत्या मैगजीन लश्कर हनुमान सिंह एवं सहयोगियों द्वारा की गई। हनुमान सिंह के सम्बन्ध में जो विवरण मिला है वह इस प्रकार है -

| | | |
|---|---|---|
| रेंक | - | मैगजीन लश्कर |
| जाति | - | राजपूत |
| उम्र | - | 35 वर्ष |
| ऊँचाई | - | 5 फीट 4 इंच |
| शरीर | - | गठीला एवं चेहरे का आकार गोल, बड़ी-बड़ी आँखें ऊँचा मस्तक, छोटी गर्दन और बड़ी रोबदार मूँछे, ऊँची आवाज वाला, किन्तु शांत प्रकृति का था, चलते समय निगाह नीची रखता था, वह बैसवारा का निवासी था, दाहिने हाथ की कलाई में काले बाँस के रंग का भूर्रा पहनता था।[13] |

उक्त दिवस हनुमान सिंह के कार्यों से संबंधित विवरण अधोलिखित अनुसार है -

सार्जेन्ट मेजर सिडवेल अपने सेवक को भेजकर कमरे में अकेला बैठा था। जब हनुमान सिंह आया, वह उस समय 19-1-85 के प्रात: मार्च हेतु ब्रिगेडियर्स फोर्स संबलपुर रोड जाने से संबंधित कार्य में संलग्न था।[14] लश्कर हनुमान सिंह तलवार, छूरे, गण्डा से आदि शस्त्रों से सुसज्जित था। अत: यह निश्चित है कि हनुमान सिंह निश्चित उद्देश्य से अपनी योजना कार्यान्वित करने ही मेजर सिडकेल के कमरे में प्रविष्ट हुआ कमरे के बाहर दो गोलन्दाजों को प्रहरी के रूप में नियुक्त कर रखा था मेजर सिडवेल पर तलवार से आक्रमण हुआ थोड़ी देर पश्चात् सिडवेल की मृत्यु हो गई। ब्रिटिश अधिकारियों के अनुसार हनुमान सिंह ने सिडवेल पर 9 घातक हमले किये और तुरंत बाहर निकलकर पुलिस कैन्ट्रनमेंट को उत्तेजित भाषा में चिल्लाते हुए सभी सिपाहियों को क्रांति में सम्मिलित होने का आव्हान किया उसके साथ दो सिपाही भी थे

जो टुकड़ी के कुछ अन्य लोगों सहित बन्दूक[15] लेकर पुलिस बस्ती की ओर तैयार खड़े हो गये।[16] तोपखाना का हवलदार तथा उसके सिपाहियों ने तोपें अपने कब्जे में उन्हें आक्रमण हेतु सुसज्जित किया।

18 जनवरी की रात्रि 12 बजे तक सैन्य छावनी से गोली की आवाज आती रही। विद्रोही सैनिकों का साथ छोड़कर वापस सेना में सम्मिलित होने हेतु सरकारी सैन्य टुकड़ी से आवाज आती, जबकि हनुमान सिंह एवं उसके साथी अन्य सैनिकों से इसमें सम्मिलित होने का आव्हान कर रहे थे। कुछ देर बाद लेफ्टीनेंट रिबोट जो लेफ्टीनेंट स्मिथ के साथ था, ने मिलकर स्थिति पर नियंत्रण कर लिया। रायपुर के डिप्टी कमिश्नर रायपुर से बाहर था, समाचार पाते ही 19 तारीख को मध्य रात्रि तत्काल वापस लौटा।[17]

हनुमान सिंह के पास 18 सैनिक ही थे किन्तु वे लगातार 6 घंटों तक लड़ते रहे। अधिक देर टिकना असंभव था वह अपनी असफलता देख फरार हो गया। हनुमान सिंह के शेष साथी गिरफ्तार कर लिये गये। इनमें एक तोपखाने का हवलदार था, 14 सिपाही थे। दो सिपाही तृतीय रेजीमेंट के थे। इन पर सेक्शन 11 आफ 1857 के तहत कार्यवाही की गई दो दिनों तक बयान लेने का नाटक होता रहा। और सत्रह सैनिकों को फाँसी की सजा सुनायी गई। हनुमान सिंह की यह भी योजना थी कि रायपुर की छावनी में यदि सैनिक क्रांति हो जाय तो संबलपुर के क्रांतिकारी निर्विघ्न होकर छत्तीसगढ़ में क्रांति की ज्वाला प्रशस्त कर सकेंगे।

एक्स्ट्रा असिस्टेंट मोहिब हुसैन और रिसालदार अलीखान ने क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करवाने में विशेष भूमिका निभाई। वे प्रशंसित एवं पुरस्कृत किये गये। सच है जहाँ क्रांति होती है वहाँ गद्दार भी होते हैं। जहाँ देश भक्तों का लहू बहता है वहाँ गद्दार पुरस्कृत होते हैं।[18] हनुमान सिंह अपने एक साथी के साथ फरार अवश्य हो गया पर रायपुर में ही कहीं छुपा था। वह अपने प्रथम प्रयास में भले ही सफल न हुआ हो पर उसने हार नहीं मानी।

## हनुमान सिंह का एक और प्रयास-

छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर इलियट 20 जनवरी 1858 की रात्रि में अपने बंगले में सो रहे थे। उस समय उनके बंगले में कुछ अँग्रेज मेहमान रायपुर दौरे पर आये कैपटन विल्सन तथा मि. बेंसले, मिस बेंसले, मि. एपोथी कैरीकार, के. स्मिथ आदि भी सो रहे थे स्मिथ इन अँग्रेज अधिकारियों की सुरक्षा के लिये तैनात था। अर्धरात्रि में विल्सन के नौकर ने उसे जगाकर बताया कि

कुछ लोग बंगले में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। स्मिथ ने घुड़सवारों को आवाज दी, आगंतुकों को निराश होकर भाग जाना पड़ा। बेंसले के नौकर के अनुसार उसने दो व्यक्तियों को हाथ में तलवार लिये बंगले में घुसते देखा था। एक अन्य नौकर ने उन्हें भागते हुए देखा था। इन नौकरों ने जो हुलिया बताया वह हनुमान सिंह और उसके साथी का था। हनुमान सिंह की गिरफ्तारी के लिये पुरस्कार की घोषणा की गई पर वे नहीं मिले।

रायपुर का विद्रोह अल्पजीवी सिद्ध हुआ दुर्बल संगठन के कारण इसे असफलता का मुँह देखना पड़ा। प्रतिशोध की लपटें बंदी बनाये गये सत्रह व्यक्तियों को जला दी गईं। डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट ने बंदी बनाये सिपाहियों के विरुद्ध तत्काल मुकदमा चलाये जाने की आज्ञा दी। केटुंनमेंट में सम्पन्न अभियोजन लगातार दो दिन चला। सम्पूर्ण बंदी बगावत एवं राजद्रोह के अपराध में दंडित किये गये उन्हें मृत्युदंड दिया गया- रायपुर की जनता एवं सैनिकों की उपस्थिति में 22 जनवरी 1858 को प्रातः खुले आम उन्हें फाँसी पर लटका दिया गया। उल्लेखनीय है कि फिरंगी ने यह काम आम लोगों में भय पैदा करने के लिये किया। क्रूर अँग्रेजों की हैवानियत के शिकार होने वाले जो 17 व्यक्ति थे उनको न केवल मौत की सजा हुई बल्कि उनकी तनख्वाह, जमीन, जायदाद और जो भी उनके पास था जप्त कर लिया गया इन वीर शहीदों में सभी जात पांत, धर्म के लोग थे जिन्होंने स्वराज्य व स्वधर्म के लिये अपने प्राणों का मोह त्याग कर विद्रोह में भाग लिया था।[19] ये अमर शहीद हैं-

(1) गोजखान (गाजीखान) - हवलदार

(2) अब्दुलहयात (अहदुल हयात्)- गोलंदाज

(3) मुल्लू (मल्लू या मूलीस) - गोलंदाज

(4) शिव नारायण - गोलंदाज

(5) पन्ना लाल - गोलंदाज

(6) मातादीन

(7) ठाकुर सिंह (ठेऊर सिंह)

(8) अकबर हुसैन

(9) बल्ली दुबे (बली दुबे बुलिहू दुबे)

(10) लल्ला सिंह (लूल्ला सिंह)

(11) बुद्धू (बूदलू)

(12) परमानंद

(13) शोभाराम

(14) दुर्गा प्रसाद

(15) नजर मोहम्मद

(16) शिवगोविंद (जयगोविंद) तृतीय रेजीमेंट के सिपाही

(17) देवीदीन

रायपुर सैनिक क्रांति में हिन्दू मुसलमान दोनों ही धर्मों के सैनिकों ने हिस्सा लिया। मृत्युदण्ड को रायपुर छावनी के सैनिकों ने देखा। अतः उनके भीतर सोई विद्रोहाग्नि का भड़क उठना स्वाभाविक ही था। यदि रायपुर छावनी के तमाम सैनिकों ने हनुमान सिंह का साथ दिया होता तो इतिहास कुछ और ही ढंग से लिखा जाता।

इन व्यक्तियों को फाँसी मिलने के साथ ही रायपुर का विद्रोह समाप्त कर दिया गया। कामठी में कमाण्डर जनरल हिट्रलाक से सहायता प्राप्त करने के लिये जिला अधिकारियों ने पागल की तरह प्रयास करना आरंभ कर दिया। लेख्य संग्रह में उस पत्र व्यवहार का अस्तित्व है जो नागपुर के कमिश्नर तथा जनरल के बीच परस्पर दोषारोपण करते हुए था क्योंकि जनरल के अपने कमान के किसी भी सैनिक को रायपुर के लिये भेजने से मना कर दिया था। अँग्रेजों के सौभाग्य से रायपुर में वह स्थिति उत्पन्न ही नहीं हुई जिसमें व्यापक सैनिक सहायता की आवश्यकता पड़ती, दिखता यह है कि उन व्यक्तियों की सामूहिक फाँसी ने जिन्हें कोई हिस्सा न करते हुए आत्म समर्पण ही किया था। सैनिकों में भय का संचार कर दिया था जहाँ तक प्रतिरोध करने वाले अन्य नेताओं का संबंध है यद्यपि संबलपुर और सुहागपुर की जनता कुछ महीनों तक डटी रही।[22]

लोकप्रिय विद्रोह के असफल होने के परिणाम स्वरूप इस जिले का जन जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। जन विद्रोह से संबद्ध शेष बचे व्यक्ति जहाँ कही भी देखे गये वहाँ की जनता को प्रतिशोध के विवेकहीन अंधड़ से निर्दयतापूर्वक कुचले गये रायपुर जिले के डिप्टी कमिश्नर ने उन ग्रामों के परिवारों की सूची बनाई जिन्होंने विद्रोह में भाग लिया था और उनके विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की गई।

इतिहास के घटनाक्रम में 1857 का महान विप्लव आम जनता और सेना के अधिकारियों के सहयोग से देशभक्त, सम्पन्न जमींदार वर्ग द्वारा विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने और देश की आजादी स्थापित करने के अंतिम प्रवास की सीमा रेखा है।

छत्तीसगढ़ अंचल में 1857 के प्रथम शहीद स्वातंत्र समर के अमर शहीद वीर नारायण सिंह के परिजन एवं रायपुर के सम्बद्ध नागरिकों को ब्रिटिश शासन का कोप भाजन बनना पड़ा। उनका सम्पूर्ण परिवार आर्थिक दृष्टि से तहस नहस कर दिया गया।[23]

सोनाखान जमींदारी अँग्रेजों ने नियंत्रण में रखकर देवरी के जमींदार की निगरानी हेतु अस्थायी जिम्मेदारी सौंपी। इस जमींदारी से 360 रुपये का सालाना कर रघु जी महाराज के समय से दिया जाता था। पुन: जमींदारी प्राप्ति के लिये नारायण सिंह के पुत्र गोविन्द सिंह ने अँग्रेजों को आवेदन दिया था क्योंकि परिवार के लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। 1852 में नारायण सिंह ने देवरी जमींदारी के अंतर्गत मौजे भण्डारदहा के पाँच गाँवों पर अधिकार कर लिया था जिसकी प्राप्ति के लिये 21 दिसम्बर 1857 को देवरी के जमींदार महाराज साय के द्वारा अर्जी पेश की गई थी।[25] नारायण सिंह के साथ विश्वासघात करने वाले देवरी के जमींदार के साथ में गोविंदसिंह के द्वारा बदला लिया गया। 17 जून 1860 को कुजलसिंह जमींदार माकोई इलाके संबलपुर के मदद से आक्रमण किया गया तथा महाराज साय जमींदार का गर्दन तलवार से काट डाला गया। बाद में उसकी औरत जीराबाई जमींदारिन के द्वारा जमींदारी में अपना नाम चढ़ाने हेतु आवेदन रायपुर में किया गया।[26]

बुधवार 22 फरवरी 1860 को महाराज सिंह जमींदार बिलाईगढ़ का भी देहान्त हो गया। क्रांति के पश्चात् सोनाखान एवं आसपास के जमींदारियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए।[27]

रायपुर का विद्रोह असफल रहा अँग्रेजों को जिन व्यक्तियों के सहयोग से इसका दमन करने में सफलता मिली उसे पुरस्कृत किया गया, उनकी ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और उत्तम सेवा की प्रशंसा की गई। अँग्रेज अधिकारी रेबोत के अतिरिक्त अँग्रेजों के प्रति वफादार ये भारतीय लोग भी थे-एस्ट्रा असिस्टेंट मोहित हुसेन खान रिसालदार, बी.ए. खान, जमादार ताजीत अली, जमादार इस्माईल खान, हवलदार मेजर गणेश दुबे, नायक जशवंत नायक नसीमुद्दीन एवं सिपाही प्रगोनत[28] शासन के द्वारा उनकी स्वामिभक्ति को स्वीकारा गया उनकी सेवाधियों

में वृद्धि, पेंशन के परिपेक्ष्य में स्वीकारी गई उनको पदोन्नत किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने लेफ्टीनेंट सी.बी.एल. स्मिथ एवं लेफ्टी रैबीते के महत्वपूर्ण सेवाओं को ध्यान में रखते हुए उसे रेजीमेंट में स्थान दिया। गदर के बाद सभी चीजें सामान्य हो गईं और यह उम्मीद की गई की अनुशासन भविष्य में भी बना रहेगा।[29] हनुमान सिंह की जीवित या मृत पकड़ने के लिये 500 रुपये का इनाम रखा गया।[30]

हनुमान सिंह ने यद्यपि अपनी ओर से भरसक प्रयास किया कि वह सैनिकों के माध्यम से रायपुर में फिर छत्तीसगढ़ से अँग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दें किन्तु असफल रहा उसने यह भी कोशिश की कि अकेले ही कुछ अँग्रेज अफसरों की हत्या कर अँग्रेजों का ध्यानाकर्षण इस क्षेत्र की ओर करे किन्तु अपने ही कुछ लोगों के ऐन वक्त पर धोखा देने के कारण उसकी योजना असफल रह गई क्योंकि इतना निश्चित है कि सिडवेल हत्याकाण्ड और डिप्टी कमिश्नर के बंगले पर हमले की योजना में निश्चित रूप से सैनिकों के सहयोग भरे अश्वासन का आभास रहा होगा क्योंकि इसके पूर्व भी तृतीय रेजीमेंट एवं जेल के सुरक्षा गार्ड के सहयोग से ही नारायण सिंह को जेल की दीवार में छेद कर निकलने में सुविधा दी गई थी। वहाँ से वह अपने घोड़े में सवार होकर सोना खान पहुँच गया। बाद में जाँच भी हुई पर इस बात का प्रमाण न होने के कारण शंकास्पद कर्मचारी पर कार्यवाही न हो सकी थी। नारायण सिंह की गिरफ्तारी के लिए एक हजार रुपये की घोषणा की गई थी लेफ्टीनेंट स्मिथ और नेपियर के सोनाखान जमींदारी की ओर भेजा गया था तथा ग्रान्ट की रायपुर जिले के उत्तर में रामगढ़ और सोहागपुर की ओर से आक्रमण न हो इसलिये प्रयास किया गया था।[31] सोनाखान में एक दहशत सी थी क्योंकि नारायण सिंह के पुत्र गोविन्द सिंह और उसके परिवार के कुछ सदस्यों को अँग्रेजों ने नागपुर में नजरबंद रखा था। अत: वहाँ से सहयोग की आशा ही नहीं था सब कुछ रायपुर स्थित फौजी छावनी के सैनिकों पर निर्भर करता था।

20 जनवरी की रात्रि में हनुमान सिंह ने जब डिप्टी कमिश्नर के बंगले पर आक्रमण किया था उस समय वहाँ पर 6 प्रमुख अँग्रेज सो रहे थे जिनमें डिप्टी कमिश्नर इलियट, लेफ्टिनेंट स्मिथ एवं कैप्टन विल्सन भी थे। लेफ्टिनेंट स्मिथ एवं इलियट सामने के कक्ष में सो रहे थे यदि कैपटन विल्सन का नौकर नागो ले. स्मिथ को नहीं जगाया होता तो सभी अँग्रेज अधिकारी मारे जाते। डॉ. बंसली का नौकर जो कि पीछे बरान्डे में सोते से जागा था। देखा कि 2 व्यक्ति तलवार लिये भाग रहे हैं।[32]

20 जनवरी की मध्य रात्रि में अँग्रेज अधिकारियों पर हुए असफल आक्रमण से छत्तीसगढ़ के सभी अँग्रेज अधिकारी चौकन्ने हो गये। नागपुर से एक पैदल सेना का कैप्टन शेंक्सपीयर रायपुर आया उसने सभी जगह अँग्रेज अधिकारियों को तैनात किया स्वयं पिथौरा में डेरा डाला कैप्टन वुड भी उससे आ मिला तथा छत्तीसगढ़ में कानून एवं व्यवस्था को नियंत्रित किया गया।[33]

रायपुर डिप्टी कमिश्नर के बंगले पर हुए आक्रमण के समय निश्चित रूप से हनुमान सिंह के साथ कुछ और लोग रहे होंगे। क्योंकि भवन के सामने से कुछ व्यक्ति अंदर आने के प्रयास में देखे गये थे तथा बाद में दो व्यक्ति भवन के पीछे से निकलते दिखे। तात्पर्य यह है कि शायद यह योजना रही हो कि चौकीदार भवन के सामने की ओर आयेगा तब तक पीछे से भवन के अंदर प्रवेश कर सोते हुए अँग्रेज अधिकारियों को मार दिया जाय किन्तु नौकर ने तुरंत अधिकारियों को जगाना उचित समझा जिससे यह घटना टल गई। नारायण सिंह की मृत्यु के लिये स्मिथ एवं इलियट को जिम्मेदारी मानते हुए यह आक्रमण किया गया था, दूसरी बात यह भी है कि अगर हनुमान सिंह इसमें सफल होता तो उसे यहाँ के सैनिकों का सहयोग संभवत: मिल जाता क्योंकि सैनिक अधिकारी विहीन हो जाते और नागपुर से सेना आने में समय लगता। वस्तुत: 18 जनवरी की घटना और 17 लोगों की गिरफ्तारी के कारण भी सेना में दहशत थी। इतना निश्चित है कि इस घटना के बाद रायपुर में ही रह कर हमले की योजना बनाना निश्चित ही हनुमान सिंह के लिये एक चुनौती पूर्ण एवं साहस भरा कार्य था जो उसने निडरता के साथ किया। यह उसका दुर्भाग्य था कि सुनियोजित रूप से संचालित न कर सका। अन्यथा उसकी सफलता से इतिहास ही कुछ और होता जैसा कि छत्तीसगढ़ के इतिहासकार डॉ. विमल इन्द्रपाल ने लिखा है- "यदि रायपुर का विद्रोह सफल हो जाता तो इतिहास में झाँसी और मेरठ की तरह रायपुर का भी नाम उद्धृत रहता।"

अँग्रेज अधिकारियों के परस्पर पत्र व्यवहार के अध्ययन से छत्तीसगढ़ की तात्कालीन असामान्य परिस्थितयों का अंदाजा लगता है पहले नागपुर के अधिकारी भी इस अरण्यांचल की ओर से निश्चिंत थे किन्तु नारायण सिंह, हनुमान सिंह, सुरेन्द्र साय, अवंती बाई और कवर्धा, पंडरिया क्षेत्र की सक्रियता ने अँग्रेजों को सतर्क कर दिया।

रायपुर विद्रोह पूर्व, रतनपुर छत्तीसगढ़ का प्रमुख केन्द्र था किन्तु आंग्ल विभाजन के पश्चात् रायपुर प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से केन्द्र बनाया गया

था। यहाँ पर फौजी छावनी भी थी जो वर्तमान पुलिस ग्राउण्ड एवं बैरन बाजार क्षेत्र में था। जेल के रूप में पुराना अस्पताल भवन प्रयुक्त होता था। अँग्रेजों के पत्र में जेल के पास ही सैनिकों के परेड के अवसर पर एवं जनता के सामने नारायण सिंह को फाँसी देने की बात की कही गई है। इस आधार पर वर्तमान मोतीबाग, सालेम स्कूल, नेताजी स्टेडियम का खुला क्षेत्र ही उक्त स्थल लगता है यहाँ से जन चहल पहल का केन्द्र सदर बाजार व मालवीय रोड की पास ही है। जेल के पास ही बैजनाथ तालाब था जिसे बैजनाथ नामक किसी भले आदमी ने बनवाया था। जो बाद में लेडी तालाब कहलाया उसी के पास जो चौक है वह फाँसी स्थल हो सकता है। वहाँ पर पहले काफी बड़ा खुला मैदान था। बैजनाथ तालाब का उल्लेख पुराने दस्तावेज में मिलता है। आज का बैजनाथ पारा उसी स्थल पर बसा है।[34] अर्थात् गजेटियर से प्रकाशित जय स्तम्भ चौक वाली बात कुछ जँचती नहीं जब तक कोई ठोस प्रमाण न मिल जाय। डिप्टी कमिश्नर व अन्य अधिकारियों के बंगले के विषय में वर्तमान राजकुमार कालेज परिसर को माना जाता है। संभव है 18 जनवरी की घटना के बाद हनुमान सिंह पुरानी बस्ती में मंदिर या अन्यत्र कहीं छुपा रहा हो और अवसर पाते ही उसने अँग्रेजों पर आक्रमण की योजना कार्यान्वित कर डाली कि हनुमान सिंह को यह मालूम था कि उसके गिरफ्तार साथियों को जल्दी ही फाँसी दे दी जावेगी जैसा कि नारायण सिंह के साथ हुआ था। अतः वह उनके फाँसी के पूर्व अँग्रेज अधिकारियों की हत्या कर जेल से गिरफ्तार साथियों को रिहाकर सेना पर कब्जा करने की योजना रही हो पर हड़बड़ी में ही ज्यादा गड़बड़ी हुई, वैसे भी समय कम था। हनुमान सिंह की तलाश जारी थी फिर भी इस विषम परिस्थितियों में हनुमान सिंह ने जो प्रयास किया वह श्लाधनीय कहा जावेगा। सफलता और असफलता वक्त पर निर्भर करता है। यद्यपि हनुमान सिंह का प्रयास असफल रहा पर परिणाम ने अँग्रेज अधिकारियों के छत्तीसगढ़ के प्रति निश्चितता को भंग कर दिया और भावी पीढ़ी को भी प्रेरणा दी कि यदि व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध के अनुकूल राष्ट्रीय हित में कुछ कर सकने की सोचे तो उसे अपने आप पर विश्वास रखते हुए कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ जाना चाहिये वक्त का या भीड़ का इंतजार नहीं करना चाहिये।

हनुमान सिंह ने एक दृढ़ राजपूत के संकल्प के अनुसार छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह के बलिदान का अँग्रेज से बदला लेना चाहा था जो उसके अभिभाव से स्पष्ट है, यदि पुरानी बस्ती की जनता का सहयोग उसे

मिल गया होता तो निश्चित ही वह सफल हो सकता था संभव है कि बंगले के घेराव के अवसर पर दूधाधारी मंदिर के कुछ रक्षकों का सहयोग मिला हो क्योंकि वहाँ पर उत्तर प्रदेश के कुछ बहादुर तैनात थे बंगले की हलचल और सैनिक अँगरक्षकों को जागने हेतु अँग्रेज अधिकारियों की आवाज ने इनके साहस को आगे नहीं बढ़ने दिया अन्यथा रायपुर का इतिहास ही कुछ और होता।[35]

## संदर्भिका-


(1) *छत्तीसगढ़ में 1857 का क्रांतिकारी आन्दोलन-महाकोशल इतिहास शोध पत्रिका, 1978 ।*

(2) *गजेटियर आफ इंडिया म.प्र. रायपुर, पृष्ठ- 75 ।*

(3) *सी.पी. डिस्ट्रिक गजेटियर रायपुर डिस्ट्रिक भाग- 1-ए नेल्सन पृष्ठ- 281 ।*

(4) *सी.पी. गजेटियर-चार्ल्स ग्रान्ट 1870 पृष्ठ 482 ।*

(5) *सी.पी. गजेटियर-चार्ल्स ग्रान्ट 1870 पृष्ठ 482 ।*

(6) *डा. अशोक शुक्ल-छत्तीसगढ़ का राजनैतिक इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन पृष्ठ- 37 ।*

(7) *शंकर गुहा नियोगी-छत्तीसगढ़ के पहले क्रांतिकारी शहीद वीर नारायण सिंह लाल जोहार, पृष्ठ- 18 ।*

(8) *चिशोल्म-बिलासपुर सेटलमेंट रिपोर्ट, पैरा- 80 ।*

(9) *छत्तीसगढ़ का प्रथम क्रांतिकारी शहीद नारायण सिंह, पृष्ठ- 14 ।*

(10) *द्वारका प्रसाद मिश्र-म.प्र. में स्वाधीनता आन्दोलन का इतिहास, पृष्ठ- 84 ।*

(11) *डा. बी.आई. पाल- स्वाधीनता आन्दोलन का इतिहास, पृष्ठ- 127 ।*

(12) *डा. अशोक शुक्ल-छत्तीसगढ़ का राजनैतिक इतिहास एवं राष्ट्रीय आन्दोलन पृष्ठ- 37,38 ।*

(12-ए) *डा. डी.पी. मिश्र-महान विप्लव पृष्ठ- 85 ।*

(13) *छत्तीसगढ़ डिवीजन रिकार्डस्-वाल्यूम- 19, लेटर नं. 36, दिनांक 20-7-1858 पृष्ठ- 14 ।*

(14) *छत्तीसगढ़ डिवीजन रिकार्ड, वाल्यूम- 16 ले.नं. 13, 29-1-1858, पृष्ठ- 3 ।*

(15) *डा. अशोक शुक्ल-छत्तीसगढ़ का राजनैतिक इतिहास एवं राष्ट्रीय आन्दोलन पृष्ठ 38,39 ।*

(16) *छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद-पृष्ठ- 15 ।*

(17) *फारेन सीक्रेट प्रोसीडिंग्स नं. 236, दिनांक 26-1-1858 । फ्राम फारेन सेक्रेटरी टू गव्हर्नमेंट आफ इंडिया टू सेक्रेटरी ग.-आ. इंडिया मिलिट्री डिपार्टमेंट ।*

(18) स्वाधीनता संग्राम में रायपुर का योगदान पृष्ठ- 4 हरिठाकुर।

(19) छत्तीसगढ़ डिवीजन रिकार्ड पर- 1857 ।

(20) छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह-पृष्ठ- 15 ।

(21) छत्तीसगढ़ डिवीजन रिकार्ड सन् 1857 ।

(22) डी.पी. मिश्र-महानविप्लव-पृष्ठ- 86 ।

(23) छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह पृष्ठ- 16 ।

(24) गोविन्द सिंह का आवेदन पत्र-दिनांक 3-1-1872 ।

(25) आवेदन पत्र दिनांक 21-12-1857 दीबान महाराज साय (देवरी जमींदार)

(26) आवेदन पत्र 2-9-1880 सोन सिंग द्वारा।

(27) डा. रमेन्द्र मिश्र-छत्तीसगढ़ में 1857 का क्रांतिकारी आंदोलन-महाकोशल इतिहास शोध पत्रिका 1977-78 ।

(28) छत्तीसगढ़ डिवीजनल रिकार्ड, पत्र क्रमांक 13, दिनांक 29-1-1858 ।

(29) छत्तीसगढ़ डिवीजनल रिकार्ड, पैरा- 8 ।

(30) छत्तीसगढ़ डिवीजनल रिकार्ड, खण्ड 19, पत्र क्रमांक 36, दिनांक 20-7-1858 ।

(31) फारेन पोलिटिकल सीक्रेट प्रोसीडिंग्स नं. 535, दिनांक 29-8-1857 ले. इलियट का विप्लव उनको लिखा गया पत्र।

(32) छत्तीसगढ़ डिवीजन रिकार्ड खण्ड- 16, पत्र क्रमांक 119, पृष्ठ- 235, ले. स्मिथ का विप्लव उनको पत्र (कमिश्नर रायपुर)

(33) छत्तीसगढ़ डिवीजन रिकार्ड्स को लिखा गया पत्र खण्ड- 21 पत्र क्रमांक 235 दिनांक 25-3-1858 ।

(34) रवरडा श्री 12, रायपुर, राजासाहब का टाइम का कागजात मराठी रिकार्ड 3-28 आर.नं. 17, नागपुर डिवीजन एम.एन. 1336, 18 मई 1838 बस्ती का 6, एन. नं. 54-4 ।

(35) डा. रमेन्द्र मिश्र-रायपुर की क्रांति एवं हनुमान सिंह योगदान, पृष्ठ- 5 ।

■

**अष्टम अधिकरण :**

# उपसंहार

अतीत से ही जब मानव का अविर्भाव हुआ तब से उसके चिंतन में प्रमुखता से स्वतंत्रता-समानता के सिद्धान्त सर्वोपरि रहे हैं। वस्तुत: विश्व इतिहास राजवंशी के उत्थान और पतन पर ही लिखा गया है। (विशेष रूप से भारत में) भारत की सम्पूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था का यदि हम अध्ययन करें तो मानव अस्मिता धर्म शास्त्रों को छोड़कर व्यावहारिक रूप में दृष्टिगोचर नहीं होता। ग्रामीण अवस्था में व्यक्ति जाति-व्यवस्था के पायदान से सदैव बंधा हुआ दृष्टिगोचर होता है और सम्पूर्ण जाति एक गाँव में सिमटकर रह जाती है। व्यक्ति का अपना अस्तित्व और उसकी संप्रभुता का लेशमात्र भी पता नहीं चलता। संप्रति इतिहास में कुछ वर्षों से एक नए दृष्टिकोण का सूत्रपात हुआ है। इतिहासकार भारत में सदैव से चली आ रही संपूर्ण सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के अध्ययन की ओर प्रवृत हो रहा है।

हिन्दुस्तान के हृदय में अवस्थित मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वांचल 'दक्षिण कोशल' परवर्ती कलचुरीकाल में 'छत्तीसगढ़' के नाम से अभिहित किया जाने लगा। इस क्षेत्र में गढ़ों की बहुलता रही है। अरण्य की गोद में स्थित हर गढ़ी की रक्षा का दायित्व गिरिजन अर्थात् आदिवासियों के मजबूत हाथों पर था जो अपने राजा या जमींदार को देवता तुल्य मानते थे। उनके लिये सर्वस्व अर्पण करने को सदैव तत्पर रहते थे।

अतीत से ही इस अंचल में बाह्य हस्तक्षेप कम होता रहा। समुद्र गुप्त के अभियान के बाद मध्य युग में गोंडवाना पर मुगल प्रभाव स्थापित होने के कारण अकबर एवं जहाँगीर के समय इस अंचल में कुछ प्रभाव पड़ा किन्तु स्पष्टत: नियंत्रित या पराधीन यह कभी नहीं रहा। छत्तीसगढ़ के राजाओं ने यदि रानी दुर्गावती की सहायता की होती तो शायद इतिहास ही कुछ और होता। पश्चिमी छत्तीसगढ़ की पराधीनता इससे प्रभावित हुई। रानी दुर्गावती की पराजय से उखड़ते हुए मुगल साम्राज्य की बुनियाद जम गई। यह तो इतिहास की

पुनरावृति थी, क्योंकि संगठन और परस्पर सहयोग का महत्व हम समय पर नहीं समझे, समझ में तब आई जब पराधीनता का सामना पड़ा।

सदियों ने भारतवर्ष में सामंती प्रथा या जागीरदारी प्रथा सर्वहारा कृषक समाज का रुधिर पीती रही है। शताब्दियों के इस दुखद सामाजिक परिप्रेक्ष्य की ओर तथा सामंत प्रथा के उद्गम और विकास की ओर इतिहासकारों की पैनी दृष्टि नहीं पहुँच पाई। प्राचीन भारत का इतिहास हो या मध्य कालीन इतिहास या अर्वाचीन इतिहास लें ग्रामीण अंचल सदैव ही तलवार के आगे आतंक के आगे, रक्तपात के आगे समर्पित होता रहा है। भारतवर्ष की सम्पूर्ण स्थिति का यदि हम अवलोकन करें तो ग्रामीण अंचल की आर्थिक व्यवस्था कुछ ही लोगों के आधिपत्य में था। आज भी जागीरदारी और सामंतवादी प्रवृत्ति का वर्चस्व है। संप्रति आर्थिक विषमता का करुणाजनक तथ्य जो ग्रामीण अंचल की अध्यक्षता कर रहा है, उसको अवृंत ही सत्य और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए यदि हम दुष्कृत सामाजिक परिप्रेक्ष्य को देखें तो इतिहास का लेखन वहाँ भी बहुत नाकाम प्रतीत होता है। इस देश में ग्रामीण अंचल की धरती पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर जो अत्याचार होते रहे हैं। प्रत्येक प्रांत में उस पर अभी तक कम लिखा गया है। विगत सदियों में देश के अनेक प्रांतों में ब्रिटिश शासन के विरोध में आदिवासियों के विद्रोह एवं संघर्ष होते रहे परन्तु इसके बारे में भी इतिहास में कम पढ़ने को मिलता है। छत्तीसगढ़ अंचल के सोनाखान जमींदारी में 19वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में आदिवासी विद्रोह की शुरुआत हुई। भ्रष्ट प्रशासन व्यवस्था, अत्याचार और उत्पीड़न तथा शोषण के खिलाफ जो भोंसलाशाही एवं अँग्रेजों की देन है। आश्चर्य इस बात का है कि आदिवासी आन्दोलन का नेतृत्व एक जमींदार परिवार ने किया वह भी जनसमस्याओं के पक्ष में जूझते हुए एक बहुत बड़ी शक्ति या व्यवस्था को इस अरण्यांचल में चुनौती दी। यद्यपि उस परिवार का सर्व स्वार्पण जनहित में हो गया पर वे आखिरी सांस तक संघर्षरत रहे।

18वीं शताब्दी के मध्य यहाँ मराठा प्रमुख स्थापित हुआ अर्थात् नागपुर के भोंसलों का शासन स्थापित हुआ उनकी इन नीतियों का जनता ने विरोध भी किया इसी संदर्भ में सोनाखान के जमींदार वीर रामराय के नेतृत्व में 1819 में आदिवासी विद्रोह हुआ जो अँग्रेजों के सहयोग से मराठा प्रभुत्व काल में केप्टन मेक्सन द्वारा दबा दिया गया। उनकी 300 गाँवों की जमींदारी को सीमित कर दिया फिर भी अँग्रेजों का अन्यायपूर्ण प्रशासन का विरोध होता रहा पश्चात् वीर

नारायण सिंह ने रामराय के सही उत्तराधिकारी के रूप में अपने कर्तव्य एवं दायित्व के अनुकूल सोनाखान में जनहित में कार्य किया।

किसी आरोपित अथवा काल-सापेक्ष परिवर्तन क्रम द्वारा स्थापित व्यवस्था के विरुद्ध जब-जब असंतोष गहन हो उठता है, तब समाज जीवन के अधिकांश पक्षों पर इसका परिणामकारी प्रभाव प्रकट होने लगता है। जब प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत जब सामान्य स्वयं की दलित घोषित और पीड़ित अनुभव करने लगता है, उसकी उत्कर्ष शीलता अब रुद्रक्रूर हो जाती है, समरसता, सौहार्द्र, सामंजस्य आदि सांस्कृतिक गुणों का तीव्रह्रास आने लगता है, तब प्रचलित व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन परिवर्धन की अनिवार्य अनुभूति से समाज में एक नयी चेतना का संरक्षण होता है जो समय प्राप्त कर ऐसी जनक्रांति को जन्म देता है जिसमें लोग सार्वजनिक रूप से नये समीकरणों के साथ तादात्म्य स्थापित करने के लिये स्वयं को स्वाभाविक रूप से तत्पर पाते हैं। जब क्रांति और उसके बाद के स्थापित नयी व्यवस्था के पीछे समग्र देश या समाज की सामूहिक सहमति होती है और देश काल एवं परिस्थितियाँ इसके नियामक आधार होते हैं। किसी राष्ट्र में आंदोलन के लिये नेतृत्व वर्ग की आवश्यकता होती है, जो दलित शोषित समाज की दमित भावनाओं को मुखर अभिव्यक्ति देने की क्षमता रखता है जो बौद्धिक जागरण का संवाहक बनकर सुषुप्त एवं विश्रृंखलित जन चेतना में नव-स्फुरण उत्पन्न करने का सामंजस्य रखता है। जो वर्तमान दुरावस्था के विरुद्ध भविष्य के लिये आदर्श प्रतिमान प्रस्तुत कर लोगों को अपने साथ बांध लेता है और सबको साथ लेकर लक्ष्य सिद्धि हेतु आगे आ जाता है। यह पैतृत्व वर्ग ही जनक्रान्ति का जनक, सम्पोषक और उद्घोषक होता है। इसकी उपलब्धियाँ आंदोलनकालीन संघर्ष और उसके बाद नव निर्माण के इतिहास का सृजन करती है। इसके विचारों और कार्यों में समकालीन राष्ट्रीय विचारों तथा कार्यवृत्तों का जीवंत आलेख ढूँढा जाता है। यह नेतृत्व वर्ग ही युग-दृष्टा इतिहास-पुरुष एवं जन नायक कहलाता है और कृतज्ञ राष्ट्र अपने इतिहास के काल विशेष को इसके नाम अर्पित कर देता है। भारतीय स्वतंत्रता की नींव में न जाने कितने ज्ञात-अज्ञात राष्ट्र भक्तों के द्वारा तपस्या और बलिदान की अशेष स्मृतियाँ समाधिस्थ हैं परंतु स्वतंत्रता की बलिदेवी पर सर्वस्व अर्पण का संबल लेकर इस महा समर में सम्मिलित होने वाले राष्ट्र भक्तों की पंक्तियों में ऐसे लोग विरले हैं। जिन्होंने शताब्दियों से दलित शोषित, सुसुप्त और विश्रृंखलित जनचेतना को भावभोर कर उसमें नयी स्फूर्ति उत्पन्न की उसे राष्ट्राभिमान के तेज से तेजस्वी बनाया अपने

अधिकारों के लिये विदेशी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष की नैतिक ऊर्जा से उसे प्रदीप्त किया और बिखरी हुई जन शक्ति को संगठित कर एवं सबको साथ लेकर लक्ष्य सिद्धि के लिये जो आगे आये। यद्यपि स्वतंत्रता के महासमर का हर एक-एक बलिदान लक्ष्य सिद्धि में सहायक रहा है और प्रत्येक अज्ञात शहीद समान रूप से वंदनीय है, तथापि इतिहास के पृष्ठों में मात्र उन राष्ट्रभक्त महापुरुषों की विशेष चर्चा कर पाना संभव बन सका है जिन्होंने स्वतंत्रता के महत्व को समझा। जनतांत्रिक मूल्यों की उपादेयता को आँका और अपने लोगों को जागृतकर उन्हें अपने साथ चलने की प्रेरणा दी जिन्होंने आत्मोत्सर्ग के दृढ़ संकल्प के साथ जन आंदोलन को सफल नेतृत्व प्रदान किया ऐसे योग्य व्यक्तियों को राष्ट्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है।

— (डा. सरिता शुक्ला-पृष्ठ 357-358. शोध प्रबंध मार्गदर्शन-डॉ. रमेंद्र मिश्र)

जमींदार नारायण सिंह बिंझवार, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के छत्तीसगढ़ अंचल में प्रथम शहीद थे जिन्होंने एक अभिजात्य कुल का होते हुए भी कृषक, मजदूर एवं शोषित दलित पीड़ित जनता का नेतृत्व किया, अन्याय, अत्याचार के विरुद्ध ब्रिटिश शासन का खुलकर विरोध किया। उस युग में जबकि अधिकांश राजा, जमींदार, जागीरदार अपने खोये हुए 'स्व' की प्राप्ति के लिये संघर्षरत थे। छत्तीसगढ़ के अरण्यांचल में नारायण सिंह जनहित में अकाल पीड़ित जननका का पक्षधर बनकर, भूख से मरते बिलखते लोगों का रक्षक बनकर अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे इन निमित्त उन्होंने अपनी जमींदारी दांव पर लगा दी अपना सुख जनहित में न्योछावर कर दिया और जंगल-जंगल भटकते रहे लोगों को संगठित कर उन्होंने एक मोर्चा बनाया महानदी घाटी में सिर्फ 500 सैनिकों के साथ अँग्रेजों की ताकत को ललकारा। यद्यपि जो वे नहीं कर सके पर उनके द्वारा इस अंचल ने जन जागृति की जो चेतना जागृत की वह आजादी के दीवानों के लिये प्रेरणा स्रोत बनी रही उनके कारण छत्तीसगढ़ को भी 1857 के महान स्वातंत्र्य समर के यज्ञ में राष्ट्र की वेदी पर आहुति करने का अवसर मिला। शहीद नारायण सिंह की शहादत व्यर्थ नहीं गई उन्होंने गिरीजनों को अपने अधिकार के लिये लड़ना सिखाया, जमाखोर व्यापारियों को अपने कर्तव्य का बोध कराया। जनता की मनोबल, आत्मबल के आधार पर बड़ी से बड़ी ताकत के खिलाफ अन्याय के प्रतिकार स्वरूप संघर्षरत रहने की प्रेरणा दी। महानदी की घाटी और छत्तीसगढ़ की माटी के महान सपूत वीर नारायण सिंह बिंझवार के प्रारंभिक जीवन के बारे में विस्तृत प्रामाणिक अभिलेखों का अभाव रहा है

पर वहाँ के बुजुर्गों में संस्मरण, लोकगाथा और लोकगीतों के आधार पर उनकी वीरता की जानकारी मिलती है। उस क्षेत्र में बिझवार, कंवर, धनहार एवं गोड़ जाति के लोग अधिकतर रहते हैं। उस क्षेत्र में नारायण सिंह को लोग वीर नारायण सिंह के नाम से जानते हैं, उनके अनुसार उनका जीवन सीधा सादा सरल था। वे शोषण नहीं करते थे उनका घर बाँस का था। मिट्टी की छपाई की गई थी छत खपरे का था गाँव के पश्चिम में कुरुपाट डोंगरी उनका महत्वपूर्ण आराध्य केन्द्र था। वहाँ वे कुरुपाट देवता की पूजा करते थे। जो उनके राज देवता है। दशहरा के समय 18 गाँव के लोग यहाँ आते हैं।

नारायण सिंह बाल्यकाल से ही तीर धनुष चलाना, तथा बंदूक चलाना सीख चुके थे। वे अपने पिता राम राय की मदद भी करते थे। परोपकारी प्रवृत्ति के कारण वे जनसंपर्क में विश्वास रखते थे अपने कबीर घोड़े पर सवार होकर वे गाँव गाँव भ्रमण कर जन समस्याएँ सुनते थे उन्होंने तालाब खुदवाना, वृक्ष लगवाने तथा पंचायतों के माध्यम से जन समस्याओं का समाधान किया। उन्हें सोनाखान, महकम, बंगलापाली, सारसडोल, संडी, वासीनपाली, नवागाँव, देवतराई, भीरगोदा, पण्यिपाली, निरकुली, वनपिया, चिखली, सालिहामार, जोगीभाट, कोहाकूड़ा, चनहार, मुलरीपाली, कौसंदी, शुक्लामान गाँव के लोगों का विशेष सहयोग प्राप्त था जो उनकी एक आवाज में मर मिटने को तैयार थे।

सोनाखान चारों ओर पहाड़ी और जंगल से घिरा हुआ है। कुरुपाट में नारायण सिंह अधिकतर रहते थे वे किसानों की यथा शक्ति मदद भी करते थे। नारायण सिंह कायर प्रवृत्ति के लोगों को सहन नहीं करते थे। वीरों का आदर करते थे। यदि कोई व्यक्ति उनके पास आकर यह कहे कि साहूकार ने उन्हें तंगाया है तो वे उसकी भीरुता के निवारणार्थ 'मुरकुट्टी की' में सजा देते थे और कोई आकर यह कहे कि मैंने किसी असमाजिक तत्व को मार भगाया या अँग्रेज़ अफसर को चाँटा मारा तो वे उस व्यक्ति को इनाम देते थे। गाँव में प्रचलित किवदंती एवं आस्था के मध्य कबरे घोड़े पर सवार वीर नारायण सिंह आज भी जिन्दा है।

सोनाखान गाँव में राजा सागर एवं रानी सागर दो तालाब हैं। एक अन्य तालाब नंद सागर है जिसे नारायण सिंह ने खुदवाया था और किनारे पर वृक्षारोपण किया था। महकम एवं सोनाखान बस्ती में ही 1857 में अँग्रेजों ने हमलाकर अत्याचार किया था। बस्ती में आग लगा दी थी, बच्चों को पकड़-पकड़ कर दहकते अग्नि में झोंका था इस अमानवीय कृत्य के कारण ही नारायण सिंह

कुरुपाट से नीचे उतर कर स्मिथ के पास आये थे कहा जाता है कि स्मिथ ने वार्ता के लिये बुलाकर धोखे से उन्हें गिरफ्तार कर लिया अँग्रेजों के अत्याचार से अंधाधुंध गोलियों से सैकड़ों लोग मरे थे। बस्ती खाली हो गई थी, लोग जंगलों में डाले गये। नारायण सिंह का संघर्ष पीढ़ी दर पीढ़ी स्मृति इतिहास में आज भी है।

राष्ट्रीय एकता, राजनीतिक जागृति के अभाव तथा देशी जमींदारी के आंतरिक मतभेदों का लाभ उठाकर अँग्रेजों ने धीरे-धीरे सारे देश पर अपना प्रभुत्व जमा लिया था। छत्तीसगढ़ में भी भौंसलों के हाथों से सत्ता हथिया कर अँग्रेजों ने अपने साम्राज्यवादी पंजे मजबूत कर लिये थे। चारों ओर अव्यवस्था और अराजकता की भयंकर स्थिति का निर्माण हो चुका था। जनता के दुख सुख से अँग्रेजी सत्ता का कोई सरोकार नहीं था। विभिन्न माध्यमों में धन अर्जित करना और अँग्रेजी फौज को मजबूत बनाना अँग्रेजी सत्ता का एक मात्र लक्ष्य था। आधुनिक हथियारों और वैज्ञानिक प्रशिक्षण के कारण अँग्रेजों की मुट्ठी भर सेना इस देश को रौंदती रही। 1857 तक अब अँग्रेजी सत्ता की जड़ें काफी मजबूत हो गयीं, तब इस देश के कर्णधारों की आँखें खुलीं किन्तु तब तक काफी देर हो चुकी थी। अँग्रेजों के हाथों से सत्ता वापस छीन लेने के लिये जो सर्वप्रथम संगठित प्रयत्न किया गया इतिहास में वही 1857 के विप्लव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बहादुर शाह जफर, वीराँगना लक्ष्मी बाई, रानी अवंती बाई, नाना साहेब, तात्या टोपे, कुँवर सिंह, अजी मुल्ला खाँ, शंकर शाह, सुरेन्द्र साय, आदि ने राष्ट्रीय नेतृत्व ग्रहण कर विदेशी सत्ता को देश की धरती से खदेड़ने का संकल्प किया। इसी श्रृंखला में छत्तीसगढ़ में वीर नारायण सिंह ने भी विप्लव का शंखनाद किया। लोकप्रियता को कुचला जा सका। सोनाखान के किसानों में वीर नारायण सिंह जन नायक के रूप में लोकप्रिय हुए उनका शरीर भले ही जेल में था पर वह सोनाखान के किसानों के हृदय पर फिर भी शासन कर रहा था।

नारायण सिंह का कार्य एक शासक के कर्तव्य के अनुकूल बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का था। उनमें एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और प्रजावत्सल जमींदार की आत्मा का वास था। उद्देश्य की पवित्रता के कारण ही घटना की सूचना रायपुर के डिप्टी कमिश्नर को दी थी। अँग्रेजों के व्यवहार से जन रोष स्वाभाविक था यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि सागर और नर्मदा क्षेत्र में अँग्रेजों के अन्याय व अत्याचार के विरुद्ध देश के अन्य भागों

की भाँति भी राजा, नवाब, जागीरदार, जमींदार, मालगुजार आदि उठ खड़े हुए थे, सागर, शहनगढ़, दमोह, नरसिंहपुर, चाबरपाण, तेंदूखेड़ा, हीरापुर, मदनपुर आदि के जमींदारों ठाकुरों मालगुजारों आदि ने पहिले से ही परतंत्रता, आधीनता और निरंकुशता की स्थिति स्वीकार करने से इंकार कर दिया था। अब वे अपनी स्वतंत्रता के लिये विद्रोहियों की अगली पंक्ति में आ खड़े हुए थे। साथ ही करों के बोझ से निर्धन जनता त्रस्त थी और मुक्ति के लिये उतावली हो रही थी।

सन् 1857 का वर्ष भारतीय इतिहास में एक विशेष मायने रखता है जब हजारों लाखों स्वाधीनता प्रेमी भारतीय क्रांति की ओजस्वी मशाल अपने हाथों में थामकर दास्ता से मुक्ति के लिये उठ खड़े हुये थे। अनगणित साधुओं, फकीरों, हरवारों, बंजारों के हाथों रोटी और कमल के जरिये स्वाधीनता का उद्घोष आसेतु हिमालय गाँव-गाँव तक पहुँच गया था। सेना में भी विद्रोह की भावना जाग उठी थी और रणबाँकुरे सिपाही जन नेताओं का साथ देने के लिये बेचैन हो उठे थे, में भाग लिया था।

छत्तीसगढ़ में विप्लव के असफल होने के परिणाम स्वरूप इस जिले का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। जन विद्रोह से संबंध शेष बचे व्यक्ति जहाँ कहीं भी देखे गये वहाँ भी जनता से प्रतिशोध की विवेकहीन अंधड़ से निर्दयतापूर्वक कुचले गये। रायपुर जिले के डिप्टी कमिश्नर ने उन ग्रामों के परिवारों की सूची बनाई जिन्होंने विद्रोह में भाग लिया और उनके विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की गई।

सोनाखान जमींदारी क्षेत्र सहयोगी जमींदारों के नियंत्रण में अँग्रेजों ने विभक्त कर दिया और उसने अस्तित्व को समाप्त करने की चेष्टा की। किन्तु वे विप्लव की अप्लावित जन भावना को न दबा सके चिंगारी में पड़े राख परत की तरह कुछ काल के लिए निस्तब्धता रही पर कालान्तर में स्वातंत्र्य समर के लहीर ने जब उस राख को उड़ाया तब छत्तीसगढ़ में सोनाखान की धधकती ज्वाला जन आंदोलन को चिंगारी का प्रदत्त करती रही और उसके उजियारे में हम आजादी की मंजिल की ओर आगे बढ़ सके। अमर शहीद वीर नारायण सिंह के रक्त से लिखा छत्तीसगढ़ अंचल में आजादी की लड़ाई के इतिहास का वह स्वर्णिम पृष्ठ युगों-युगों तक सभी के लिये प्रेरणा का श्रोत बना रहेगा।

छत्तीसगढ़ का मस्तक सिरगुजा भी इस क्रांति का वैचारिक धारा से प्रभावित हुआ। कुछ क्षेत्र के उदयपुर रियासत में घटना घटी वहाँ के राजा

सरगुजा नरेश के वंशज रहे। सन् 1818 से यह इलाका उनके वंश में रहा। राजा कलान सिंह सरगुजा नरेश के मार्फत अपनी टकौली सरकार को भेजते थे 1852 में दो राजकुमारों को नर वध के आरोप में सजा दी गई उदयपुर का राज्य अँग्रेजों ने अपने नियंत्रण में लिया था। 1857 के विप्लव के अवसर पर उदयपुर के तीनों राजकुमार जेल से निकलने में सफल हुए। दिसम्बर 1858 में उदयपुर में नियंत्रण कर विद्रोह कर दिया। 1859 में सरगुजा राजा के सहयोग से वे गिरफ्तार हुए बाद में 1 भाई की मृत्यु हुई और तीसरे भाई को काला पानी की सजा हुई। 1860 में सरगुजा नरेश के छोटे भाई लाल विंध्वेश्वरी प्रसाद सिंह देव को जिसने अँग्रेजों का साथ दिया था उदयपुर इलाका दे दिया गया।

चांदा के दो जमींदार मोलमपल्ली का बापूराव तथा आरपल्ली का वेंकटराव दक्षिण छत्तीसगढ़ के पश्चिम क्षेत्र में विप्लव हेतु प्रयत्नशील थे, गोंड माड़िया, रुहेल की एक सेना द्वारा अहेरी जमींदारी में तार विभाग के दल पर आक्रमण किया। पीटर नामक अँग्रेज अधिकारी भाग गया जुलाई 1858 में अहेरी जमींदारिन लक्ष्मीबाई के द्वारा बाबू राव पकड़वाये गये। सितंबर में उन्हें चांदा में फाँसी दी गई। वेंकटराव बस्तर में क्रांति का प्रचार करते रहे। बाद में रायपुर के प्रतापपुर चले गये। अहेरी पर आक्रमण की योजना में असफल रहे। 1860 में बस्तर राजा ने अँग्रेजों की मदद की और वे आजीवन निर्वासित किये गये। सोहागपुर के इलाके में 1858 में मण्डला एवं रायपुर की अँग्रेजों की सेना ने विद्रोह के दमन में सहायता की।

1857 ई. में विप्लव में संबलपुर क्षेत्र का छत्तीसगढ़ के आंदोलन से गहन संबंध था क्योंकि वह प्रशासनिक इकाई के रूप में छत्तीसगढ़ से सम्बद्ध है। भारतीय इतिहास में अँग्रेजों से दीर्घकाल तक संघर्ष करने वाले व्यक्तियों में संबलपुर के वीर सुरेन्द्र साय का नाम अग्रणी पंक्ति में रहेगा। यद्यपि उनके परिवार के सदस्यों एवं मित्रों को आजादी की लड़ाई में कुर्बानी देनी पड़ी। 1827 में उन्हें गद्दी से वंचित कर मोहन कुमारी को गद्दी पर बिठाया। बाद में नारायण सिंह (द्वितीय) की गद्दी पर बिठाया। जिसके द्वारा सुरेन्द्र साय पर उसके गाँव में हमला किया गया, लूटा गया, मित्रों के कटे शव को शहर में टँगवाया गया। यह सब अँग्रेजों द्वारा प्रेरित कार्य था बाद में पटना के रास्ते युद्ध रत सुरेन्द्रसाय को अँग्रेजों ने घेर कर गिरफ्तार किया। उदान्त साय, घनसाय, व काका बालाराम सिंह भी साथ थे।

30 जुलाई 1857 को जब हजारी बाग जेल में छोटा बर्द्धवान पल्टन ने विद्रोह किया तब क्रांतिकारी जेल की दीवार फांदकर बाहर निकले। काका बालाराम सिंह की मृत्यु जेल में ही आँग्ल प्रताड़ना के अंतर्गत हुई थी।

सम्बलपुर पहुँचकर सुरेन्द्रसाय ने दो माह के अंतर्गत दो हजार सैन्य बल संगठित कर अँग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष की तैयारी की। असिस्टेंट कमिश्नर कप्तान ली ने संधि करना चाहा इसी बहाने सुरेन्द्रसाय की गिरफ्तारी करना चाहा पर वे उनकी नजरों से ओझल हो गये। तथा अँग्रेजों पर निरंतर आक्रमण करते रहे। डॉ. मूर नायक अँग्रेज की हत्या की गई। नागपुर और रायपुर से फौज अँग्रेजों की मदद हेतु सम्बलपुर आई। केप्टन वुड नागपुर से आया जो कि कुड़ी पाली युद्ध (20-12-1857) में घायल हुआ। इस युद्ध में सुरेन्द्रसाय के भाई छबीलसाय की मृत्यु हुई।

रायपुर से कैप्टन शेक्सपीयर एवं केप्टन बुडब्रिज संबलपुर पहुँचे। पहार सिर गिरा के पास भीषण युद्ध में कैप्टन बुडब्रिज मारा गया। सुरेन्द्र साय के समक्ष कई कठिनाइयाँ थीं। अँग्रेजों की शक्ति बढ़ती जा रही थी। 1859 में रायपुर के पूर्वी हिस्से पर सुरेन्द्रसाय ने मोर्चे बंदी की। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र संबलपुर, रायपुर, रायगढ़, कालाहंडी, सारंगढ़ तक फैल रहा था। 1862 में अँग्रेजों ने उनसे संधि कर ली। चार हजार छै सौ रुपये वार्षिक पेन्शन नियत किया गया पर फिर भी सुरेन्द्र साय भीतर ही भीतर कमल सिंह के नेतृत्व में सैन्य संगठन करते रहे। अँग्रेजों ने 23-1-1864 को गिरफ्तार कर उन्हें रायपुर जेल भेजा पश्चात् 19-11-1864 को नागपुर जेल भेजा गया, बाद में असीरगढ़ जेल में उन्हें रखा गया 28 फरवरी 1884 को वीर सुरेन्द्र साय की मृत्यु हुई।

वीर सुरेन्द्र साय ने जिस वीरता और दृढ़ता से अँग्रेजों के खिलाफ महानदी घाटी में संघर्ष जारी रखा वह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है। अँग्रेजों के हृदय में उनके नाम से भय था उनके युद्ध कौशल से चकित थे, इसकी प्रशंसा भी की गई। संबलपुर विप्लव संचालन की दक्षता से सुरेन्द्र साय को इस क्षेत्र का तात्याटोपे कहा जा सकता है। वस्तुतः संबलपुर और रायपुर के विप्लव कारी आपस में मिल जाते तो अँग्रेजों के लिये काफी दुष्कर काम होता।

रायपुर, बिलासपुर क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में रायगढ़, मण्डला भी विप्लव की चिंगारी से प्रभावित था। कवर्धा पंडरिया, कोरांचा पानाबरस जमींदारियों में भी हल चल हो रही थी जो छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम में चांदा क्षेत्र को प्रभावित कर रही थी। जबलपुर से शंकर शाह एवं आसपास के क्षेत्रों में अन्य

विप्लवकारी सक्रिय थे। इन सब घटनाओं से अँग्रेज अधिकारी परेशान एवं सशंकित थे उन्हें आशंका थी कि कहीं महाकोशल क्षेत्र का विप्लव धधकती ज्वाला की तरह न हो जाये जिसे बुझाना मुश्किल होता है। डॉ. द्वारका प्रसाद मिश्र के शब्दों में-सन् 1857 के दिसम्बर मास के अंत तक रायपुर जिला क्षुभित हो गया था और आसन्न विद्रोह की अफवाहें विस्तृत रूप से फैल रही थीं। यह क्षेत्र विद्रोह के लिये विशेष रूप से उपयुक्त था, जिसे यदि ठीक तरह से संगठित कर दिया जाता तो वह पश्चिम में भण्डारा और चांदा से उड़ीसा और बंगाल की सीमा तक के समस्त क्षेत्र में फैल जाता। तभी तो अँग्रेज अधिकारी मेजर जनरल हिटलाक को 23 जनवरी 1858 को लिखे पत्र में नागपुर के कमिश्नर ने लिखा था जिससे उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि होती है।

'रायपुर जिले में प्रारंभ होने वाला विद्रोह निश्चित रूप से पूर्व और उत्तर प्रदेश की सब जमींदारियों में फैल जाता। और संभावना यह भी थी कि पश्चिम में इस प्रान्त की भण्डारा तथा चांदा की जमीदारियों में भी वह वहाँ पहुँचता और इतने विशाल, इतने कठित तथा इतने अस्वास्थ कर प्रदेश में फैल जाने वाले विद्रोह को किसी विशाल सेना बिना और भारी संख्या में प्राणों की बलि दिये बिना शान्त नहीं किया जा सकता था।'

परिस्थिति का यह दिग्दर्शन वास्तविकता से बहुत दूर नहीं था। सन् 1857 का दिसम्बर मास समाप्त होते-होते विद्रो न केवल रायपुर जिले की सीमा तक पहुँच गया था वरन् उत्तर तथा पूर्व दिशाओं में भी प्रवेश कर गया था। उत्तर में सुहागपुर में विद्रोहियों की स्थिति मजबूत थी और उसने रायपुर के जमींदारी को उनका साथ देने के संदेश भेज दिये थे। पूर्व में संबलपुर के विद्रोह ने उस दिशा से भी रायपुर को खतरा उत्पन्न कर दिया था और यदि वे उस जिले की सीमाओं से ही आंदोलन प्रारंभ करने में सफल हो जाते तो निश्चय ही समस्त क्षेत्र में संघर्ष भड़क उठता। इस जिले में जिस प्रकार का कल्पनाहीन प्रशासन चल रहा था वह निश्चय ही राज्य विप्लव के अनुकूल था। रानी अंवती बाई रामगढ़ एवं गढ़ा जबलपुर की रानी भी अरण्यांचल में अँग्रेजों के खिलाफ संघर्परत थे।

नागपुर का विप्लव भी भयानक होता किन्तु वहाँ के राज परिवार के कारण सफल न हो सका। बस्तर में भी आदिवासियों के मध्य हलचल थी किंतु वह भी ठीक से प्रस्तुत न हो सका पर यह संकेत अँग्रेजों को परेशान करने के लिये पर्याप्त था।

सन् 1857 में छत्तीसगढ़ अंचल में प्रारंभ होने वाली क्रान्ति एक महत्वपूर्ण घटना थी। दुर्भाग्य से क्रांतिकारियों के परस्पर सहयोग न होने के कारण तथा अपने ही लोगों के द्वारा विश्वासघात किये जाने के कारण वे असफल रहे। सोनाखान, संबलपुर, उदयपुर, रायपुर, बस्तर, कोरांचा, चांदा क्षेत्र, कवर्धा पंडरिया रायगढ़ क्षेत्र में क्रांतिकारी संगठित प्रयास करते तो अँग्रेजों को काफी नुकसान उठाना पड़ता। आन्दोलन की प्रधान कमजोरी समुचित तथा समवेत संगठन की कमी थी। किसी भी विप्लव को सफल होने के लिये एक सुदृढ़ संगठन के केन्द्र का होना आवश्यक है जो उन क्षेत्रों का शासन सूत्र ग्रहण कर ले। जिन पर अधिकार होता जाय। सरदार पणिकर की बातें प्रासंगिक ही कही जा सकती हैं-

'यदि इस समय (अर्थात् 1857 की मई से अगस्त तक) किसी समुचित केन्द्रीय शासन की स्थापना हो सकती और विद्रोहियों की कार्यवाहियों का समन्वय हो सकता तो अँग्रेजों को देश के आंतरिक भाग में अपनी स्थिति बनाए रखना कठिन ज्ञात होता और वे समुद्र किनारे अपनी किलेबंदी में लौट जाने के लिए विवश हो जाते।'

1857 के जन नेताओं की सेनाओं की संख्या अधिक थी और उसे जनता का व्यापक सहयोग भी प्राप्त था, फिर भी वे श्रेष्ठतर हथियारों से सुसज्जित अँग्रेजी सेना का सामना करने में असमर्थ रहते थे।

1857 के विप्लव ने कोई बात सिद्ध की तो वह यह सिद्ध की है कि भारतवासियों द्वारा अपनी खोयी हुई स्वतंत्रता को प्राप्त करने का प्रयास सशस्त्र प्रतिरोध के सहारे व्यर्थ होगा यदि क्षणिक विजय मिल भी जाती तो योरोपीय युद्धों के अनुभवी अँग्रेज कालांतर में पुनर्स्थापन में सफल हो जाते यदि नयित तिथि के पूर्व क्रान्ति शुरू नहीं होती तो निश्चित ही अँग्रेजों को भारत में अपनी शक्ति विस्तार का अवसर न मिलता पर आज के भारत का स्वरूप भी शायद न बन पाता क्योंकि देश नई रियासतों में बँटा रहता और योरोप की तरह सब की स्थिति भी हो सकती थी इतना निश्चित है कि 1857 के विप्लव में अँग्रेजों के खिलाफ पृष्ठ भूमि तैयार की और जन मानस में आजादी के अंकुर बोये तथा राष्ट्रीयता की भावना का जन्म हुआ जो कालांतर में 90 वर्ष बाद एक वृहत एकता के वटवृक्ष की तरह सुदृढ़ हुआ।

1857 के विप्लव ने कोई बात सिद्ध की तो वह यह सिद्ध की है कि भारतवासियों द्वारा अपनी खोयी हुई स्वतंत्रता को प्राप्त करने का प्रयास सशस्त्र

प्रतिरोध के सहारे व्यर्थ होगा यदि क्षणिक विजय मिल भी जाती तो योरोपीय युद्धों के अनुभवी अँग्रेज कालांतर में पुनर्स्थापन में सफल हो जाते यदि नियत तिथि के पूर्व क्रान्ति शुरू नहीं होती तो निश्चित ही अँग्रेजों को भारत में अपनी शक्ति विस्तार का अवसर न मिलता पर आज के भारत का स्वरूप भी शायद न बन पाता क्योंकि देश नहीं रियासतों में बँटा रहता और यूरोप की तरह सब की स्थिति भी हो सकती थी इतना निश्चित है कि 1857 के विप्लव में अँग्रेजों के खिलाफ पृष्ठ भूमि तैयार की और जन मानस में आजादी के अंकुर बोये तथा राष्ट्रीयता की भावना का जन्म हुआ जो कालांतर में 90 वर्ष बाद एक बहुत बड़े एकता के वटवृक्ष की तरह सुदृढ़ हुआ।

पं. द्वारका प्रसाद मिश्र का यह विचार है कि इतिहास घटनाक्रम में सन् 1857 की महान सामंतवादियों द्वारा विदेशी शासन को उखाड़ फेकने और देश की स्वतंत्रता स्थापित करने के अंतिम प्रपयास की सीमा रेखा है। भू-स्वामी और राजन्य वर्ग की ओर से राष्ट्र के सम्मान तथा गौरव को स्थापित करने का यह एक साहस पूर्ण प्रयास था यद्यपि इसका नेतृत्व और निर्देशन स्वत्वापहरित वर्गों द्वारा किया गया था तथापि यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्ति का संघर्ष था। यह संघर्ष सफल न हो सका इसका कारण वे तब थे जो स्वयं इस संघर्ष की प्रकृति के निहित थे। जनता और जन नेताओं को इनके लिये कुछ समय लगा जब वे इस असफलता द्वारा सिखाए गये पाठ से लाभ उठा सके।

अँग्रेजों की सेना में उन गाँवों को पूर्णत: नष्ट करने की प्रकृति विद्यमान थी जिनमें राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने वाले व्यक्ति विवश करते थे।

31 अक्टूबर 1857 को नागपुर के कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर को पत्र लिखकर निर्देश दिया "अब किसी गाँव या किसी संपत्ति का पूर्ण विनाश प्रत्येक प्रकरण में पूर्णत: प्राप्त की कमिश्नर की आज्ञा के बिना निषिद्ध किया जाता है।" इसके बावजूद निर्देशों की अवहेलना कर सोनाखान गाँव में लेफ्टिनेंट स्मिथ ने आगजनी की थी यह आंग्ल नीति की क्रूरता का प्रतीक है।

वस्तुत: वीर नारायण सिंह घर-घर में धधकती आग और बहनों, स्त्रियों के प्रति अँग्रेजों के अत्याचार से द्रवित होकर पहाड़ी से नीचे सोनाखान आये क्योंकि जिस जनाधिकार के लिये वे लड़ रहे थे उस जनता के प्रति अनाचार उनके लिये असहाय था फिर स्मिथ ने उनके साथ विश्वासघात किया, सुलह की इच्छा व्यक्त कर उसे अप्रत्याशित रूप से गिरफ्तार कर लिया यह सच है कि वीर नारायण सिंह अधिक दिनों तक संघर्ष जारी नहीं रख सकते थे क्योंकि देश

भर में बड़े-बड़े क्रांतिकारी नेता शनैः-शनैः कालचक्र या परिस्थितियों में समा रहे थे। फिर भी छत्तीसगढ़ अंचल में एक जन चेतना के विकास का कार्य जो वीर नारायण सिंह ने किया वह अविस्मरणीय है।

इतिहास के पृष्ठों पर छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति एवं शहीद वीर नारायण सिंह का योगदान पूर्व में विस्मृत सा रहा है। अन्वेषणान्तर्गत इस प्रस्तुति के माध्यम से अंचल का योगदान उजागर हुआ है। उत्तर भारत एवम् मध्य भारत पर व्यापक अन्वेषण हुए हैं। किन्तु मध्यप्रदेश के दक्षिण पूर्वान्चल छत्तीसगढ़ पर इस प्रयास का अभाव रहा है।

छत्तीसगढ़ में 1857 के विप्लव का महत्व इस दृष्टि से भी आकलित किया जा सकता है कि यह क्षेत्र देश के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो चारों दिशाओं की संस्कृति को आत्मसात किये हैं। यद्यपि यह अरण्याच्छादित क्षेत्र रहा है, यहाँ पर आदिवासी, हरिजन एवं पिछड़ेवर्ग का बाहुल्य रहा है, पर उनके मध्य में भी जो जागृति के प्रवास हुए हैं वे किसी भी क्षेत्र से कम नहीं है। झारखण्ड रांची क्षेत्र में बिरसामुण्डा का, सम्बलपुर उड़िसा में वीर सुरेन्द्र साय का, रामगढ़ में रानी अवंती बाई के शौर्य का जो महत्व है छत्तीसगढ़ में वीर नारायण सिंह के योगदान का महत्व है।

रतनपुर से प्राप्त कलचुरि कालीन प्रमाण के आधार पर लिखे गये वीर नारायण सिंह के समकालीन इतिहासकार बाबू रेवा राम एवं "भट गाँव जमींदारी का इतिहास" के लेखक की कृतिकों से यह ज्ञात होता है कि नारायण सिंह के पूर्वज राजपूत थे जो सोनाखान क्षेत्र में बसने के पश्चात् वहाँ गिरीजन परिवार से वैवाहिक संबंध स्थापित होने के बाद बिंझवार जाति के रूप में उन्होंने स्थानीय समाज के साथ अपने को सम्बद्ध कर लिया और एक स्वतंत्र आदिवासी संस्कृति के परिवेश में जीवन व्यतीत करने लगे।

जमींदार नारायण सिंह ने अन्याय, शोषण एवं अनाचार का विरोध किया और इस निमित्त उसने संबंधित व्यक्तियों को दंडित किया। कसडोल के प्रसिद्ध मिश्र परिवार से उनका वैमनस्य था जो कालांतर में प्रतिशोध के रूप में प्रस्तुत हुआ इससे दोनों ही परिवार को नुकसान हुआ और जिनका लाभ अँग्रेजों को मिला। हत्या भी हुई जिसका कारण व्यक्तिगत या सार्वजनिक हो सकता है।

छत्तीसगढ़ में सिमगा के समकालीन साहित्यकार खण्डेराव भोंसले की कृति में समकालीन राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक दुराव्यवस्थाओं की

जानकारी मिलती है, उस अस्थिरता के लिये सूबा शासन और अँग्रेजों का हस्तक्षेप ही जिम्मेदार था। सही अर्थों में उस समय ब्राहम्ण और जमींदारों का समाज पर दबदबा था। समान्य जनता की जिंदगी भी सामान्य हो चली थी। जहाँ शोषण होता है वहाँ विरोध होता है जो भ्रांति को दूर करते हुए क्रांति को एक दिशा देता है। रघु जी भोंसले तृतीय और लार्ड डलहोजी के कार्यकाल में वैसे भी छत्तीसगढ़ दो चक्की के पाट के मध्य पीस रहा है। कृषि एवं वनोपज यहाँ का आर्थिक आधार था। यह धान का भरा हु कटोरा था जिसे नागपुर के भोंसला शासन के सूबेदारों ने दोनों हाथों से बटोरा था। बड़ा आदमी, व्यापारी, ब्राह्मण तो प्राय: इन अनाचारों से बच जाता है। परिणामत: प्रशासन की कठोरता के आक्रोश का सामना गरीब किसान एवं मजदूरों को करना होता था। सोनाखान जमींदारी का महत्व इसलिए भी था क्योंकि वहाँ पास से ही जगन्नाथपुरी जाने का रास्ता (सम्प्रति बंबई-कलकत्ता मार्ग) था। यात्रियों की सुरक्षा दायित्व का भार भी जमींदार को कर्त्तव्यानुकूल करना होता था। उस समय पिंडारी एवं ठग लोगों का भी महाकोशल क्षेत्र में आतंक था। यदि उनके द्वारा भी कोई घटना होती थी तो उस क्षेत्र में घटित होने के कारण आरोप जमींदार पर छोड़ा जाता था। अँग्रेजों ने नारायण सिंह पर लूटपाट करने, हत्या आतंक आदि का आरोप लगाया, जबकि वह जनहित में अपनी जमींदारी के रचनाक्रम कार्यों में संलग्न था।

छत्तीसगढ़ के कुछ लोक गीतों में सोनाखान और कसडोल क्षेत्र के मनमुटाव की बात मिलती है। छत्तीसगढ़ में सामाजिक संचेतना के संवाहक गुरु घासीदास के परिवार को भी जमींदारी में विशेष सुख व सन्तोष, उस समय की परिस्थितियों के कारण नहीं मिल पाया। पर बाद में गुरुघासीदास के अलौकिक शक्ति को वहाँ स्वीकारा गया। आरोप प्रत्यारोप के व्यर्थताओं की परिधि से हटकर यथार्थता के परिप्रेक्ष्य में विचार करें तो हम यह पाते हैं कि वीर नारायण सिंह के जीवन में कुछ घटनायें भले ही उन्हें आरोपित करने वाली हों वह भी प्रशासनिक दृष्टि से किन्तु अंतत: उन्हें जो फाँसी की सजा दी गई उसमें उन पर वही आरोप लगाया गया जो उस समय के देश भक्तों पर लगाया गया था। 1857 के क्रांतिकारियों पर इस धारा का खुला प्रयोग किया गया है। बिना कारण के कोई कार्य नही होता और हर कार्य के पीछे कारण होता है इसी परिप्रेक्ष्य में हम वीर नारायण सिंह के कार्यों का आकलन करना होगा।

शासकीय गजेटियर में नारायण सिंह की मृत्यु तिथि 19 दिसम्बर है जो प्रामाणिक आधार पर प्रस्तुत शोधान्तर्गत 10 दिसम्बर 1857 निश्चित हो चुकी

है। भारत सरकार द्वारा विगत वर्ष जारी डाक टिकट में उन्हें तोप से बांधे हुए बताया गया है जबकि शासन के ही प्रामाणिक पत्र के आधार पर उन्हें 10 दिसम्बर की सुबह फाँसी दी गई थी। रायपुर के एक प्रमुख चौराहे में जनता और सैन्य टुकड़ी के समक्ष उस स्थान के बारे में भी विवाद है। श्री सन्तोष शुक्ल ने वर्तमान जयस्तम्भ चौक को यह स्थान माना है। पर प्रमाणाधार स्पष्ट नहीं है। डॉ. पी. एल. मिश्र पुलिस लाइन रायपुर में जगदलपुर रोड की ओर स्थित मैदान को मानते हैं।

1856-57 में रायपुर का जेल वर्तमान पुराना अस्पताल था। जहां से नजदीकी चौक में एक रिसाली नाका तथा वर्तमान शास्त्री चौक पड़ता है। या मोती बाग के पास का चौक। उस समय फौजी छावनी बैरन बाजार पुलिस ग्राउण्ड के पास था। हर दृष्टि से जयस्तम्भ चौक दूर पड़ता है। जयस्तम्भ के पास की पुलिस लाइन बाद में बनी थी। सदर बाजार रोड से सीधे और बैरन बाजार से आकर मिलने वाले मार्ग दृष्टि से व गवर्नमेंट स्कूल के पास रिसाली नाका चौक ही वह स्थान लगता है। अधिक संभावना मोती बाग चौक की लगती है। क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से भी ज्यादा दूर ले जाना ठीक नहीं था। फाँसी के बाद उनका अंतिम संस्कार भी रायपुर में ही हुआ होगा। इस दृष्टि से भैया तालाब जो दूधाधारी मठ के पास है उस समय का शमशान घाट था दूसरा महादेव घाट था। सोनाखान में उनके वंशजों से मिली जानकारी के आधार पर वहाँ उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। नारायण सिंह का एक साथी और उनका कबरा घोड़ा कहाँ गया, यह भी अनुत्तरित है। संभवत: घोड़ा अँग्रेज अधिकारियों ने रख लिया होगा।

वीर नारायण सिंह की तस्वीर या अन्य विस्तृत जानकारी का प्रामाणिक अभाव रहा। पर सोनाखान क्षेत्र में प्रचलित अन्य मान्यताओं के आधार पर वे हष्ट-पुष्ट, ऊँचे, साँवले, और [illegible]चित स्वभाव के दबंग व्यक्ति थे। जैसे राणा प्रताप का चेतक था। वैसे [illegible] उनका प्रिय कबरा घोड़ा था अँग्रेजों ने बाद में उनसे सम्बन्धित सभी साक्ष्य को नष्ट कर डाला। जो परिवार के लोगों को तंगाया, उनकी जमींदारी जप्त कर ली गई, कुछ भाग पुरस्कार स्वरूप मददगारों में विभक्त किया गया, कुछ भाग एक अँग्रेज ने खरीद ली और सोनाखान का अस्तित्व एक जमींदारी के रूप से मिटा दिया गया। मात्र एक गाँव रह गया। अरण्यांचल में गिरिबाहु से आवेष्ठित निस्तब्धता से भरा हुआ एक मौन साक्षी की तरह छत्तीसगढ़ का सोना सदृश सपूत वीर नारायण सिंह के सोनाखान के कण-कण में सचमुच में सोना है जो अज्ञात को हटायेगा। सोनाखान का जमींदार

परिवार सदैव स्वराज्य के पक्ष में रहा बिंझवार राजपूतों ने अँग्रेजों के पूर्व आक्रामण मराठा सैनिकों को भी रायपुर और रतनपुर में चैन की नींद नहीं सोने की और अपने शौर्य की धाक स्थापित की। सन् 1857 की क्रांति के समय जमींदार ने जनता के सहयोग से अँग्रेजों से आखिरी दम तक टक्कर ली, उसके दाँत खट्टे किये। सोनाखान के इस युद्ध की कहानी स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की अद्वैत गौरवपूर्ण और प्रेरक घटना है। 1857 ई. के. विप्लव युग में मध्यप्रदेश के अरण्याच्छादित पूर्वांचल में प्राय: आदिवासी नेताओं ने ही नेतृत्व किया, शंकरशाह, रघुनाथ शाह, नारायणसिंह का बलिदान आज व्यापक अन्वेषण की प्रतीक्षा में हैं। उन्होंने जनचेतना को विकसित किया।

छत्तीसगढ़ के उस प्रथम आदिवासी शहीद वीर नारायण सिंह बिंझवार एवं रायपुर के सत्रह शहीदों की आत्मा ने यहाँ के जनमानस में जागृति उत्पन्न की। वीर सुरेन्द्र साय के प्रयास ने प्रेरणा दी जिसका फल 90 वर्ष बाद यहाँ के स्वतंत्र धरती के लोगों को मिला।

अमर शहीद वीर नारायण सिंह के खून से लिखा छत्तीसगढ़ अंचल में आजादी की लड़ाई के इतिहास का वह स्वर्णिम पृष्ठ युगों-युगों तक सभी के लिये प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। सोनाखान के लाड़ले क्रांतिवीर के कल्याणकारी सपनों की स्मृति में अमर शहीद वीर नारायण सिंह बांध की अपार जल राशि निरंतर बहती हुई उनकी वीर गाथा के गीत गुनगुनाती रहेगी जीवन दायिनी जल खेतों में पहुँचकर सुनहरी धान पैदाकर किसानों की जिंदगी को खुशहाल करेगा वीर नारायण सिंह ने जिन किसानों मजदूरों को शोषण और दासता से मुक्त कराने के लिए अँग्रेजों से संग्राम किया, उन्हीं किसान मजदूरों की संतानों के जीवन में सुख और समृद्धि का संचार ही वीर नारायण सिंह की सर्वोत्तम और सार्थक श्रद्धांजलि होगी। मध्यप्रदेश के माटी पुत्र ने महानदी की घाटी में जो सांस्कृतिक एवं राजनीतिक संचेतना के वैचारिक ज्योति को जलाया वह अद्यतन अण्यांचल में स्वाभिमान एवं स्वदेश प्रेम की रोशनी प्रसारित कर रही है।

*"वीर नारायण - तुम्हारी वीरता बलिदान से*
*आग के शोले निकलते अब भी सोनाखान से।"*
*शहीदों व सेनानियों के बलिदानी गौरव का प्रतीक,*
*देश में तिरंगा ध्वज फहर रहा है, बड़े शान से॥*

■

**परिशिष्ट-**

## सोनाखान के जमींदार परिवार की वंशावली

**वंशावली क्रमांक - 1**

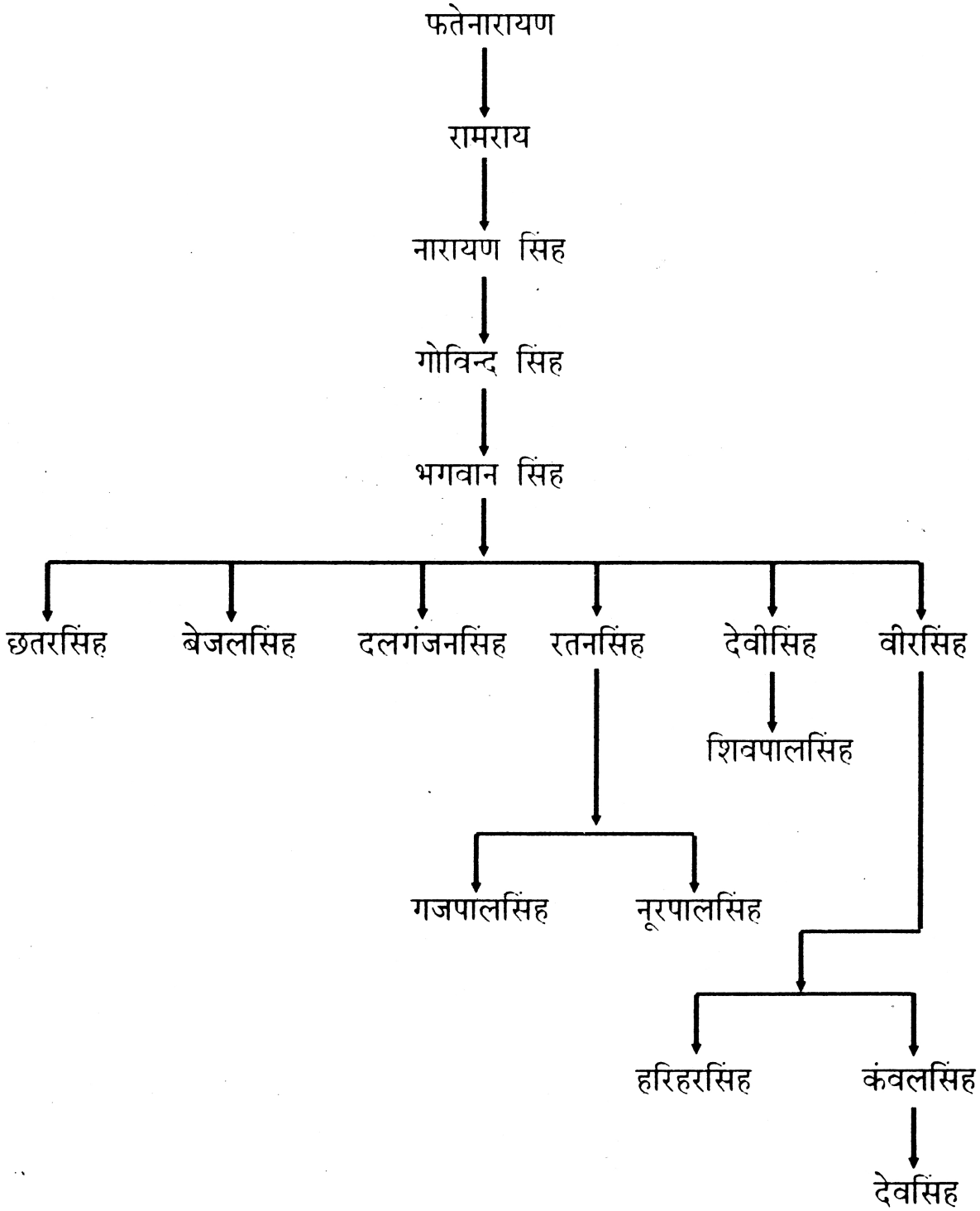


(श्री हरि ठाकुर द्वारा उल्लेखित लेख सन् 1857 के विप्लव के अमर शहीद वीर नारायण सिंह से)

## वंशावली क्रमांक - 2

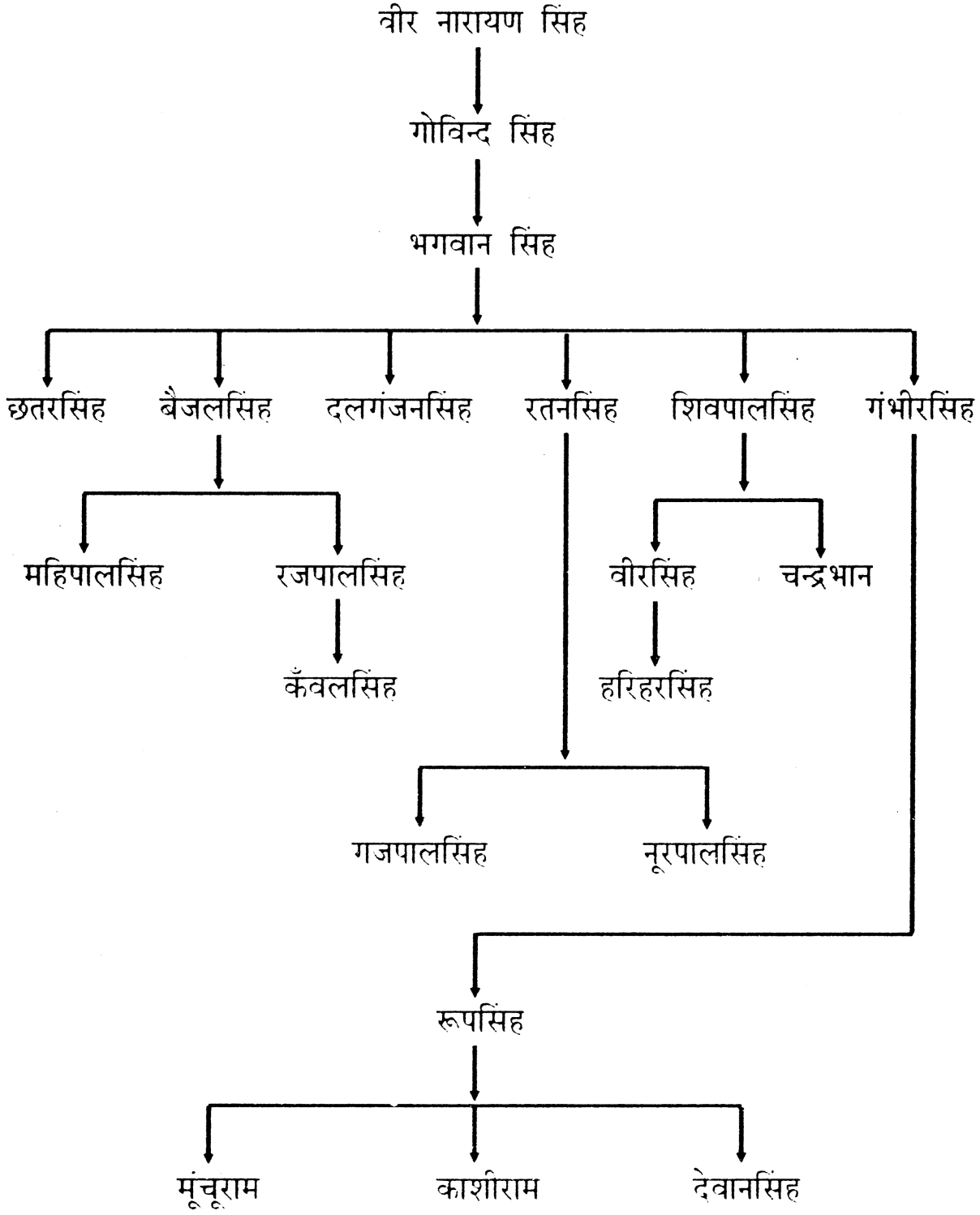


(सोनाखान जमींदार परिवार के कागजात के आधार पर डॉ. रमेंद्र नाथ मिश्र द्वारा तैयार वंशावली)

## वंशावली क्रमांक - 3

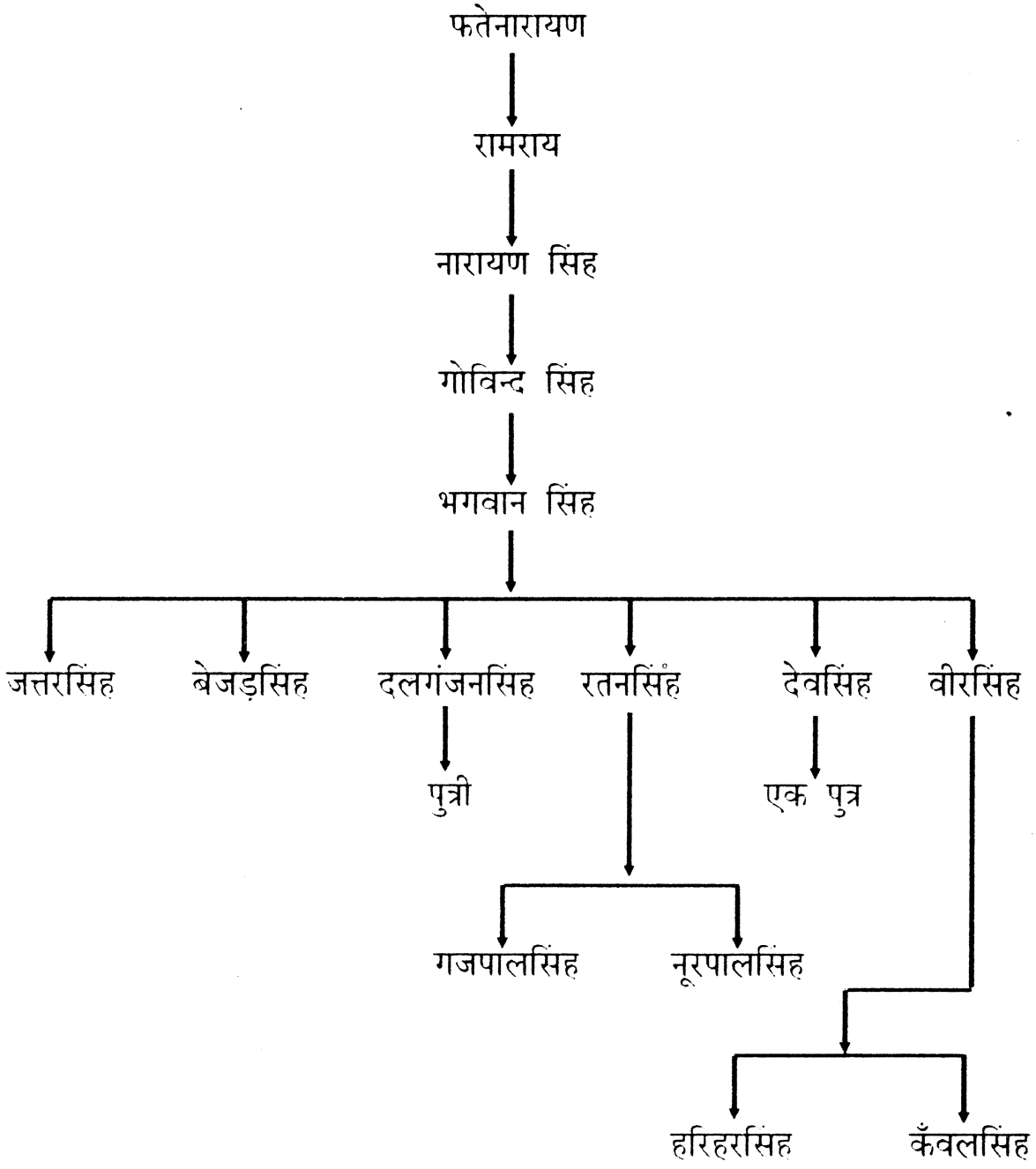


(ठाकुर नरसिंह प्रसाद जी के सौजन्य से श्री हरि ठाकुर को प्राप्त सूची)

## वंशावली

(1) पत्ते सिंह दीवान

(2) चंद्रसाय दीवान

(3) सदानंद दीवान

(4) रामराय दीवान

दीवान नारायण सिंह

गोविन्द सिंह

भगवानसिंह

↓

छत्तरसिंह | बैजल सिंह | दलंजनसिंह

(अँग्रेज सरकार को लिखे गये बैजल सिंह जमींदार सोनाखान रायपुर के आवेदन पत्र में उल्लेखित नाम जिसके आधार पर भगवान सिंह के 3 पुत्र बताये हैं 1923)

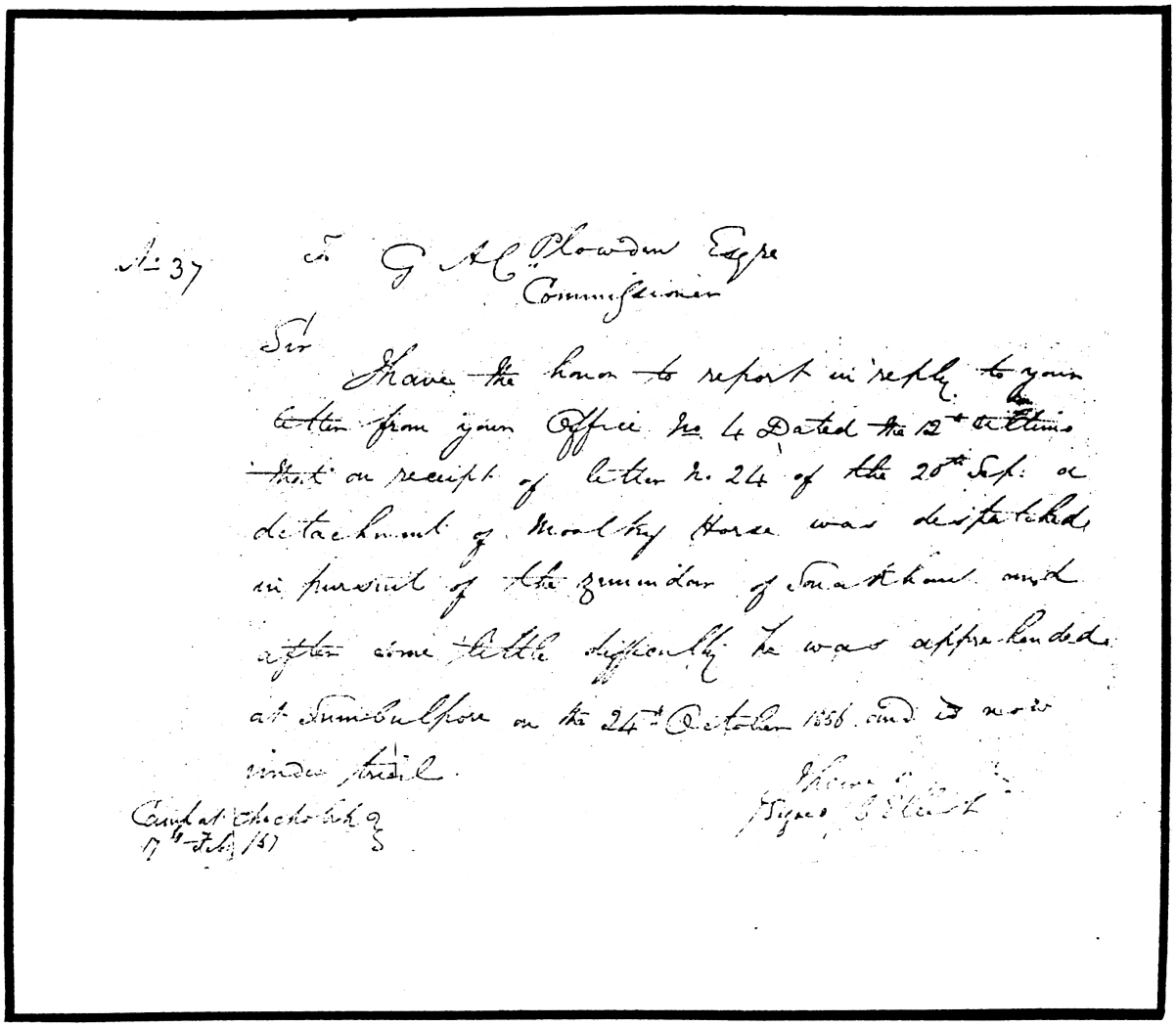

No. 37 To G. A. C. Plowden Esqre
Commissioner

Sir

I have the honor to report in reply to your letter from your Office No. 4 Dated the 12th ult. that on receipt of letter No. 24 of the 20th Sept. a detachment of Mounted Horse was despatched in pursuit of the Zemindar of Sonakhan and after some little difficulty he was apprehended at Sumbulpore on the 24th October 1856 and is now under trial.

I have &c
Signed J. Elliot

Cand at Chuchuk
17th July 1857

शहीद वीर नारायण सिंह की गिरफ्तारी का आदेश।

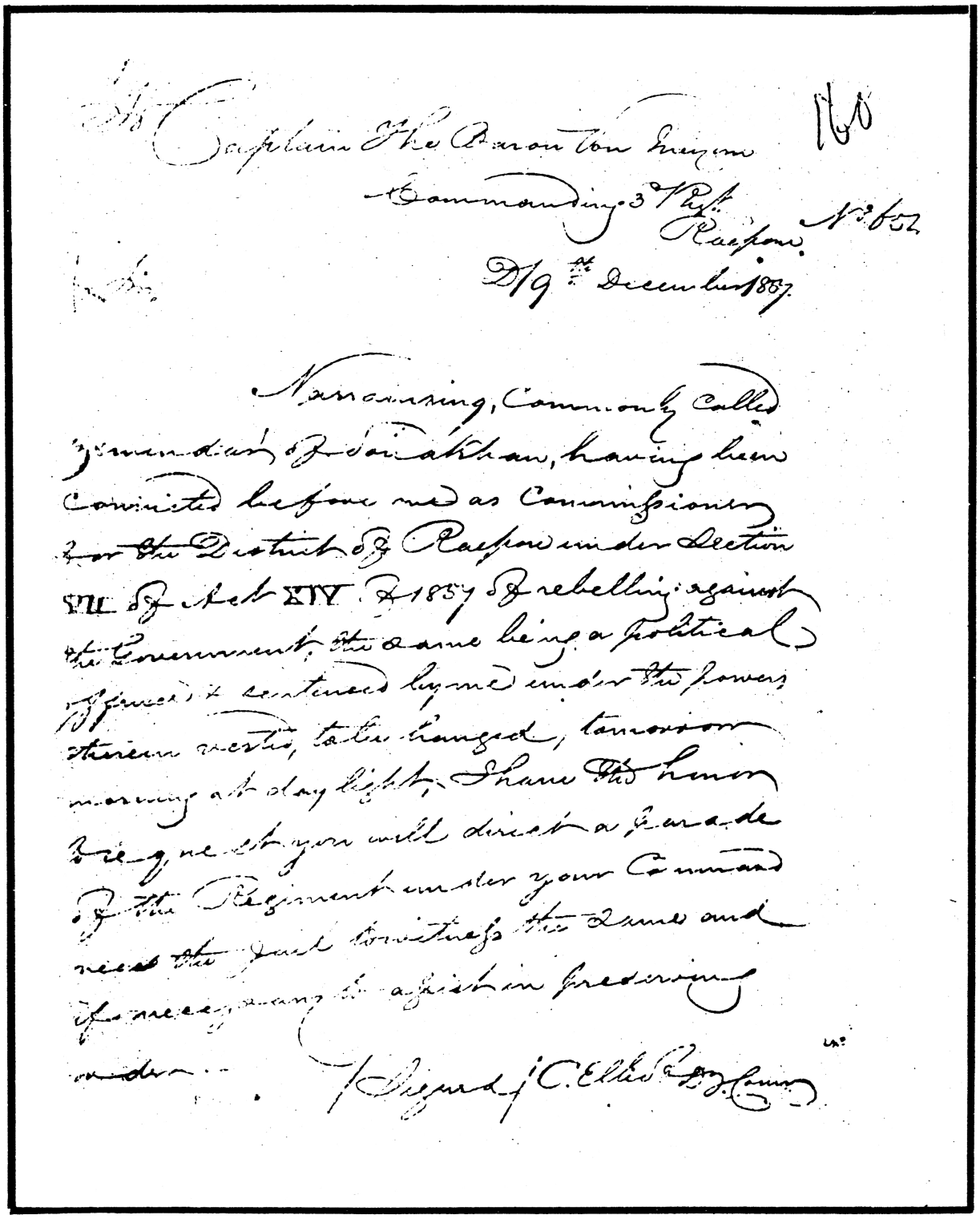

To Captain The Baron Von Kaym
Commanding 3rd Regt
Raipore.

No 852

Dated 9th December 1857

Narayansing, commonly called Jamandar of Sonakhan, having been convicted before me as Commissioner for the District of Raipore under Section VII of Act XIV of 1857 of rebelling against the Government, the same being a political offence & sentenced by me under the powers therein vested, to be hanged, tomorrow morning at daylight, I have the honor to request you will direct a Parade of the Regiment under your Command to witness the same and to assist in preserving order.

(Signed) C. Elliot Dy Comr

(1) दिसम्बर 1857 का तत्कालीन अँग्रेज सरकार का मूल आदेश की प्रति जिसमें वीर नारायण सिंह को फाँसी देने की बात कही गयी है।

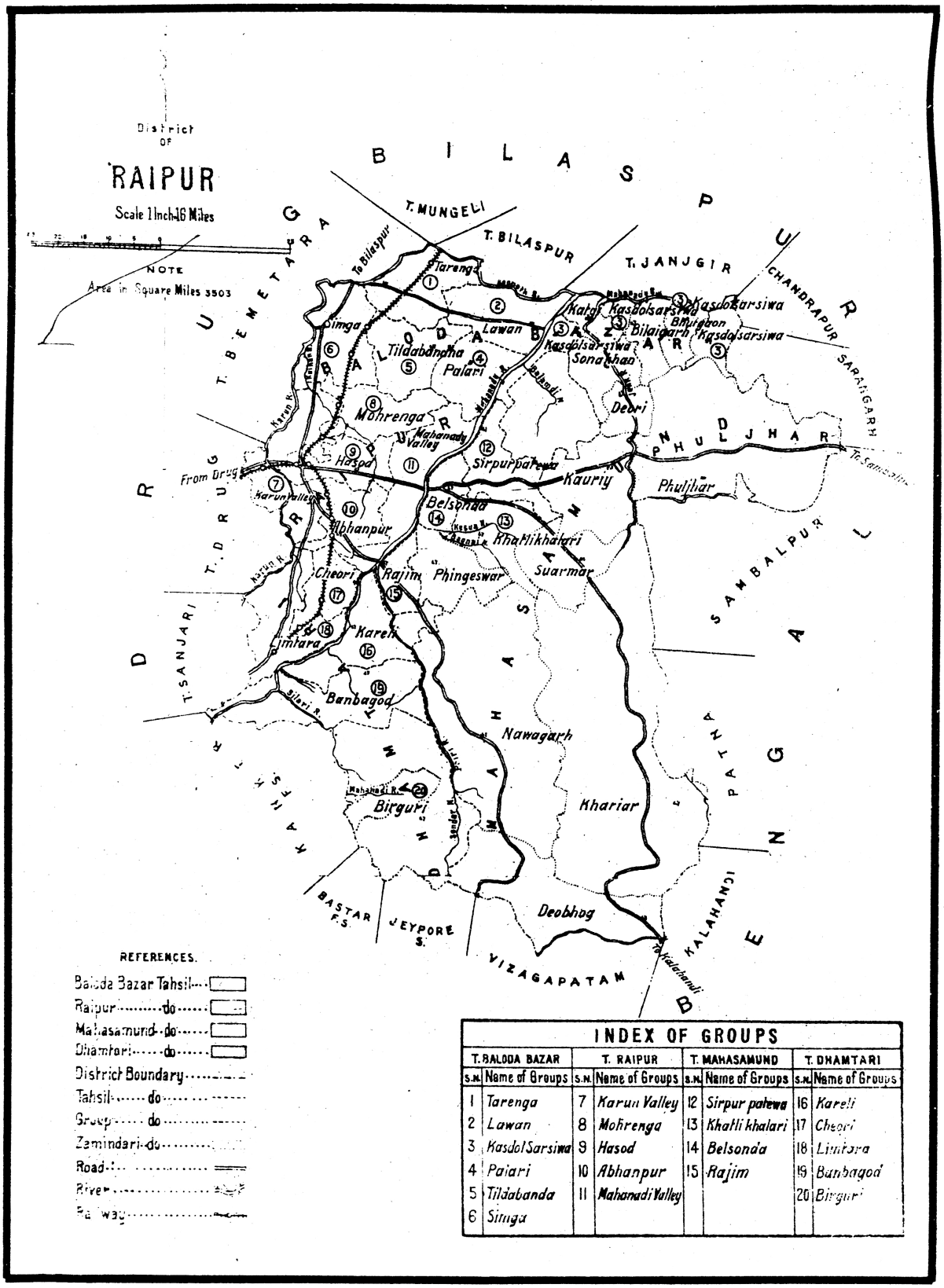


**INDEX OF GROUPS**

| T. BALODA BAZAR | | T. RAIPUR | | T. MAHASAMUND | | T. DHAMTARI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.N. | Name of Groups | S.N. | Name of Groups | S.N. | Name of Groups | S.N. | Name of Groups |
| 1 | Tarenga | 7 | Karun Valley | 12 | Sirpur patewa | 16 | Kareli |
| 2 | Lawan | 8 | Mohrenga | 13 | Khalli khalari | 17 | Cheori |
| 3 | Kasdol Sarsiwa | 9 | Hasod | 14 | Belsonda | 18 | Limtara |
| 4 | Palari | 10 | Abhanpur | 15 | Rajim | 19 | Banbagod |
| 5 | Tildabanda | 11 | Mahanadi Valley | | | 20 | Birguri |
| 6 | Simga | | | | | | |

भौगोलिक परिचय ।

शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति चौक सर्किट हाऊस के पास रायपुर।

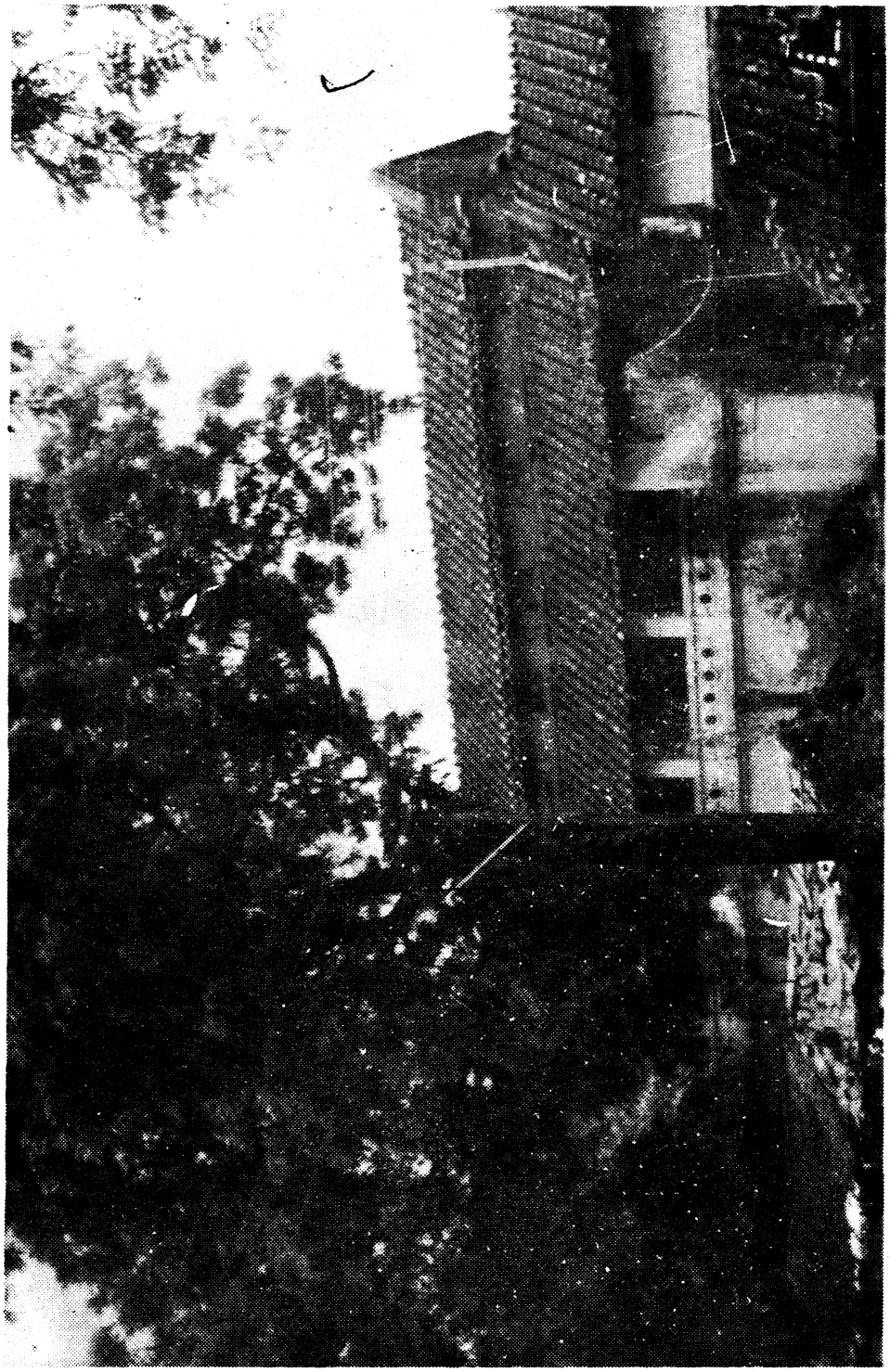

रायपुर का वह जेल भवन जहाँ वीर नारायण सिंह कैद थे 1856 ई.।

# वीर नारायण सिंह

महानदी की घाटी और छत्तीसगढ़ की माटी के महान सपूत वीर नारायण सिंह बिंझवार का जन्म सन् 1795 में सोनाखान के जमींदार के यहां हुआ था।

1856 में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जब अकाल पड़ा तो व्यापारियों ने अनाज दबा कर रख लिया। नारायण सिंह भूख से बिलखते लोगों को मरते नहीं देख सकते थे। उन्होंने व्यापारियों से अनाज बाढ़ी के रूप में उधार मांगा और अंत में एक क्षेत्र प्रमुख के कर्तव्य को निभाते हुए गोदाम से अनाज निकलवाकर जनता में बंटवा दिया जिसकी सूचना उन्होंने रायपुर के डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स एलियट को दे दी थी। किन्तु एक व्यापारी माखन की शिकायत के आधार पर अंग्रेज प्राधिकारियों ने नारायण सिंह को 24 अक्तूबर, 1856 को सम्बलपुर में गिरफ्तार कर रायपुर जेल में डाल दिया।

1857 ई. की क्रान्ति ज्वाला जब देश में प्रज्ज्वलित हुई तब उसकी चिनगारी भी छत्तीसगढ़ के अरण्याचल में प्रज्ज्वलित हुई और लोगों ने एक स्वर से जेल में बंद नारायण सिंह को अपना नेता चुना। सैनिकों और जनता के सहयोग से नारायण सिंह अगस्त, 1857 में जेल से निकल कर सोनाखान पहुंच गये। वहां विश्वस्तों को एकत्रित कर मोर्चा संभाला, अंग्रेजों की सैन्य टुकड़ी से सोनाखान के निकट मुठभेड़ हुई। अंग्रेजों के विनाशकारी एवं विध्वंशक अत्याचार को देखते हुए उन्होंने जनता की रक्षा के लिए अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। नारायण सिंह को मृत्यु दण्ड दिया गया। उन पर देशद्रोह का आरोप था। 10 दिसम्बर, 1857 को जनता के सामने उन्हें मृत्यु दण्ड दिया गया। उन्होंने हंसते-हंसते देश की खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिये।

रायपुर सैन्य टुकड़ी के सैनिकों एवं जनता ने हनुमान सिंह के नेतृत्व में 18 जनवरी, 1858 को रायपुर में विद्रोह किया। एक अंग्रेज अधिकारी मारा गया। शहीद वीर नारायण सिंह के त्याग एवं अमर बलिदान से प्रेरित गिरफ्तार 17 लोगों को 22 जनवरी, 1858 को मृत्यु दण्ड दिया गया। वीर नारायण सिंह के प्राणोत्सर्ग जैसा उनका यह त्याग एवं बलिदान छत्तीसगढ़ के इतिहास की एक अविस्मरणीय प्रेरणास्पद घटना थी, जिसने स्वतंत्रता आन्दोलन को गति दी।

## डिजाइनों का विवरण

60 पैसे की इस डाक टिकट का डिजाइन श्री शंख सामंत ने तैयार किया है। प्रथम दिवस आवरण का डिजाइन श्री जे. स्वामिनाथन् ने और विरूपण का डिजाइन श्रीमती अलका शर्मा ने तैयार किया है।